संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)

(For the State of Goa and Union Territories)

वार्षिक प्रतिवेदन

ANNUAL REPORT

वित्तीय वर्ष 2024-25 \ Financial Year 2024-25

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 और 105 के अंतर्गत)

(Under Section 104 & 105 of Electricity Act, 2003)

XVII EDITION

वार्षिक रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2024–25
(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 और 105 के अंतर्गत)
सत्रहवाँ संस्करण

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)
तीसरी एवं चौथी मंजिल, प्लॉट नं. 55-56
सेक्टर-18, उद्योग विहार फ़ेस-IV, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा)
वेबसाइट: www.jercuts.gov.in
ई-मेल: secy.jercuts@gov.in

विषय–सूची

	–	4–6
संक्षेपाक्षर		
I.	**संगठनात्मक संरचना एवं प्रशासन**	7
	आयोग	
II.	**आयोग के कार्य और कर्तव्य**	8–10
(i)	अधिदेश	
(ii)	मिशन वक्तव्य	
(iii)	आयोग के कार्य	
III.	**आयोग के सदस्यों का परिचय**	11–12
IV.	**आयोग की संगठनात्मक संरचना**	13
V.	**आयोग का कार्यालय**	13–16
(i)	जन सुनवाई	
(ii)	वेबसाइट	
(iii)	डिजिटल वर्कप्लेस: ई–ऑफिस कार्यान्वयन	
(iv)	प्रशिक्षण	
(v)	आरटीआई	
(vi)	संसदीय प्रश्न	
(vii)	सतर्कता/अनुशासनात्मक मामले	
VI.	**वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान आयोग की गतिविधियाँ**	16–28
(i)	विनियमन	
(ii)	वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान एआरआर एवं टैरिफ निर्धारण पर जन सुनवाई	
(iii)	जन सुनवाई की झलकियाँ	
(iv)	वित्त वर्ष 2025–26 हेतु टैरिफ और आवश्यक वार्षिक राजस्व का निर्धारण	
(v)	नवीकरणीय ऊर्जा आधारित प्रौद्योगिकियों के लिए सामान्य स्तरीय टैरिफ का निर्धारण	
(vi)	जेईआरसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विद्युत उपयोगिताओं के महत्वपूर्ण मानदंड	
(vii)	राज्य सलाहकार समिति की बैठकें	
(viii)	वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान दायर याचिकाओं की स्थिति	
(ix)	विवाद एवं मतभेद न्यायनिर्णयन	
(क)	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की स्थापना	
(ख)	विद्युत लोकपाल	
VII.	**उपभोक्ताओं को लाभ और क्षेत्र के विकास के संदर्भ में विनियामक प्रक्रिया के परिणाम**	29
1.	**उपभोक्ताओं को लाभ**	30–31
(क)	वितरण और पारेषण व्यवसाय के लिए विनियमन	
(ख)	टैरिफ युक्तीकरण में सुधार	
(ग)	उपभोक्ता जागरूकता और शिक्षा	

2.	**क्षेत्र का विकास**	31–33
(क)	टैरिफ विनियमन	
(ख)	हरित ऊर्जा तक ओपन एक्सेस	
(ग)	नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन	
(घ)	ईवी चार्जिंग स्टेशन का संवर्धन	
(ङ)	निगरानी और प्रवर्तन	
(च)	ऊर्जा की चोरी पर अंकुश लगाना	
VIII.	**आयोग के समक्ष प्रमुख चिंताएँ**	33–34
(क)	एटीएंडसी हानियों में कटौती एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति	
(ख)	लाइसेंसधारियों के प्रदर्शन का मानक	
(ग)	विवाद समाधान	
(घ)	नीति और निर्णयन	
IX.	**लाइसेंसधारी, निवेश अनुमोदन आदि**	34–35
(क)	लाइसेंस/छूट:	
(ख)	निवेश अनुमोदन – पारेषण और वितरण योजनाएं	
(ग)	विद्युत खरीद समझौते	
X.	**सब्सिडी कार्यक्रम (लाभार्थियों को आवंटन)**	35
XI.	**वित्त वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक खातों पर अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट**	36–43
XII.	**आयोग के वार्षिक खाते**	44–67
XIII.	**आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना का विवरण**	68
XIV.	**जनता हेतु उपलब्ध जानकारी और सुविधाओं का विवरण**	68
XV.	**वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए एजेंडा**	68–69
I.	वित्त वर्ष 2025–26 से वित्त वर्ष 2029–30 की एमवाईटी नियंत्रण अवधि हेतु व्यापार योजना याचिका	
II.	बहु–वर्षीय वार्षिक राजस्व अनिवार्यताएँ और टैरिफ का निर्धारण	
III.	बहु–वर्षीय उत्पादन एवं पारेषण ट्रू–अप्स	
IV.	विनियमों में संशोधन	
V.	राज्य सलाहकार समिति की बैठकें	
VI.	नए विनियम	
XVI.	**विद्युत क्षेत्र का अवलोकन**	69–70
	1. उत्पादन	
	2. पारेषण	
	3. वितरण	
अनुलग्नक		71–77
अनुलग्नक–1– उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों और विद्युत लोकपाल का विवरण		
अनुलग्नक–2– वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई/अन्य सुनवाइयों और जारी किए गए आदेशों का विवरण		
अनुलग्नक–3– 31.03.2025 तक अधिसूचित विनियमों की सूची		

अध्यक्ष की कलम से

आलोक टंडन
अध्यक्ष

सत्यमेव जयते

मुझे वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) की सत्रहवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह रिपोर्ट विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 और 105, और जेईआरसी (वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी) नियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई है। यह आयोग की प्रमुख गतिविधियों का एक व्यापक सारांश देती है और इसमें वर्ष के वार्षिक खातों का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है।

30 मई 2008 को स्थापित और अगस्त 2008 से कार्यरत, आयोग गोवा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन व दीव, पुदुचेरी और लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली क्षेत्र हेतु एक निष्पक्ष, पारदर्शी और कुशल विनियामक ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, आयोग ने वित्त वर्ष 2024–25 हेतु निम्नलिखित टैरिफ आदेश जारी किए:

- पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (उत्पादन), पुडुचेरी
- विद्युत विभाग (पारेषण प्रभाग), दमन और दीव
- विद्युत विभाग (पारेषण प्रभाग), दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव
- पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पारेषण), दादरा और नगर हवेली और दमन व दीव
- विद्युत विभाग (वितरण), लक्षद्वीप
- विद्युत विभाग (वितरण), पुडुचेरी सरकार
- विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (वितरण), दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
- विद्युत विभाग (वितरण), गोवा सरकार
- विद्युत विभाग (वितरण), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
- इंजीनियरिंग विभाग का विद्युत खंड (वितरण), चंडीगढ़

आयोग ने उक्त टैरिफ आदेशों के अनुपालन के रूप में इनमें से कुछ लाइसेंसधारियों की वार्षिक निष्पादन की समीक्षा और सही तरीके से जाँच भी की।

इसके अलावा, वितरण उपयोगिताओं द्वारा जेईआरसी (खुदरा आपूर्ति टैरिफ संरचना) दिशानिर्देश, 2024 के कार्यान्वयन की वजह से जेईआरसी (उत्पादन, पारेषण एवं वितरण बहु–वर्षीय टैरिफ) विनियम, 2024 के अनुसार चौथी एमवाईटी नियंत्रण अवधि हेतु व्यावसायिक योजना आदेश और टैरिफ आदेश विलंबित हैं। तीन पारेषण लाइसेंसधारियों यानी ईडीडीडी, ईडी–डीएनएच और डीएनएचडीडीपीसीएल के डीएनएचडीडीपीसीएल नामक एकल कंपनी में विलय के कारण पारेषण लाइसेंसधारियों के लिए टैरिफ आदेश विलंबित थे।

उपरोक्त के आधार पर, आयोग ने चौथी एमवाईटी नियंत्रण अवधि हेतु पीपीसीएल का व्यावसायिक योजना आदेश और टैरिफ आदेश जारी किया है।

हितधारकों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए, आयोग राज्य सलाहकार समिति की बैठकों के ज़रिए नियमित तौर पर उपभोक्ता समूहों, उद्योग संघों और संस्थागत प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करता रहता है। वर्ष के दौरान, आयोग ने अपनी 20वीं राज्य सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की, जिसका विवरण इस रिपोर्ट के आगामी अध्यायों में दिया गया है।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान की गई अन्य विनियामक पहलों में शामिल हैं:

- वित्त वर्ष 2025–26 से वित्त वर्ष 2029–30 तक टैरिफ निर्धारण हेतु जेईआरसी (उत्पादन, पारेषण और वितरण बहु–वर्षीय टैरिफ) विनियम, 2024 का निर्गम, 15.10.2024 को अधिसूचित।
- जेईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें) विनियम, 2024 की अधिसूचना, 24.10.2024 को अधिसूचित।
- उपभोक्ताओं को स्वचालित मुआवजा देने और डिस्कॉम द्वारा विश्वसनीयता मापदंडों को मानकीकृत करने हेतु जेईआरसी (वितरण लाइसेंसधारियों के लिए प्रदर्शन के मानक) (पहला संशोधन) विनियम, 2024 में संशोधन, 27.05.2024 को अधिसूचित।
- विद्युत मंत्रालय की दिनांक 28.05.2024 की अधिसूचना के अनुसार, जेईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2024 के माध्यम से नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) लक्ष्यों का संरेखण।
- 01.08.2024 को अधिसूचित जेईआरसी (नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग पर आधारित सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम) (पहला संशोधन) विनियम, 2024 के माध्यम से रूफटॉप सोलर को बढ़ावा।
- विद्युत आपूर्ति संहिता (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 की अधिसूचना, 02.08.2024 को अधिसूचित।
- जेईआरसी (अंतर–राज्यीय पारेषण एवं वितरण में कनेक्टिविटी एवं ओपन एक्सेस) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 के माध्यम से हरित ओपन एक्सेस नियमों का कार्यान्वयन, 13.08.2024 को अधिसूचित।
- जेईआरसी (उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच एवं लोकपाल) विनियम, 2024, 16.08.2024 को अधिसूचित।
- आयोग ने 20.12.2024 को जेईआरसी (खुदरा आपूर्ति शुल्क संरचना) दिशानिर्देश, 2024 जारी किए, जिनका उद्देश्य अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वितरण उपयोगिताओं में उपयोग के पैटर्न व वोल्टेज स्तर के आधार पर उपभोक्ताओं की श्रेणियों को युक्तिसंगत बनाना है।

उपभोक्ता हितों की रक्षा आयोग का मुख्य उद्देश्य है। विद्युत लोकपाल एवं उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों के ज़रिए शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान किया जाता है। इसी क्रम में, आयोग ने विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020

और भारत सरकार द्वारा बाद में किए गए संशोधनों के प्रावधानों के अनुरूप, जेईआरसी (उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच और लोकपाल) विनियम, 2024 भी जारी किए हैं।

उत्तरदायी और सहयोगात्मक विनियामक परिवेश बनाने के हमारे सतत प्रयास में, आयोग परामर्श, पारदर्शिता और हितधारक जुड़ाव, जन सुनवाई और विशेषज्ञों और उपभोक्ता निकायों के साथ जुड़ाव पर बल देता है।

जैसे–जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जेईआरसी ऐसे विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्ध है जो लचीला, समावेशी और भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो। हम ऐसा इकोसिस्टम बनाने की दिशा में काम करते रहेंगे जिसमें नवोन्मेष को प्रोत्साहित किया जाता हो, उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा हो और अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की उभरती ऊर्जा आकांक्षाओं को पूरा करें।

मैं विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के प्रति आभारी हूँ, जिसके बिना आयोग के लिए जनशक्ति जैसे अपने सीमित व दुर्लभ संसाधनों के ज़रिए बहुआयामी और चुनौतीपूर्ण कार्यों का प्रबंधन करना मुश्किल होता। मैं आयोग के समर्पित कर्मचारियों के प्रति भी उनके कर्तव्यों के निर्वहन में उनके अटूट समर्थन हेतु आभार व्यक्त करता हूँ।

अंत में, मैं सभी हितधारकों – उत्पादन, पारेषण एवं वितरण उपयोगिताओं, उपभोक्ताओं और उनके प्रतिनिधियों, आयोग के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों – नियमित व संविदात्मक – और राज्य सलाहकार समिति के प्रतिभागियों को उनकी भागीदारी, बहुमूल्य सुझावों और समर्थन हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपका सहयोग आयोग को संतुलित, उपभोक्ता–केंद्रित टैरिफ आदेश जारी करने और अपनी विनियामक जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन करने में सहायक रहा है।

इन्हीं विचारों के साथ, मैं गर्व के साथ वित्त वर्ष 2024–25 के लिए आयोग की सत्रहवीं वार्षिक रिपोर्ट पेश करता हूँ।

(आलोक टंडन)
अध्यक्ष

संक्षेपाक्षर

ACoS	आपूर्ति की औसत लागत
APR	वार्षिक निष्पादन समीक्षा
ARR	कुल आवश्यक राजस्व
APTEL	विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण
BESS	बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली
CERC	केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग
CGRF	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
DNHDDPCL	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव विद्युत निगम लिमिटेड
DNHDDPDCL	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
ED	विद्युत विभाग
FOIR	भारतीय नियामकों का मंच
FOR	नियामकों का मंच
FPPCA	ईंधन एवं विद्युत क्रय लागत समायोजन
FY	वित्तीय वर्ष
GoI	भारत सरकार
IAS	भारतीय प्रशासनिक सेवा
JERC	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)
MoP	विद्युत मंत्रालय
MYT	बहुवर्षीय टैरिफ
MoU	समझौता ज्ञापन
NHPC	राष्ट्रीय जल विद्युत निगम
PFC	विद्युत वित्त निगम
PPCL	पुडुचेरी विद्युत निगम लिमिटेड
PPA	विद्युत क्रय समझौता
PSU	सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
REC	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
RPO	नवीकरणीय क्रय दायित्व
RTI	सूचना का अधिकार
SAC	राज्य सलाहकार समिति
SECI	भारतीय सौर ऊर्जा निगम
SRPC	दक्षिणी क्षेत्रीय विद्युत समिति
T&D	पारेषण एवं वितरण
WRPC	पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत समिति

I. संगठनात्मक संरचना एवं प्रशासन

आयोग

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 83 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दो सदस्यीय 'संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग' का गठन किया, जिसे अधिसूचना संख्या 23/52/2003 – आर एंड आर दिनांक 2 मई, 2005 द्वारा अधिसूचित अनुसार 'संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग' के रूप में जाना जाएगा, जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। बाद में, गोवा राज्य के शामिल होने पर, आयोग को अधिसूचना संख्या 23/52/2003 – आर एंड आर (खंड II) दिनांक 30 मई, 2008 द्वारा अधिसूचित अनुसार 'गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग' के रूप में जाना जाने लगा। गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग ने अगस्त 2008 से कार्य करना शुरू कर दिया। आयोग का कार्यालय अभी हरियाणा के गुरुग्राम जिले में एक किराए के भवन में स्थित है।

इस वर्ष के दौरान, आयोग ने गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में अपनी निष्पक्ष, पारदर्शी एवं वस्तुनिष्ठ नियामक प्रक्रिया को जारी रखने का प्रयास किया है। आयोग की सत्रहवीं वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान आयोग द्वारा की गई गतिविधियों को दर्शाती है।

आयोग दो सदस्यीय आयोग है। अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत किसी भी जाँच या कार्यवाही के प्रयोजनार्थ, आयोग को अधिनियम की धारा 94 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचीबद्ध मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय को प्राप्त शक्तियों के समान ही शक्तियाँ प्राप्त हैं।

आयोग के समक्ष सभी कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही मानी जाएंगी और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय माना जाएगा। आयोग के पास उत्पादन कंपनियों और लाइसेंसधारियों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का मध्यस्थता और समाधान करने हेतु मध्यस्थ (मध्यस्थों) को नियुक्त करने या न्यायनिर्णयन करने की एकमात्र अधिकारिता है।

II. आयोग के कार्य और कर्तव्य

(i) अधिदेश

विद्युत अधिनियम, 2003 का उद्देश्य विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार एवं उपयोग से संबंधित कानूनों को समेकित करना और सामान्यतः विद्युत उद्योग के विकास हेतु अनुकूल उपाय करना, उनमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा सभी क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करना, विद्युत संबंधी शुल्कों को युक्तिसंगत बनाना, सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करना, कुशल व पर्यावरण के अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देना, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नियामक आयोगों का गठन और विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना करना है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के साथ–साथ विद्युत आपूर्तिकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए खुले, भेदभाव मुक्त, प्रतिस्पर्धी, बाजार चालित परिवेश में विद्युत क्षेत्र के विकास हेतु अनुकूल ढांचा तैयार करना भी है। इस संदर्भ में, विद्युत अधिनियम में परिकल्पित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है।

(ii) मिशन वक्तव्य

जेईआरसी (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) विद्युत अधिनियम, 2003 में संयुक्त नियामक आयोगों के लिए निर्दिष्ट सभी कार्यों को सभी हितधारकों के लिए कुशल, निष्पक्ष और विवेकपूर्ण तरीके से करने हेतु प्रतिबद्ध है।

विशेष रूप से, जेईआरसी यह सुनिश्चित करने का एक उपयुक्त नियामक ढांचा उपलब्ध करने हेतु प्रतिबद्ध है कि गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन व दीव, पुडुचेरी और लक्षद्वीप द्वीप समूह में विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्रों में विनियमित संस्थाएं विद्युत अधिनियम, 2003, संबंधित सरकारी नीतियों और इस आयोग द्वारा जारी विनियमन के ढांचे के भीतर उपभोक्ताओं के सर्वोत्तम हित में कुशलतापूर्वक, विवेकपूर्ण और उत्कृष्टम रूप से कार्य करें।

(iii) आयोग के कार्य

विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, जेईआरसी गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली, जम्मू–कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर) में एक ऐसे कुशल और आर्थिक रूप से व्यवहार्य विद्युत प्रणाली बनाने हेतु प्रतिबद्ध है, जिसमें सभी हित/धारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए किफायती दरों पर बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को पूरा किया जाए और पारदर्शिता, जवाबदेही, समानता के सिद्धांतों का पालन हो और अपने कार्यों के निर्वहन में, गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली, जम्मू–कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर) में लाइसेंस/धारियों और बिजली उत्पादन कंपनियों के हितों की रक्षा हो और साथ ही उपभोक्ताओं को उचित परिणाम प्राप्त हो। उपरोक्त लक्ष्य को हासिल करने के लिए, आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) के तहत निम्नलिखित कार्य करने का अधिदेश दिया गया है:–

क) राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर, जैसा भी मामला हो, होलसेल, थोक या खुदरा विद्युत के उत्पादन, आपूर्ति, पारेषण और व्हीलिंग हेतु टैरिफ निर्धारित करना: बशर्ते कि जहां धारा 42 के तहत कुछ उपभोक्ताओं को खुली पहुंच की अनुमति दी गई हो, संयुक्त आयोग उक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए केवल व्हीलिंग प्रभार और उस पर अधिभार, यदि कोई हो, निर्धारित करेगा

ख) वितरण लाइसेंसधारियों की विद्युत खरीद एवं अधिप्राप्ति प्रक्रिया को विनियमित करना, जिसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण और आपूर्ति के लिए बिजली की खरीद के समझौतों के माध्यम से उत्पादन कंपनियों या लाइसेंसधारियों या अन्य स्रोतों से बिजली की खरीद की जाने वाली कीमत भी शामिल है

ग) राज्यान्तरिक विद्युत पारेषण और व्हीलिंग की सुविधा प्रदान करना

घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में अपने परिचालन के संबंध में पारेषण लाइसेंसधारकों, वितरण लाइसेंसधारकों और विद्युत ट्रेडर्स के रूप में कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करना

ङ) ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी और किसी भी व्यक्ति को बिजली की बिक्री हेतु उपयुक्त उपाय प्रदान करके ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से बिजली के सह–उत्पादन और उत्पादन को बढ़ावा देना, और ऐसे स्रोतों से बिजली की खरीद के लिए वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत का प्रतिशत भी निर्दिष्ट करना

च) लाइसेंसधारियों और उत्पादन कंपनियों के बीच विवादों पर निर्णय करना और किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजना

छ) इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु शुल्क लगाना

ज) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्दिष्ट भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) के अनुरूप राज्य ग्रिड कोड निर्दिष्ट करना

झ) लाइसेंसधारियों द्वारा दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता के संबंध में मानकों को निर्दिष्ट या लागू करना

ञ) यदि आवश्यक समझा जाए तो बिजली के अंतर–राज्यीय ट्रेडिंग में ट्रेडिंग मार्जिन तय करना

ट) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे जाएं।

अधिनियम की धारा 86(2) के अनुसार, आयोग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले पर सलाह देगा, अर्थात:–

i) विद्युत उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता एवं मितव्ययिता का संवर्धन

ii) विद्युत उद्योग में निवेश का संवर्धन

iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत उद्योग का पुनर्गठन एवं पुनर्संरचना

iv) विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण और ट्रेडिंग से संबंधित मामले या सरकार द्वारा संयुक्त आयोग को भेजा गया कोई अन्य मामला।

धारा 86(3) के अनुसार, आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने कार्यों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा; और धारा 86(4) के अनुसार, अपने कार्यों के निर्वहन में आयोग विद्युत अधिनियम, 2003, राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना और टैरिफ नीति का पालन करेगा।

III. आयोग के सदस्यों का परिचय

वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट की अवधि के दौरान आयोग में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे

अध्यक्ष

श्री आलोक टंडन

अध्यक्ष (31 मार्च, 2023 जारी)

श्री आलोक टंडन ने 1986 में भारत की सर्वोच्च सिविल सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में सेवाभार संभाला और उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर आवंटित किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों में विभिन्न कार्यभार संभाले, जिनमें भारी उद्योग विभाग में संयुक्त सचिव और तीन जिलों – महाराजगंज, इलाहाबाद और वाराणसी के जिलाधिकारी शामिल हैं। वे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष–सह–मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त भी रहे।

श्री टंडन भारत सरकार में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर भी कार्यरत रहे हैं। 36 वर्षों की सेवा के पश्चात् 2022 में सेवानिवृत्त होने से पूर्व, उन्होंने वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव (अक्टूबर, 2011 से जून, 2016) और खनन मंत्रालय में सचिव (जनवरी, 2021 से सितंबर, 2022) के रूप में कार्य किया। सेवानिवृत्ति के पश्चात्, श्री टंडन ने 31 मार्च, 2023 को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए) में अध्यक्ष का सेवाभार संभाला।

श्री टंडन, आईआईटी–कानपुर (1984 बैच) से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (बी.टेक.) हैं और राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से सम्मानित हैं। उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय (2006) से लोक नीति में स्नातकोत्तर उपाधि हासिल की है और विश्व बैंक की रॉबर्ट एस. मैकनामारा फ़ेलोशिप के प्राप्तकर्ता हैं। इसके अलावा, उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएच.डी. की उपाधि भी हासिल की है। उन्हें वर्ष 2010 में यूके विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय द्वारा शेवनिंग गुरुकुल स्कॉलरशिप भी प्रदान की गई थी।

सदस्य

श्रीमती ज्योति प्रसाद
सदस्य (विधि) (6 दिसंबर , 2021 – जारी)

श्रीमती ज्योति प्रसाद ने 6 दिसंबर, 2021 को गोवा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग की सदस्य (विधि) का पदभार ग्रहण किया।

दिल्ली विश्वविद्यालय से विज्ञान एवं विधि में स्नातक श्रीमती ज्योति प्रसाद, दिल्ली उच्च न्यायालय में अधिवक्ता थीं। गोवा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग में सेवाभार संभालने से पहले, उन्होंने 28 वर्षों से अधिक समय तक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में सेवा की थी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने मध्यस्थता संबंधी मामलों, अनुबंध कानूनों, सेवा कानूनों, नियामक एवं सलाहकारी मुद्दों को संभालने में अहम योगदान दिया। उन्होंने कॉर्पोरेट केंद्र में विभिन्न विभागों के सलाहकारी मुद्दों को संभालने का भी कार्य किया है।

श्रीमती प्रसाद ने पीओएसओसीओ में भी कार्य किया और सीईआरसी के सभी विनियमों के साथ–साथ आरएलडीसी सहित पीओएसओसीओ के नियामक मुद्दों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने केंद्रीय पारेषण उपयोगिता (सीटीयू), कनेक्टिविटी प्रदान करने और पारेषण प्रणाली तक खुली पहुँच से संबंधित सभी नियामक मामलों में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। उन्हें सीईआरसी, एपीटीईएल, दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मामलों को भी संभालने का अनुभव है।

IV. आयोग की संगठनात्मक संरचना

कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या के आधार पर संगठन का चार्ट नीचे दर्शाया गया है:–

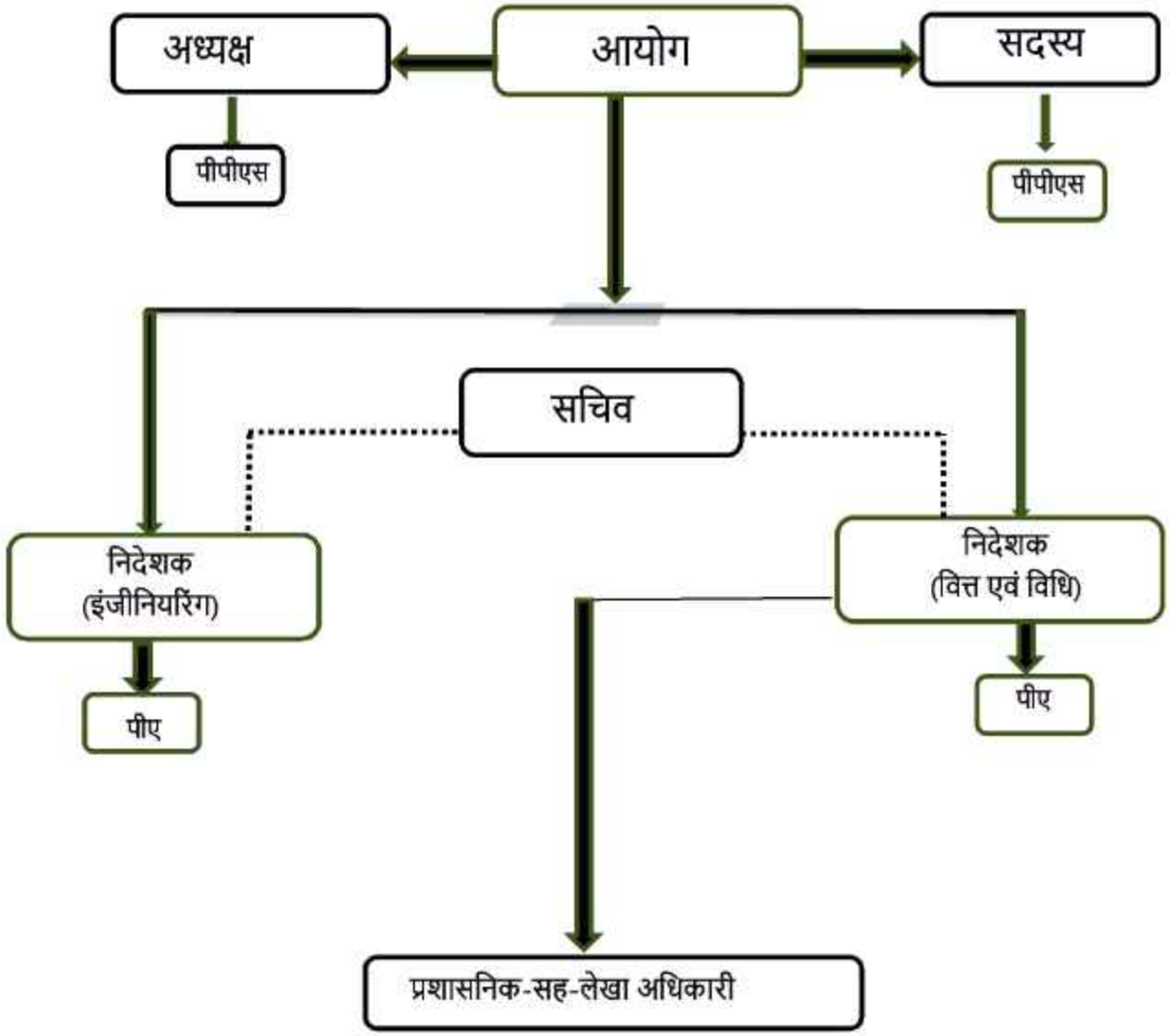

V. आयोग का कार्यालय

आयोग प्लॉट सं. 55–56, तीसरी और चौथी मंजिल, उद्योग विहार, फेज–IV, सेक्टर–18, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित एक किराए के परिसर में कार्य कर रहा है, जिसमें इसके कार्यों के संचालन हेतु सुनवाई की सुविधाओं के लिए उपयुक्त सम्मेलन कक्ष, बड़ा न्यायालय कक्ष और बेहतर कार्य स्थितियों की सुविधा उपलब्ध है।

(i) जन सुनवाई

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, आयोग ने अपने समक्ष लाए गए मामलों को हल करने हेतु 20 जन सुनवाई और अन्य सुनवाइयां आयोजित की हैं, जिनका विवरण अनुलग्नक 2 में दिया गया है।

(ii) वेबसाइट

आयोग के कार्यालय में कंप्यूटर सिस्टम लोकल एरिया नेटवर्क एलएएन (LAN) से जुड़े हैं। यह सिस्टम किसी भी संदर्भ में जानकारी तक पहुँचने हेतु उपयोगी है। आयोग की अपनी वेबसाइट www.jercuts.gov.in है, जिसका सचिवालय नियमित रूप से रखरखाव एवं अद्यतन करता रहता है। आयोग की वेबसाइट को और अधिक इंटरैक्टिव ग्राफिक यूज़र इंटरफ़ेस के साथ फिर से डिज़ाइन किया गया है।

वेबसाइट का उपयोग सुनवाई कार्यक्रम, खबरों, अद्यतन, विनियमों/याचिकाओं पर टिप्पणियां आमंत्रित करने हेतु नोटिस, आयोग के अधिसूचित विनियमों और आदेशों आदि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों और लोकपाल के बारे में भी जानकारी देती है और उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों के निवारण हेतु मार्गदर्शन प्रदान करती है।

(iii) डिजिटल वर्कस्पेसः ई–ऑफिस कार्यान्वयन

आयोग का कार्यालय पूरी तरह से डिजिटल है। ई–ऑफिस कार्यान्वयन से आयोग में पारदर्शिता एवं सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली बढ़ी है। निर्णयन लेने की गुणवत्ता और गति की निगरानी आसान हुई है। इससे जवाबदेही बढ़ाने और डेटा सुरक्षा एवं प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में मदद मिली है।

(iv) प्रशिक्षण

आयोग के कर्मचारियों ने विद्युत क्षेत्र में हो रहे नई गतिविधियों से खुद को अपडेट रखने हेतु प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में हिस्सा लिया है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, आयोग के कर्मचारियों ने निम्नलिखित प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं में भाग लियाः –

क्र.सं.	प्रशिक्षणध्कार्यशाला का विवरण	आयोजक	उपस्थित हुए प्रतिभागियों की संख्या	प्रशिक्षण का दिनांक
1	'मेगा सिटी/बड़े शहरों के लिए पारेषण/वितरण योजना' पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी) और सीआईजीआरई	01	26.04.2024
2	5वां वार्षिक इंडिया पावर सम्मेलन – स्वच्छ एवं टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ना – नामांकन हेतु अनुरोध–के संबंध में	एलेकोरे सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड	01	20.06.2024 से 21.06.2024 तक
3	उत्तरी क्षेत्र क्षमता सृजन कार्यशाला के लिए हितधारकों को निमंत्रण	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और एकीकृत अनुसंधान और विकास कार्रवाई (आईआरएडीई)	01	02.07.2024 से 03.07.2024 तक
4	"पंप्ड हाइड्रो पावर स्टोरेज – नवीकरणीय ऊर्जा के उच्च पैठ को समर्थन देने की आवश्यकता" विषय पर सम्मेलन में भाग लेने हेतु निमंत्रण	केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी)	01	25.07.2024 से 26.07.2024 तक

5	चार महीने के सर्टिफिकेट कोर्स "रेगुलेटरी गवर्नेंस" (हाइब्रिड मोड) – सातवें बैच के लिए आमंत्रित नामांकन	भारतीय विनियमन मंच (एफओआईआर)	02	ऑनलाइन पाठ्यक्रम (चार महीने का)
6	वितरण उपयोगिता बैठक (डीयूएम–2024)	उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)	01	14.11.2024 से 15.11.2024 तक
7	गोवा में "लचीले संगठनों का सृजनरू प्रतिकूल परिस्थितियों में सफलता की रणनीतियाँ" पर 3 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम	भारतीय विनियमन मंच (एफओआईआर)	01	18.12.2024 से 20.12.2024 तक
8	"पावर मार्केट इकोनॉमिक्स एंड ऑपरेशन" पर नियामक प्रमाणन कार्यक्रम (आरसीपी) के लिए नामांकन (ऑनलाइन)	ऊर्जा विनियमन केंद्र (सीईआर)	02	06.12.2024 से 22.12.2024 तक
9	"भारत का ऊर्जा परिवर्तनः सुरक्षा और चुनौतियां" के लिए 25वां नियामक एवं नीति निर्माता रिट्रीट (आरपीआर) 2025	भारतीय स्वतंत्र विद्युत उत्पादक संघ (आईपीपीएआई) (सीईए द्वारा समर्थित)	01	08.01.2025 से 11.01.2025 तक
10	"हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड बूस्टर स्टोरेज और जेन जेड लोड: विश्वसनीयता एवं मांग पक्ष की चुनौतियाँ" पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी	एसटीईएजी एनर्जी सर्विस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, सीईए, एनटीपीसी लिमिटेड के साथ संबद्ध।	02	24.01.2025
11	एनपीटीआई, फरीदाबाद के सहयोग से सीजीआरएफ और लोकपाल के लिए दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम – 2025	नियामक मंच (एफओआर) और एनपीटीआई	05	20.02.2025 से 21.02.2025 तक
12	साउथ एशिया फोरम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन (एसएएफआईआर) द्वारा आयोजित 03 दिवसीय "22वां कोर कोर्स"	दक्षिण एशिया अवसंरचना विनियमन मंच (एसएएफआईआर)	02	10.03.2025 से 12.03.2025 तक
13	गोवा में आरसीपी/आरपीओ अनुपालन निगरानी तंत्र के विकास और अन्य संबद्ध गतिविधियों पर कार्यशाला	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)	02	24.03.2025

(v) सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदकों को जानकारी प्रदान करने हेतु आयोग में एक सूचना का अधिकार सेल है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6 के तहत सात (07) आवेदन और कोई अपील प्राप्त नहीं हुई। सभी आवेदनों का निपटारा आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर किया गया।

(vi) संसदीय प्रश्न

वर्ष के दौरान, आयोग ने संसद सत्रों के दौरान विद्युत क्षेत्र, प्रशासन एवं स्थापना से संबंधित 15 प्रश्नों का उत्तर दिया है।

(vii) सतर्कता/अनुशासनात्मक मामले

वर्ष के दौरान, सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 में निहित प्रावधान के अनुसार जेईआरसी के अधिकारियों के खिलाफ तीन (03) अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है।

VI- 2024–25 के दौरान आयोग की गतिविधियाँ

(i) विनियम

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान निम्नलिखित विनियमों को अधिसूचित/संशोधित किया गया:

i. जेईआरसी (वितरण लाइसेंसधारियों के लिए प्रदर्शन का मानक) (पहला संशोधन) विनियम, 2024 दिनांक 12.06.2024 को अधिसूचित।

ii. जेईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2024 दिनांक 06.06.2024 को अधिसूचित।

iii. जेईआरसी (नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग पर आधारित सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम) (पहला संशोधन) विनियम, 2024 दिनांक 11.09.2024 को अधिसूचित।

iv. जेईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 दिनांक 11.09.2024 को अधिसूचित।

v. जेईआरसी (अंतर–राज्यीय पारेषण और वितरण में कनेक्टिविटी एवं ओपन एक्सेस) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 दिनांक 19.09.2024 को अधिसूचित।

vi. जेईआरसी (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम एवं लोकपाल) विनियम, 2024 दिनांक 27.08.2024 को अधिसूचित।

vii. जेईआरसी (उत्पादन, पारेषण एवं वितरण बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, 2024 20.11.2024 दिनांक को अधिसूचित।

viii. जेईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण की नियम व शर्तें) विनियम, 2024 दिनांक 20.11.2024 को अधिसूचित।

ix. जेईआरसी (चिकित्सा सुविधा) विनियम, 2024 दिनांक 20.11.2024 को अधिसूचित।

x. जेईआरसी (न्यायिक अधिकारी द्वारा जांच किए जाने से संबंधित) विनियम, 2024 दिनांक 17.02.2025 को अधिसूचित।

(ii) वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान एआरआर एवं टैरिफ निर्धारण पर जन सुनवाई

क्र.सं.	याचिका सं.	याचिकाकर्ता	मामला	सुनवाई की तिथि
1	118/2023	ईडी, लक्षद्वीप	वित्त वर्ष 2019–20 के लिए ट्रू–अप, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए एपीआर समीक्षा और वित्त वर्ष 2024–25 के लिए एआरआर और टैरिफ प्रस्ताव के लिए याचिका	14.05.2024
2	125/2024	ईडी, चंडीगढ़	इंजीनियरिंग विभाग, चंडीगढ़ के विद्युत विंग के लिए वित्त वर्ष 2021–22 के ट्रू–अप, वित्त वर्ष 2023–24 के एपीआर और वित्त वर्ष 2024–25 के एआरआर टैरिफ प्रस्ताव के लिए टैरिफ याचिका	21.06.2024

(iii) जन सुनवाई की झलकियाँः –

1. चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग विभाग के विद्युत विंग के वित्त वर्ष 2021–22 के ट्रू–अप, वित्त वर्ष 2023–24 के एपीआर और वित्त वर्ष 2024–25 के एआरआर टैरिफ प्रस्ताव हेतु 21.06.2024 को चंडीगढ़ में आयोजित टैरिफ याचिका पर जन सुनवाई।

2. आयोग ने 17 एवं 18 दिसंबर, 2024 को अपने मुख्यालय में नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) ईडी – अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की।

3. आयोग ने नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) ईडी – लक्षद्वीप के मामले में 17 और 18 दिसंबर, 2024 को अपने मुख्यालय में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की।

4. नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) ईडी– पुडुचेरी के मामले में 17 और 18 दिसंबर, 2024 को अपने मुख्यालय में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की।

5. नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) ईडी – गोवा के मामले में 17 और 18 दिसंबर, 2024 को जेईआरसी मुख्यालय में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की।

6. नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) ईडी–डीएनएचडीडीपीडीसीएल के मामले में 17 और 18 दिसंबर, 2024 को अपने मुख्यालय में स्वतः संज्ञान सुनवाई की।

7. नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) ईडी – चंडीगढ़ के मामले में 17 और 18 दिसंबर, 2024 को अपने मुख्यालय में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की।

(iv) वित्त वर्ष 2025–26 से वित्त वर्ष 2029–30 के लिए टैरिफ और वार्षिक राजस्व आवश्यकता का निर्धारण

आयोग ने वित्त वर्ष 2025–26 से 2029–30 तक अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन, पारेषण और वितरण उपयोगिताओं के लिए व्यवसाय योजना याचिका चौथी नियंत्रण अवधि को स्वीकार कर लिया। स्वीकृत व्यापार योजना याचिका का विवरण निम्नानुसार है: –.

क्र.सं.	याचिका सं.	याचिकाकर्ता	मामला	स्वीकार करने की तिथि
1	136 / 2025	पीपीसीएल	वित्त वर्ष 2025–26 से वित्त वर्ष 2029–30 तक चौथी नियंत्रण अवधि के लिए व्यापार योजना का अनुमोदन।	20.03.2025

एमवाईटी नियंत्रण अवधि 2025–26 से 2029–30 के लिए स्वीकृत ट्रू–अप और टैरिफ याचिकाओं का विवरण निम्नानुसार है: –

क्र.सं.	याचिका सं.	याचिकाकर्ता	मामला	स्वीकार करने की तिथि
1	137 / 2025	पीपीसीएल	नियंत्रण अवधि 2025–26 से 2029–30 के लिए पीपीसीएल गैस पावर स्टेशन (32.5 मेगावाट) के लिए एमवाईटी याचिका, साथ ही वित्त वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा, अनंतिम ट्रूइंग अप अभ्यास के बाद 01.4.2022 से 31.03.2023 की अवधि के लिए टैरिफ में संशोधन और अनंतिम ट्रूइंग अप अभ्यास के बाद 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के लिए टैरिफ में संशोधन – के संबंध में	28.03.2025

(v) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित प्रौद्योगिकियों के लिए सामान्य स्तरीय टैरिफ का निर्धारण

क्र.सं.	मामला	जारी करने का दिनांक
1	जेईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए नियम व शर्तें) विनियम, 2024 के विनियम 8 के तहत निर्दिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए सामान्य स्तरीय टैरिफ का निर्धारण	21.03.2025

(vi) जेईआरसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विद्युत उपयोगिताओं के महत्वपूर्ण मानदंड

जेईआरसी क्षेत्रों के लिए टैरिफ आदेशों के महत्वपूर्ण मानदंड (2024–26)						
	क्षेत्र					
मद	डीएनएचडीडीपीडीसीएल	पुदुचेरी	लक्षद्वीप	गोवा	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	चंडीगढ़
ऊर्जा बिक्री (एमयू)						
कुल ऊर्जा बिक्री	10687.06	3145.54	53.92	4860.87	298.47	1677.27
घरेलू (%)	3.17%	25.63%	69.95 %	30.47%	60.38%	48.75 %
वाणिज्यिक (%)	0.92%	6.57%	8.29 %	14.45%	23.15%	29.70 %
औद्योगिक (%)	95.47%	63.19%	0.85 %	50.03%	3.86%	14.81 %
कृषि (%)	0.06%	1.92%	-	0.90%	0.78%	0.09 %
अन्य (%)	0.36%	2.69%	20.91 %	4.15%	11.82%	6.65 %
उपभोक्ताओं की संख्या						
उपभोक्ताओं की कुल संख्या	105090	532213	28528	748713	157142	235114
घरेलू (%)	65.13%	76.15%	75.45 %	77.78%	83.66%	85.70 %
वाणिज्यिक (%)	8.48%	11.49%	19.18 %	15.16%	15.14%	11.70 %
औद्योगिक (%)	3.21%	1.15%	1.28 %	0.89%	0.27%	1.41 %
कृषि (%)	1.34%	1.35%	-	1.81%	0.39%	0.05 %
अन्य (%)	21.81%	9.87%	4.09 %	4.36%	0.54%	1.14 %
कनेक्टेड लोड (किलोवाट)						
कुल कनेक्टेड लोड	1545401	1,469,582	100620	3551846.92	470666	1682838
घरेलू (%)	7.6%	48.53%	75.09 %	55.98%	62.74%	55.96 %
वाणिज्यिक (%)	2.89%	11.41%	9.10 %	17.05%	29.44%	30.47 %
औद्योगिक (%)	87.99%	33.49%	3.45 %	23.07%	2.84%	10.68 %
कृषि (%)	0.6%	4.52%	-	1.48%	0.31%	0.05 %
अन्य (%)	0.8%	2.05%	12.36 %	2.42%	4.68%	2.84 %
टीएंडडी हानि (%)						
टी एंड डी हानि	2.99 %	10.50%	9.25 %	7.95%	11.91%	8.00 %
वित्तीय मानदंड						
कुल राजस्व आवश्यकता (करोड़ रुपये में)						
विद्युत क्रय लागत	5594.93	1825.12	192.62	2081.55	773.41	878.78
संचालन एवं रखरखाव लागत	111.08	86.68	50.55	489.94	268.54	154.75
शुद्ध एआरआर	5791.42	2009.48	259.09	2719.41	1080.90	1059.25
मौजूदा टैरिफ पर राजस्व	5507.56	1902.38	35.42	2510.11	252.22	860.54
स्टैंडअलोन अंतराल/ (अधिशेष)	283.86	107.1	223.67	209.31	828.68	198.71
पिछले वर्ष से अग्रेषित अंतर/ (अधिशेष)	116.85	611.77	-	0	0*	(120.63)

जेईआरसी क्षेत्रों के लिए टैरिफ आदेशों के महत्वपूर्ण मानदंड (2024–26)						
	क्षेत्र					
मद	डीएनएचडीडीपीडीसीएल	पुदुचेरी	लक्षद्वीप	गोवा	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	चंडीगढ़
टैरिफ संशोधन (-)	6.3%	7.94%	18.71 %	3.50%	20.80%	9.40 %
संशोधित टैरिफ पर अतिरिक्त राजस्व	400.8	149.23	6.63	87.27	52.45	80.85
नियामक अधिभार	-	197.24	-	0	0	0
शेष अंतर/(अधिशेष)	(547.52)	399.21	*	0*	0*	(2.77)
टैरिफ सारांश (रु./यूनिट)						
आपूर्ति की औसत लागत	5.53	6.39	48.05	5.59	5.59	6.32
औसत बिलिंग दर	5.53	6.52	7.80	5.34	5.34	5.61
ईवी वाहनों के लिए टैरिफ	5.10	5.75	7.80	4.75	4.75	4.07
टैरिफ सारांश (रु./यूनिट)						
घरेलू	2.75	4.31	5.48	3.5	3.5	5.12
वाणिज्यिक	4.71	9.41	9.80	6.34	6.34	6.19
औद्योगिक	एलटी–4-72 एलटी–5-70	7.31	15.85	6.12	6.12	6.14
सिंचाई, पंप व कृषि	1.01	0.86	-	2.57	2.57	2.77
एसीओएस का एहीआर :						
घरेलू	49.72%	67.47%	11.41 %	62.57%	62.57%	81.10 %
वाणिज्यिक	85.17%	147.27%	20.39 %	113.08%	113.08%	98.02 %
औद्योगिक	एलटी-85.35% एलटी-103.07%	114.45%	32.99 %	109.36%	109.36%	97.22 %
सिंचाई, पंप और कृषि	18.26%	13.44%	-	45.91%	45.91%	43.81 %

*स्टैंडअलोन अंतर/अधिशेष पर सरकार द्वारा सब्सिडी/अनुदान के माध्यम से सब्सिडी दी जाती है।

(vii) राज्य सलाहकार समिति की बैठकें

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 87 के अनुसार, जेईआरसी ने वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, विद्युत उपभोक्ताओं, गैर–सरकारी संगठनों और विद्युत क्षेत्र के शैक्षणिक एवं अनुसंधान निकायों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों वाली एक राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) का गठन किया है। समिति को निम्नलिखित मुद्दों पर विचार–विमर्श करने का अधिदेश दिया गया है:

i. नीति से जुड़े प्रमुख मामले

ii. लाइसेंसधारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता एवं सीमा से संबंधित मामले

iii. लाइसेंसधारियों द्वारा अपने लाइसेंस की शर्तों और अनिवार्यताओं का अनुपालन

iv. उपभोक्ता हितों का संरक्षण

v. विद्युत आपूर्ति और उपयोगिताओं द्वारा प्रदर्शन के समग्र मानक

आयोग ने इस वर्ष के दौरान 13.12.2024 को गोवा में 20वीं एसएसी बैठक आयोजित की।

एसएसी बैठक के दौरान निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई:–

- वित्त वर्ष 2024-25 हेतु जारी टैरिफ आदेशों की मुख्य बातें
- वित्त वर्ष 2024-25 में 20.10.2024 तक आयोग द्वारा संशोधित विनियमों पर चर्चा
- नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में विद्युत क्षेत्र में नवीनतम विकास पर चर्चा
- मांग लचीलापन एवं मांग पर चर्चा
- संसाधन पर्याप्तता पर चर्चा

20वीं एसएसी में भाग लेने वाले सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पद का नाम
1.	श्री आलोक टंडन	माननीय अध्यक्ष, जेईआरसी
2.	श्रीमती ज्योति प्रसाद	माननीय सदस्य (कानून), जेईआरसी
3.	श्री एस.डी. शर्मा	सचिव (प्रभारी), जेईआरसी
4.	श्री नील रतन	सदस्य
5.	श्री एस.के. सूनी	सदस्य
6.	श्री राजेश कुमार मेदिरत्ता	सदस्य
7.	श्रीमती नीरजा माथुर	सदस्य
8.	श्री एच.एल. बजाज	सदस्य
9.	श्री एम.जी. दुरईराज	सदस्य
10.	श्री के.सी. पारेख	सदस्य
11.	श्री सुनील इजारी	सदस्य
12.	श्री अनूप सिंह	सदस्य

(viii) वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान दायर याचिकाओं की स्थिति

01.04.2024 तक की याचिकाएँ	19
वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान प्राप्त याचिकाएँ	13
वित्त वर्ष 2024–25 में कुल याचिकाएँ	32
वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान निपटाई गई याचिकाएँ	27
31.03.2025 तक की याचिकाएँ	05

31.03.2025 तक लंबित याचिकाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	याचिका सं.	याचिका का विषय	याचिकाकर्ता
1	134/2025	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के अंतर्गत वितरणधपारेषण लाइसेंसधारी और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 16 के अंतर्गत वितरण/पारेषण लाइसेंसधारियों के लिए नियम व शर्तें निर्दिष्ट करना	स्वत: संज्ञान
2	135/2025	विनियम 9.6, 9.9 के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 86 के अंतर्गत विविध आवेदन, तथा जेईआरसी (कार्य संचालन) विनियम, 2009 के विनियम 78 और 79 के साथ पठित जेईआरसी विनियम, (अंतर–राज्यीय पारेषण एवं वितरण में कनेक्टिविटी और खुली पहुँच) 2017 के अन्य लागू प्रावधान	डीएनएचडीडीपीसीएल

3	136 / 2025	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (गोवा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) संबंधित दिशानिर्देशों के साथ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 62, 64 एवं 86 के अंतर्गत जेईआरसी द्वारा जारी (उत्पादन, पारेषण एवं वितरण बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, 2024 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025–26 से वित्त वर्ष 2029–30 तक के लिए एमवाईटी नियंत्रण अवधि हेतु व्यवसाय योजना की याचिका दाखिल करना	पीपीसीएल
4	137 / 2025	पीपीसीएल गैस पावर स्टेशन (32.5 मेगावाट) के लिए नियंत्रण अवधि 2025–26 से 2029–30 के लिए एमवाईटी याचिका, साथ ही वित्त वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा, अनंतिम ट्रूइंग–अप अभ्यास के बाद 01.4.2022 से 31.03.2023 की अवधि के लिए टैरिफ संशोधन और अनंतिम ट्रूइंग–अप अभ्यास के बाद 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के लिए टैरिफ संशोधन – विनियम	पीपीसीएल
5	138 / 2025	जेईआरसी (खुदरा आपूर्ति शुल्क संरचना) दिशानिर्देश 2024 के अनुसार नई उपभोक्ता श्रेणियों को शामिल करने के पश्चात् नियंत्रण अवधि वित्त वर्ष 2025–26 से वित्त वर्ष 2029–30 हेतु व्यापार योजना	ईडी, पुडुचेरी

(ix) विवाद एवं मतभेद न्यायनिर्णयन

विद्युत अधिनियम, 2003 की प्रस्तावना में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा का विशेष उल्लेख किया गया है। अधिनियम की धारा 42(5) में प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी द्वारा, आयोग द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार, उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु एक मंच की स्थापना का प्रावधान है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 42 की उप–धारा (6) में एक ऐसे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है जिसे लोकपाल के रूप में जाना जाता है, जिसकी नियुक्ति या नामांकन आयोग द्वारा किया जाएगा। कोई भी विद्युत उपभोक्ता जो उप–धारा (5) के अंतर्गत अपनी शिकायत के निवारण न होने से व्यथित है, अपनी शिकायत के निवारण हेतु लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन पेश कर सकता है।

गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) ने "जेईआरसी (उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच एवं लोकपाल) विनियम, 2024" नामक विनियम अधिसूचित किए हैं। ये विनियम गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में लागू हैं। ये विनियम उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों का प्रावधान करते हैं। ये विनियम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(क) उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की स्थापना

विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण लाइसेंसधारियों / विद्युत विभागों द्वारा स्थापित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) वर्तमान में सभी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिनका विवरण अनुलग्नक–1 में दिया गया है।

प्रत्येक सीजीआरएफ को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वितरण लाइसेंसधारी/विद्युत विभाग द्वारा प्रदान की गई विद्युत सेवाओं के संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों पर विचार करने का अधिकार है, सिवाय उन शिकायतों के जो विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत धारा 126 व 127 (बिजली का अनधिकृत उपयोग), धारा 135 से 139 (बिजली की चोरी और उसके अपराध व दंड), तथा धारा 161 (दुर्घटना आदि की सूचना) के अंतर्गत उत्पन्न होती हैं।

उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत दर्ज करने की आदर्श प्रक्रियाएँ सभी सीजीआरएफ को उपलब्ध करा दी गई हैं और ये जेईआरसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। सीजीआरएफ को सलाह दी गई है कि वे अपने द्वारा निर्धारित शिकायतों के निवारण की प्रक्रियाओं के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करें और विभिन्न बिल संग्रह केंद्रों और लाइसेंसधारियों के उप–मंडल/मंडल कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर, साथ ही अपनी वेबसाइटों पर भी इनका व्यापक प्रचार करें। यह भी सलाह दी गई है कि उचित प्रक्रियाओं की प्रतियाँ सीजीआरएफ और लाइसेंसधारियों के कार्यालयों में भी तैयार रखी जाएँ ताकि बिजली उपभोक्ता, यदि वे चाहें, तो अपनी जानकारी या ज्ञान के लिए, बिना किसी बाधा के इन्हें पा सकें।

वर्ष 2024–25 के दौरान सभी सीजीआरएफ के कामकाज की स्थिति रिपोर्ट नीचे दी गई है:

1. सीजीआरएफ – गोवा

पिछले वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	दो महीने से अधिक पुरानी लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष में सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
5	50	55	49	6	शून्य	19

2. सीजीआरएफ–चंडीगढ़

पिछले वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	दो महीने से अधिक पुरानी लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष में सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
3	37	40	35	5	शून्य	35

3. सीजीआरएफ–अंडमान और निकोबार

पिछले वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	दो महीने से अधिक पुरानी लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष में सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
12	64	76	72	4	शून्य	72

4. सीजीआरएफ–लक्षद्वीप

पिछले वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	दो महीने से अधिक पुरानी लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष में सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
शून्य	9	9	8	1	शून्य	10

5. सीजीआरएफ–दादरा और नगर हवेली और दमन व दीव

पिछले वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	दो महीने से अधिक पुरानी लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष में सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	53

6. सीजीआरएफ–पुडुचेरी

पिछले वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	दो महीने से अधिक पुरानी लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष में सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
15	86	101	86	15	12	55

सीजीआरएफ के सदस्यों को आयोग द्वारा "उपभोक्ता हितों के संरक्षण" पर आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशालाओं हेतु नामित किया जाता है। सीजीआरएफ के निम्नलिखित सदस्यों ने 20–21 फरवरी, 2025 के दौरान राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान परिसर, फरीदाबाद द्वारा आयोजित "उपभोक्ता हितों के संरक्षण" पर दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया:–

क्र.सं.	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) का नाम	अधिकारी का नाम	पद का नाम
1.	सीजीआरएफ–दादरा और नगर हवेली और दमन व दीव	श्री कमलेश आर शाह	स्वतंत्र सदस्य
2.	सीजीआरएफ–अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	श्रीमती बिजी थॉमस	स्वतंत्र सदस्य
3.	सीजीआरएफ–लक्षद्वीप	श्रीमती सुनिधा इस्माइल	स्वतंत्र सदस्य
4.	सीजीआरएफ–पुडुचेरी	श्री आर. कृष्णमूर्ति	स्वतंत्र सदस्य

(ख) विद्युत लोकपाल

आयोग ने गोवा राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, लक्षद्वीप द्वीप समूह और पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक विद्युत लोकपाल, एक वैधानिक प्राधिकरण नियुक्त किया है। सीजीआरएफ द्वारा अपनी शिकायत या विवाद का निवारण न किए जाने से व्यथित किसी भी उपभोक्ता के पास लोकपाल के समक्ष अपनी शिकायत या विवाद के निवारण हेतु अभ्यावेदन पेश करने का विकल्प है।

लोकपाल, प्रथम दृष्टया, शिकायतकर्ता और लाइसेंसधारी के बीच आपसी सहमति से सुलह या मध्यस्थता के ज़रिए विवाद को निपटाने का प्रयास करता है, जिसके असफल होने पर वह संबंधित पक्षों यानी उपभोक्ता और लाइसेंसधारी विभाग की दलीलों के आधार पर मेरिट के आधार पर विवादित मामले का निर्णय करता है।

लोकपाल को अभ्यावेदन पेश करने की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित कर आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गई है। इसे व्यापक प्रचार हेतु सीजीआरएफ और लाइसेंसधारियों को भी भेजा गया है।

वित्त वर्ष 2024–25 की शुरुआत में एक (01) अपील लंबित थी और वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान पच्चीस (25) अभ्यावेदन/अपीलें स्वीकार की गईं, कुल छब्बीस (26) अपीलों में से पच्चीस (25) अपीलों का निपटारा वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया गया:–

पिछले वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वर्ष में शिकायतों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	दो महीने से अधिक पुरानी लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष में बैठकों की संख्या
1	25	26	25	1	1	61

VII. उपभोक्ताओं को लाभ और क्षेत्र के विकास के संदर्भ में विनियामक प्रक्रिया के परिणाम

विनियमन नीति को लागू करने का मूल साधन है। जैसे–जैसे राष्ट्रीय नीतियां तेजी से बदलती और तेजी से अन्योन्याश्रित दुनिया की नई वास्तविकताओं के संदर्भ में परिवर्तित व विकसित होती हैं, नियमों में भी इनके मूल उद्देश्य की पूर्ति हेतु बदलाव करने की ज़रुरत होती है। बिजली क्षेत्र में नियामक व्यवस्था का उद्देश्य बिजली शुल्क को युक्तिसंगत बनाना, सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीतियां बनाना, कुशल व पर्यावरण अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देना है। ऐसा लाइसेंसधारियों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों पर बराबर ध्यान रखकर किया जा सकता है, जिससे निवेशकों को उचित लाभ मिलना सुनिश्चित करने और साथ ही उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का दोहरा उद्देश्य हासिल हो सके। पुनर्गठन एवं नियामक सुधार के मानक उपाय ऐसे नियम और प्रक्रियाएँ तय करना है जो नियामक अनिश्चितता को कम करें और स्थिर एवं परिवर्तनीय लागत की रिकवरी हेतु उचित टैरिफ प्रदान करें और दक्षता एवं प्रतिस्पर्धा को सुगम बनाने के लिए इक्विटी पर प्रतिफल को प्रोत्साहित करें। नियामकों को कई स्पष्ट और अंतर्निहित लक्ष्य दिए गए हैं जिन्हें अनेक बाधाओं के बावजूद हासिल किया जाना चाहिए। इसमें शामिल है:

- विनियमित एकाधिकार द्वारा प्रदान की गई सर्विसेज़ हेतु उपभोक्ताओं से कुल मिलाकर "उचित" मूल्य वसूलना (किराया निष्कर्षण लक्ष्य)
- एकाधिकार आपूर्तिकर्ता को अपनी सेवाएं कुशलतापूर्वक निष्पादित करने हेतु प्रेरित करना (आपूर्ति पक्ष दक्षता लक्ष्य)
- टैरिफ के स्तर और संरचना के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- विनियमित एकाधिकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के उपयोग के संबंध में कुशल उपयोग (उपभोग) निर्णय (मांग–पक्ष दक्षता लक्ष्य)
- विनियमित एकाधिकार क्षेत्र में अतिरिक्त पूँजी आकर्षित करने (और मौजूदा पूँजी स्टॉक को बनाए रखने में निवेश करने) के लिए आर्थिक परिवेश को पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करना ताकि समय के साथ आपूर्ति व माँग में संतुलन

बना रहे। इसके लिए नियामक ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं की ज़रुरत होती है जो विनियमित फर्म को ऐसे राजस्व का अनुमान लगाने में मदद करें जो कम से कम सेवाओं की आपूर्ति की (कुशल) लागतों को पूरा कर सकें, जिसमें निवेश पर प्रतिफल कम से कम फर्म की पूँजी लागत (पूँजी आकर्षण लक्ष्य या फर्म व्यवहार्यता बाधा) के बराबर हो। नियामक संस्थाओं की जवाबदेही ऊपर परिभाषित लक्ष्यों पर आधारित होती है।

हमें अपने विनियामक ढाँचे को लगातार सामंजस्यपूर्ण बनाने की जरूरत है, ताकि ऐसा परिवेश बनाया जा सके, जहाँ इस प्रकार का उद्योग अपने इच्छित तरीके से विकसित हो सके।

जेईआरसी (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं और उत्पादन / पारेषण एवं वितरण कंपनियों के बीच एक अच्छा संतुलन बनाना है, साथ ही सभी हितधारकों के प्रति निष्पक्ष, पारदर्शी और तटस्थ रहना है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और क्षेत्र के विकास हेतु आयोग द्वारा वर्ष के दौरान की गई पहल नीचे दी गई हैं:

1. उपभोक्ताओं को लाभ

(क) वितरण और पारेषण व्यवसाय के लिए विनियमन

आयोग ने जेईआरसी **(उत्पादन, पारेषण और वितरण बहु वर्षीय टैरिफ) विनियम, 2024** को अधिसूचित किया है, जिससे वित्त वर्ष 2025–26 से वित्त वर्ष 2029–30 तक की नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ ढाँचे की रूपरेखा तैयार होता है, जो खुदरा उपभोक्ताओं के लिए इस पूरी अवधि में टैरिफ स्थिर रखकर नियामक निश्चितता देती है। यह विनियमन निगरानी को सुव्यवस्थित करने हेतु पिछली वार्षिक निष्पादन समीक्षा के बजाय एक मध्यावधि समीक्षा प्रक्रिया शुरू करने का काम है, साथ ही वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर समायोजन के लिए वार्षिक ट्रू–अप प्रावधानों को बरकरार रखता है। इसके अलावा, आयोग ने टैरिफ सर्कल के दौरान रणनीतिक योजना और जवाबदेही सुनिश्चित करने, स्थिर टैरिफ व अधिक पूर्वानुमानित बिजली कीमतों के लिए, और बार–बार बढ़ोतरी से बचने हेतु नियंत्रण अवधि की शुरुआत में एक पंचवर्षीय व्यावसायिक योजना को अनुमोदित करने का आदेश दिया है।

आयोग ने विद्युत विश्वसनीयता में सुधार लाने तथा लाइसेंसधारक द्वारा मानक का अनुपालन न करने पर उपभोक्ता को स्वतः मुआवजा प्रदान करने के लिए **संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाइसेंसधारियों के लिए निष्पादन मानक) (पहला संशोधन) विनियम, 2024** को अधिसूचित किया है।

आयोग ने **जेईआरसी (नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग पर आधारित सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम) (पहला संशोधन) विनियम, 2024** को अधिसूचित कर दिया है। 10 किलोवाट तक की सौर रूफटॉप प्रणाली हेतु आवेदन बिना किसी तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन के स्वीकार किए जाएँगे और अन्य आवेदनों के लिए, तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन 15 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

आयोग ने **जेईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024** को अधिसूचित किया है। नए बिजली कनेक्शन या लोड बढ़ाने के अनुरोधों के लिए जहां आपूर्ति मौजूदा नेटवर्क से की जा सकती है, समय–सीमा क्षेत्र के अनुसार भिन्न होती है: मेट्रो शहरों में पूरी तरह से भरे हुए आवेदन मिलने के 3 दिनों के भीतर, शहरी या नगरपालिका क्षेत्रों में 7 दिनों के भीतर, ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिनों के भीतर और ग्रामीण द्वीप क्षेत्रों में 30 दिनों के भीतर कनेक्शन प्रदान करना होगा। हालांकि, अगर आपूर्ति हेतु एक्सटेंशन का काम करने, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने, या नए सबस्टेशनों को चालू करने जैसे बुनियादी ढांचे के उन्नयन की आवश्यकता होती है,

तो उन कार्यों के पूरा होने पर तुरंत बिजली की आपूर्ति की जानी चाहिए, जिसकी अधिकतम स्वीकार्य अवधि 90 दिन है। साथ ही, उपभोक्ताओं को उनके अनुबंधित भार और उपयोग के आधार पर निम्न तनाव (एलटी), उच्च तनाव (एचटी), और अतिरिक्त उच्च तनाव (ईएचटी) आपूर्ति प्रणालियों में वर्गीकृत किया गया है। एलटी आपूर्ति में 5 किलोवाट तक के प्रतिष्ठानों (कृषि सेवाओं को छोड़कर) के लिए 220वॉट/230वॉट पर सिंगल–फेज़ कनेक्शन और 5 किलोवाट से अधिक और 100 केवीए तक के भार हेतु 440वॉट पर थ्री–फेज़, 4–वायर सिस्टम (आमतौर पर सिंचाई और कृषि सेवाओं के लिए) शामिल हैं। एलटी आपूर्ति के अंतर्गत ईवी चार्जिंग स्टेशन 440वॉट पर 167 केवीए (150 किलोवाट) तक संचालित हो सकते हैं। एचटी आपूर्ति 100 केवीए से अधिक और 5000 केवीए तक के भार वाले उपभोक्ताओं को 6.6 केवी से 33 केवी तक के वोल्टेज पर, 167 केवीए से अधिक के ईवी स्टेशनों सहित, सेवा प्रदान करती है। ईएचटी आपूर्ति 5000 केवीए से अधिक, 66 केवी और उससे अधिक पर संचालित प्रतिष्ठानों पर लागू होती है, जो आमतौर पर बड़े औद्योगिक या वाणिज्यिक कार्यों के लिए होती है।

आयोग ने जेईआरसी (उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच और लोकपाल) विनियम, 2024 अधिसूचित किए हैं। उप–विभाग, संभाग, मंडल, क्षेत्र, कंपनी स्तर की ज़रुरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सीजीआरएफ का गठन किया जाएगा। फोरम में लाइसेंसधारी के अधिकारी शामिल होंगे और अधिकतम 4 सदस्य होंगे। आयोग उपभोक्ता मामलों से परिचित एक स्वतंत्र सदस्य को नामित करेगा। आयोग, निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का निपटारा करने हेतु लाइसेंसधारी को अतिरिक्त सीजीआरएफ बनाने का निर्देश दे सकता है।

(ख) टैरिफ युक्तिकरण में सुधार

- आयोग ने जेईआरसी (खुदरा आपूर्ति शुल्क संरचना) दिशानिर्देश 2024 जारी किया है। इस आयोग के तहत गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में वर्तमान उपभोक्ता शुल्क संरचना न केवल कई श्रेणियों के साथ बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में समान उपयोग हेतु अलग–अलग श्रेणियों, विभिन्न नियमों और शर्तों के साथ–साथ विभिन्न वितरण उपयोगिताओं में समान उपभोक्ता श्रेणियों के लिए विविध शुल्कों के साथ बहुत जटिल रही है, इस आयोग के गठन से पहले कुछ उपभोक्ता खंडों के असंगत वर्गीकरण और गैर–समान नियम व शर्तों के साथ–साथ इस आयोग के तहत वितरण उपयोगिताओं में विविध शुल्क थे। ऐसा साल दर साल चलता रहा है। खुदरा टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाने हेतु इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत सरल और एक समान उपभोग श्रेणियां/उप–श्रेणियां और उपयोग, वोल्टेज स्तर, अनुबंधित भार, खपत, आदि, आपूर्ति के नियम और शर्तों के साथ–साथ इस आयोग के अधिकार क्षेत्र के तहत सभी वितरण उपयोगिताओं में विविध शुल्कों पर आधारित टैरिफ संरचना बनाई गई है।

(ग) उपभोक्ता जागरूकता और शिक्षा

- आयोग ने टैरिफ आदेशों में उपभोक्ताओं के बीच विद्युत सुरक्षा एवं उपभोक्ता शिकायत निवारण से संबंधित जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वितरण लाइसेंसधारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने कार्यालय कर्मियों को प्रशिक्षण दें और चिन्हित किए गए क्षेत्रों में नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर रखरखाव का कार्य करें।

2. क्षेत्र का विकास

(क) टैरिफ विनियमन

- आयोग ने जेईआरसी (उत्पादन, पारेषण और वितरण बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, 2024 को अधिसूचित किया। बहुवर्षीय टैरिफ (एमवाईटी) ढाँचा पाँच वर्षों की अवधि में एक स्थिर और पूर्वानुमानित टैरिफ परिवेश बनाकर

कई लाभ देता है जिससे उपयोगिताओं, उपभोक्ताओं और नियामकों, सभी को समान रूप से लाभ होता है। उपयोगिताओं को वित्तीय स्पष्टता और परिचालन प्रोत्साहन मिलता है, जिससे उन्हें दक्षता में सुधार करने और दीर्घकालिक निवेश की योजना बनाने में मदद मिलती है, जबकि उपभोक्ताओं को लागत संरचनाओं में अधिक सुसंगत मूल्य निर्धारण और पारदर्शिता का लाभ मिलता है। नियामक वार्षिक अनुमोदनों से रणनीतिक निरीक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे पूरे विद्युत क्षेत्र में जवाबदेही और प्रदर्शन बेंचमार्किंग को बढ़ावा मिलता है। कुल मिलाकर, एमवाईटी मॉडल से दक्षता बढ़ती है, नियामक बोझ कम होता है, और अधिक लचीले और उत्तरदायी ऊर्जा इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलता है।

(ख) हरित ऊर्जा तक ओपन एक्सेस

- आयोग ने जेईआरसी (अंतर–राज्यीय पारेषण एवं वितरण में कनेक्टिविटी और खुली पहुंच) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 को अधिसूचित किया है। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस से उपभोक्ताओं को न्यूनतम 100 किलोवाट के स्वीकृत लोड या अनुबंधित मांग के साथ विभिन्न तरीकों से स्वच्छ ऊर्जा चुनने का अधिकार मिलता है, जैसे कि अपना स्वयं का नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना, डेवलपर के साथ बिजली खरीद समझौता करना, कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित करना, आरई प्रमाणपत्र प्राप्त करना, या ग्रीन हाइड्रोजन या अमोनिया खरीदना। नोडल एजेंसी द्वारा प्रबंधित एक केंद्रीकृत पोर्टल इसको सुविधाजनक बनाता है, और संबंधित प्राधिकरणों एसटीयू या सीटीयू द्वारा दीर्घकालिक और मध्यम अवधि की पहुंच के लिए और एसएलडीसी द्वारा अल्पकालिक पहुंच के लिए 15 दिनों के भीतर अनुमोदन अनिवार्य है। विशेष रूप से, इस ढांचे के तहत हरित ऊर्जा का उपयोग करते समय कैप्टिव उपभोक्ताओं को आपूर्ति सीमाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज (सीएसएस) उत्पादन संयंत्र के चालू होने की तारीख से 12 वर्षों तक अपने प्रारंभिक वर्ष के मूल्य के 50: से अधिक नहीं हो सकता। इसके अलावा, सीएसएस और अतिरिक्त सरचार्ज दोनों को कुछ मामलोंरू जब अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों से बिजली योग्य हरित ऊर्जा उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाती है, जब कैप्टिव उत्पादन संयंत्र मालिकों को वितरण पहुँच प्रदान की जाती है, और जब हरित ऊर्जा का उपयोग हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया के उत्पादन के लिए किया जाता है, में माफ कर दिया जाता है। इसके अलावा, दिसंबर 2032 तक चालू अपतटीय पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाली परियोजनाओं को अतिरिक्त सरचार्ज से छूट दी गई है, जिससे विविध स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों हेतु प्रोत्साहन को बल मिलता है।

(ग) नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन

- आयोग ने जेईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2024 को अधिसूचित किया है। इससे उपयोगिता हेतु आरपीओ अनुपालन का अनुमान वित्त वर्ष 2024–25 के 29.91% से बढ़कर वित्त वर्ष 2029–30 के लिए 43.33% हो जाएगा।
- आयोग ने जेईआरसी (नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग पर आधारित सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम) (पहला संशोधन) विनियम, 2024 को अधिसूचित किया है। संशोधित नियमों के तहत, 5 किलोवाट से 500 किलोवाट तक के ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर सिस्टम विभिन्न नेट मीटरिंग तंत्र जैसे नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग (वीएनएम) हेतु पात्र बने रहेंगे, जबकि 500 किलोवाट से अधिक के सिस्टम अब नेट बिलिंग या नेट फीड–इन जैसे वैकल्पिक मॉडल के तहत जोड़े जा सकते हैं। इन उन्नत तंत्र में ग्रिड से आयातित और प्रोस्यूमर के सौर इंस्टॉलेशन से निर्यात की गई ऊर्जा दोनों को रिकॉर्ड करने के लिए एकल

द्विदिश ऊर्जा मीटर का उपयोग किया जाता है, प्रत्येक प्रवाह के लिए अलग–अलग टैरिफ लागू करते हैं जिससे लचीलापन बढ़ता है और संरचित मुआवजे के साथ बड़े पैमाने पर सौर अपनाने को प्रोत्साहन होता है।

- आयोग ने जेईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए नियम व शर्तें) विनियम, 2024 को अधिसूचित किया है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण हेतु नियम और शर्तें विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए टैरिफ निर्धारित करने, पारदर्शिता, स्थिरता और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने हेतु एक व्यापक ढांचा स्थापित करती हैं। ये विनियम पात्रता मानदंड तय करते हैं, नियंत्रण अवधि को तय करते हैं, और पूंजीगत लागत, इक्विटी पर रिटर्न, मूल्यह्रास और संचालन व रखरखाव व्यय जैसे वित्तीय मापदंडों को रेखांकित करते हैं। ये नियम फर्म और गैर–फर्म ऊर्जा स्रोतों के बीच अंतर भी करते हैं, तकनीक–विशिष्ट मानक प्रदान करते हैं, और ग्रिड कनेक्टिविटी और निकासी बुनियादी ढांचे में स्पष्टता को बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप और प्रतिस्पर्धी खरीद को प्रोत्साहित करके, इन नियमों का उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करते हुए और ग्रिड स्थिरता बनाए रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाना है।

(घ) ईवी चार्जिंग स्टेशन का संवर्धन

- आयोग ने जेईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 को अधिसूचित कर दिया है। ईवी चार्जिंग स्टेशन निम्न दाब (एलटी) आपूर्ति प्रणाली पर संचालित होते हैं। विशेष रूप से, यदि अनुबंधित भार 5 किलोवाट से अधिक है, लेकिन 167 केवीए (या 150 किलोवाट) से अधिक नहीं है, तो स्टेशन को 440 वोल्ट पर 3–फेज, 4–वायर कनेक्शन के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की जानी चाहिए। इस व्यवस्था से एलटी वर्गीकरण सीमा के भीतर रहते हुए पर्याप्त बिजली वितरण सुनिश्चित होता है, जिसे उच्च वोल्टेज प्रणालियों की आवश्यकता के बिना मध्यम–स्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे का समर्थन करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।

(ङ) निगरानी और प्रवर्तन

- लाइसेंसधारियों के कार्य–निष्पादन की निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके लाइसेंस की शर्तों व नियमों का पालन हो रहा है। इसमें विश्वसनीय और कुशल सेवा सुनिश्चित करने हेतु कार्य–निष्पादन मानकों और विनियमों का प्रवर्तन शामिल है।

(च) ऊर्जा की चोरी पर अंकुश लगाना

- आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को विगत दशक में परिवहन एवं वितरण घाटे को काफी हद तक कम करने के निर्देश दिए हैं।

VIII. आयोग के समक्ष प्रमुख चिंताएँ

1. एटीएंडसी हानियों में कटौती एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति

- एटीएंडसी हानियों में कमी और विश्वसनीय, उच्च–गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति हमेशा से आयोग की प्राथमिकता रही है। आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उचित ऊर्जा लेखांकन एवं हानि के आकलन का निर्देश दिया है।

2. लाइसेंसधारियों के प्रदर्शन का मानक

- आयोग लाइसेंसधारियों के कार्य निष्पादन पर निगरानी रखता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके लाइसेंस की शर्तों और नियमों का अनुपालन हो रहा है।

3. विवाद समाधान

- विद्युत क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के बीच विवादों का समाधान, जैसे कि उपभोक्ताओं और उपयोगिताओं के बीच या विभिन्न उपयोगिताओं के बीच विवाद, आयोग के समक्ष एक प्रमुख मुद्दा है। आयोग लाइसेंसधारियों और उत्पादन कंपनियों के बीच विवादों का निपटारा करता है और किसी भी विवाद को मध्यस्थता हेतु भेजता है, जिससे नियामक परिवेश स्थिर और पूर्वानुमानित बनता है।

4. नीति और निर्णयन

- आयोग ने वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, विद्युत उपभोक्ताओं, गैर–सरकारी संगठनों और विद्युत क्षेत्र के शैक्षणिक एवं अनुसंधान निकायों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों वाली एक राज्य सलाहकार समिति का गठन किया है। समिति को निम्नलिखित मुद्दों पर विचार–विमर्श करने का अधिदेश दिया गया है:

i. नीति के प्रमुख प्रश्न;

ii. लाइसेंसधारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और सीमा से संबंधित मामले;

iii. लाइसेंसधारियों द्वारा अपने लाइसेंस की शर्तों और अनिवार्यताओं का अनुपालन;

iv. उपभोक्ता हितों का संरक्षण;

v. विद्युत आपूर्ति और उपयोगिताओं द्वारा प्रदर्शन के समग्र मानक।

IX लाइसेंसधारी, निवेश, अनुमोदन आदि

(क) लाइसेंस/छूटः

संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु भारत सरकार के श्आत्मनिर्भर भारत अभियानश के तहत, बिजली वितरण में निजी क्षेत्र की दक्षता का इस्तेमाल करने के लिए, बिजली वितरण उपयोगिताओं का निजीकरण करके केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण और खुदरा आपूर्ति में सुधार करना, नियोजित प्रमुख उपायों में से एक था।

तदनुसार, चंडीगढ़ इंजीनियरिंग विभाग (ईडब्ल्यूईडीसी) के विद्युत विंग का निजीकरण किया गया है। यह कदम परिचालन दक्षता बढ़ाने, नवोन्मेष को बढ़ावा देने और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के निवासियों तथा व्यवसायों को विश्वस्तरीय विद्युत सेवाएँ प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके तहत, चंडीगढ़ में निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें मेसर्स एमिनेंट पावर कंपनी लिमिटेड सफल बोलीदाता रहा। यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 131, 133 और 134 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग के विद्युत विंग ("ईडब्ल्यूईडीसी") की परिसंपत्तियों, देनदारियों, हितों, अधिकारों, कार्यों, दायित्वों, कार्यवाहियों और कर्मियों के साथ–साथ बिजली वितरण और खुदरा आपूर्ति कार्यों को 01.02.2025 ("स्थानांतरण तिथि") को चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ("वितरण कंपनी") को हस्तांतरित करने के लिए अनंतिम "चंडीगढ़ विद्युत सुधार हस्तांतरण योजना, 2025" ("स्थानांतरण योजना") को अधिसूचित किया है।

(ख) निवेश अनुमोदन– पारेषण और वितरण योजनाएं

आयोग ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वितरण उपयोगिताओं द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के लिए निम्नलिखित पूंजीगत व्यय को मंजूरी दी।

क्र.सं.	डिस्कॉम का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़ में)
1.	विद्युत विभाग–अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	72.88
2.	विद्युत विभाग – लक्षद्वीप	11.50
3.	विद्युत विभाग– गोवा	256.25
4.	बिजली विभाग–चंडीगढ़	37.26
5.	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।	400.22
6.	पुडुचेरी विद्युत विभाग	160.16

ध्यान दें: लक्षद्वीप और चंडीगढ़ से संबंधित पूंजीगत व्यय डेटा तीसरे एमवाईटी बिजनेस प्लान ऑर्डर के अनुसार है।

(ग) विद्युत खरीद समझौते

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान स्वीकृत पीपीए की सूची इस प्रकार है: –

क्र.सं.	डेवलपर/विक्रेता का नाम	क्षमता (मेगावाट)	प्रकार	डिस्कॉम/खरीदार का नाम
1.	मेसर्स सुधीर सेल्स एंड सर्विस लिमिटेड	10	डीजल उत्पादन	ईडी–अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
2.	मेसर्स एक्सप्रेस जेनसेट्स कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड	02		
3.	मेसर्स मॉडर्न हायरिंग सर्विसेज	05		

X. सब्सिडी कार्यक्रम (लाभार्थियों को आवंटन)

सब्सिडी कार्यक्रम केंद्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा तैयार किए जाते हैं। आयोग अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उपयोगिताओं के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय उपयुक्त सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी या अनुदान को ध्यान में रखता है।

XI वित्तीय वर्ष 2024–25 के वार्षिक खातों पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

दिनांक.....

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय,
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली – 110001

विषयः संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) के वर्ष 2024–25 के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए) के वर्ष 2024–25 के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2024–25 के वार्षिक लेखों के साथ, संलग्न रूप से प्रेषित कर रहा हूँ।

पृथक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखों को आयोग द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात् कृपया संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाए।

संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों की दो प्रतियाँ तथा इन दस्तावेजों को दोनों सदनों में पेश किए जाने की तिथि की सूचना कृपया इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।

भवदीय

हस्ता/–
(प्रमोद कुमार)
अपर उप महानियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (ऊर्जा)

अनुलग्नकः उपरोक्तानुसार

पाँचवा, छठा, सातवाँ एवं दसवाँ तल, सी.ए.जी. बिल्डिंग, एनैक्सी, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110002
5th, 6th, 7th & 10th Floor, C.A.G. Building Annexe, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Tel.: 011-23239213,011-23239211, Email : pdaenergydl.cag@nic.in / dgaenergydl@cag.gov.in

संख्या.: डीजीए(ऊर्जा) / आरईपी / 01–174 / एसीएस–जेईआरसी / 2025–26 / 212 दिनांक: 28 / 11 / 2025

अध्यक्ष, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए), तृतीय एवं चतुर्थ तल, प्लॉट संख्या 55–56, फ़ेज IV, उद्योग विहार, सेक्टर 18, गुरुग्राम– 122015

(प्रमोद कुमार)
अपर उप महानियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (ऊर्जा)

अनुलग्नक: उपरोक्तानुसार

भारत के महालेखापरीक्षक एवं नियंत्रक द्वारा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए) के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लेखाखातों पर राय

मत

हमने संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए) के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण तथा उस वर्ष के आय और व्यय खाता/रसीद और भुगतान खाता शामिल है, साथ ही वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ तथा महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार भी सम्मिलित है, जिसका लेखा परीक्षण महालेखापरीक्षक एवं नियंत्रक (कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(2) के अंतर्गत किया गया है।

इस लेखा परीक्षण प्रतिवेदन भारत के महालेखापरीक्षक एवं नियंत्रक (सीएजी) की केवल लेखा उपचार से संबंधित टिप्पणियाँ शामिल हैं, जो वर्गीकरण, श्रेष्ठ लेखा पद्धतियों से अनुरूपता, लेखा मानकों, प्रकटीकरण मानदण्डों आदि से जुड़ी हैं। विधि, नियम तथा विनियमों (ऑचित्य एवं नियमितता) के अनुपालन तथा कार्यकुशलता और प्रदर्शन से संबंधित वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षण टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, निरीक्षण प्रतिवेदनों/सीएजी के लेखा प्रतिवेदनों में पृथक रूप से प्रस्तुत की जाती हैं।

हमारी राय में, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) के संलग्न वित्तीय विवरण, उनसे संबंधित लेखा नीतियों और टिप्पणियों तथा इसके आगे प्रस्तुत पृथक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों को साथ में पढ़ने पर, 31 मार्च 2025 को इस स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति तथा उस वर्ष की वित्तीय प्रगति एवं नगद प्रवाह का वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं जोकि भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत एकरूप लेखा प्रारूप/लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

राय का आधार

हमने अपना लेखा परीक्षण सीएजी के लेखा परीक्षण विनियमोंध मानकोंध पुस्तिकाओंध दिशा–निर्देशोंध मार्गदर्शक–टिप्पणियोंध आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार किया है। हमारी जिम्मेदारियों का विवरण हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण हेतु लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ खंड में दिया गया है। हम इस स्वायत्त निकाय से वित्तीय विवरण ों के लेखा परीक्षण से संबंधित नैतिक अनिवार्यताओं के अनुसार स्वतंत्र हैं तथा इन अनिवार्यताओं के अनुरूप अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का पालन भी कर चुके हैं। हमें विश्वास है कि प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य हमारे अभिमत का आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ:

जेईआरसी का प्रबंधन वित्तीय विवरणों को तैयार कराने और उनके निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु जिम्मेदार है, जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत एकरूप लेखा प्रारूपध स्वायत्त निकायों पर लागू प्रारूपध लेखा मानकों के अनुरूप हों, तथा उन आंतरिक नियंत्रणों हेतु भी जिम्मेदार है जिन्हें प्रबंधन ऐसे आवश्यक मानता है, ताकि वित्तीय विवरणों की तैयारी किसी भी प्रकार की महत्त्वपूर्ण त्रुटि, चाहे वह कदाचार से हो या भूल से, से मुक्त रूप में की जा सके।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण हेतु लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करने हेतु यथोचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण संपूर्ण रूप से किसी भी महत्त्वपूर्ण त्रुटि, चाहे वह कदाचार के कारण हो या भूल के कारण, से मुक्त हैं, तथा सीएजी के लेखा परीक्षण विनियमों/मानकोंध पुस्तिकाओंध दिशा–निर्देशोंध मार्गदर्शक–टिप्पणियोंध आदेशोंध परिपत्रों आदि के अनुसार हमारे अभिमत सहित लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन जारी करना है।

भारत के महालेखापरीक्षक एवं नियंत्रक की ओर से

(प्रमोद कुमार)
अपर उप महानियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (ऊर्जा)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28/11/2025

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए) के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

क. आय और व्यय लेखा

अन्य आय (अनुसूची–18)रू ₹94.33 लाख

उपरोक्त में पूर्व अवधि की आय ₹39.56 लाख शामिल है, जो लाइसेंस शुल्क और अधिभारधपिछले वित्तीय वर्षों की ब्याज प्राप्तियों से संबंधित है, जिन्हें 'अन्य आय' के अंतर्गत रखने के बजाय 'शुल्क और सदस्यता' (अनुसूची 14) के अंतर्गत रखा जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप 'अन्य आय' वास्तविक से अधिक दिखाई गई और 'शुल्क तथा सदस्यता' वास्तविक से कम दिखाई गई, दोनों में ₹39.56 लाख का अंतर हो गया।

ख.1 वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ (टिप्पणी संख्या 24)

जेइआरसी की अनुसूची–IX (गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए, वार्षिक लेखा विवरण और अभिलेख) नियम 2016 के अनुसार, यदि किसी लेखा नीति में ऐसा परिवर्तन किया जाए जिसका वर्तमान वर्ष पर महत्वपूर्ण असर पड़े, या आगे के वर्षों पर पड़ने की उचित संभावना हो, तो उसका प्रकटीकरण करना जरूरी है।

वर्ष 2024–25 में जेइआरसी ने लाइसेंस शुल्क और याचिका शुल्क के लेखांकन से संबंधित अपनी नीति को नकद आधार से उपार्जन आधार में बदल दिया। लेकिन इस परिवर्तन और इसके प्रभाव के बारे में टिप्पणियों में कोई जानकारी नहीं दी गई।

इस प्रकार, 'वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ' इस संदर्भ में अपूर्ण या अधूरी हैं।

ख.2 आकस्मिक देयताएँ और लेखा टिप्पणियाँ (टिप्पणी संख्या 25)

(i) टिप्पणी संख्या 25.6 में जेइआरसी ने विदेशी मुद्रा में लेन–देन शून्य बताया है, जबकि वर्ष 2024–25 में विदेश यात्रा पर ₹15.48 लाख खर्च हुए थे और उन्हें 'अन्य प्रशासनिक व्यय' (अनुसूची–21) में दर्ज किया गया है।

इसलिए, टिप्पणी के इस हिस्से में त्रुटि है।

(ii) टिप्पणी संख्या 25.5 में जेइआरसी ने बताया है कि उसे आयकर अधिनियम की धारा 10(46) के तहत आयकर से छूट है और इसलिए आयकर का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। लेकिन वर्ष 2023–24 से आगे के लिए वित्त मंत्रालय से छूट प्रमाणपत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे।

इस कारण, टिप्पणी का यह हिस्सा भी त्रुटिपूर्ण या अधूरा है।

ग. आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन

i. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता: आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संस्था के कामकाज के आकार और प्रकृति के अनुसार उपयुक्त है।

ii. आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली की पर्याप्तता: सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार आयोग का आंतरिक लेखा परीक्षण विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के प्रधान लेखा कार्यालय (पीएओ) द्वारा किया जाना चाहिए। वर्ष 2023–24 और 2024–25 के लिए विद्युत मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा जेइआरसी का आंतरिक लेखा परीक्षण नहीं किया

गया; हालांकि आयोग द्वारा नियुक्त बाहरी संस्था ने आंतरिक लेखा परीक्षण किया है।

iii. परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली: वर्ष 2024–25 में स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया और सत्यापन के दौरान कोई कमी नहीं पाई गई।

iv. इनवेंटरी के भौतिक सत्यापन की प्रणाली: 31 मार्च 2025 तक इनवेंटरी में उपभोज्य वस्तुओं की कोई इनवेंटरी उपलब्ध नहीं थी।

v. वैधानिक देयों के भुगतान में नियमितता: जेइआरसी लागू नियमों के अनुसार वैधानिक देयों को संबंधित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करता है। साथ ही, जेइआरसी को आयकर अधिनियम की धारा 10(46) के तहत आयकर से छूट प्राप्त हैय लेकिन वर्ष 2023–24 से आगे के लिए छूट प्रमाणपत्र जेइआरसी को प्राप्त होना शेष था।

घ. अनुदान–सहायता:

₹1,120.26 लाख की अनुदान सहायता (जिसमें वर्ष 2023–24 का ₹259.26 लाख का अव्ययित शेष और वर्ष के दौरान प्राप्त ₹861 लाख शामिल हैं) में से जेइआरसी वर्ष के दौरान ₹1,070.46 लाख ही उपयोग कर सका, जिससे 31 मार्च 2025 को ₹49.80 लाख की राशि अव्ययित रह गई।

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

दिनांक: 28.11.2025

सेवा में,

अध्यक्ष,

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग,

गुरुग्राम, हरियाणा

विषयः प्रबंधन पत्र – लेखा अभिलेखों में पाई गई कमियाँ

महोदय,

हमने संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों के लिए), गुरुग्राम, हरियाणा के वर्ष 2024–25 के वार्षिक लेखों का लेखा परीक्षण किया है तथा दिनांक 28.11.2025 को पृथक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जारी किया है। लेखा परीक्षण के दौरान निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं, जो अपेक्षाकृत मामूली प्रकृति की थीं, अतः इन्हें पृथक प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया। इन्हें आपके संज्ञान में लाया जा रहा है ताकि सुधारात्मक और आवश्यक कार्यवाही की जा सके:–

1. सीपीएफ कोष, ग्रेच्युटी तथा अवकाश नकदीकरण को चिन्हितध अनुदानित कोष के रूप में सही वर्गीकृत करने तथा इन कोषों से संबंधित दायित्व और निवेश में अंतर का सही प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जाए। **(डीएसएआर परिच्छेद क.1 तथा क.6)**
2. निलंबन अवधि के दौरान कर्मचारी(यों) को देय राशि हेतु उपयुक्त लेखांकन तथा प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जाए। **(डीएसएआर परिच्छेद क.2)**
3. अंडमान तथा निकोबार विद्युत विभाग से वसूल की जाने वाली राशि के संबंध में शेष की पुष्टि प्राप्त की जाए। **(डीएसएआर परिच्छेद क.3)**
4. हरियाणा औद्योगिक विकास निगम द्वारा माँगी गई राशि का उपयुक्त लेखा उपचार सुनिश्चित किया जाए। **(डीएसएआर परिच्छेद क.4)**

पाँचवा, छठा, सातवाँ एवं दसवाँ तल, सी.ए.जी. बिल्डिंग, एनैक्सी, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली – 110002
5th, 6th, 7th & 10th Floor, C.A.G. Building Annexe, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Tel.: 011-23239213,011-23239211, Email : pdaenergydl.cag@nic.in / dgaenergydl@cag.gov.in

5. मंत्रालय को देय शुल्क का लेखांकन नगद आधार के स्थान पर उपार्जन आधार पर सुनिश्चित किया जाए। **(डीएसएआर परिच्छेद क.7)**

6. पूर्व अवधि से संबंधित राशि को उसके स्वाभाविक मद के स्थान पर श्पूर्व अवधि व्ययश के रूप में वर्गीकृत किया जाए। **(डीएसएआर परिच्छेद ख.2)**

7. लाभार्थियों से वसूल की जाने वाली राशि को परिसंपत्ति तथा मंत्रालय को देय राशि को दायित्व के रूप में वर्गीकृत करने की शुद्धता सुनिश्चित की जाए। **(डीएसएआर परिच्छेद ख.5)**

भवदीय

(प्रमोद कुमार)

अपर उप महानियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (ऊर्जा)

XII. आयोग के वार्षिक खाते

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)

का

वार्षिक खाता

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)
तीसरी एवं चौथी मंजिल, प्लॉट नं. 55–56 सेक्टर–18, उद्योग विहार, फ़ेज–IV,
गुरुग्राम–122015 (हरियाणा)
टेलीफ़ोन:– 91(124) 4684705, टेलीफ़ैक्स:– 91(124) 4684706
वेबसाइट: www.jercuts.gov.in
ई–मेल: secy.jercuts@gov.in

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)
तीसरा एवं चौथा तल, प्लॉट सं. 55 - 56, उद्योग विहार, फेज– IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (हरियाणा) - 122 015

तुलन पत्र
31 मार्च 2025 तक

(राशि ₹ में)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
कॉर्पस/ पूंजी निधि और देयताएं			
कॉर्पस/ पूंजी निधि	1	13,89,089	2,41,11,772
आरक्षित निधि और अधिशेष	2	-	-
निर्धारित/ बंदोबस्ती निधि	3	-	-
सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण और उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान	7	25,68,29,517	15,21,11,305
कुल		25,82,18,606	17,62,23,077
परिसंपत्तियाँ			
अचल संपत्तियाँ	8	12,13,470	12,50,225
निर्धारित/ अंशदान निधि से निवेश	9	-	-
अन्य से निवेश	10	-	-
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम आदि	11	25,70,05,136	17,49,72,852
विविध व्यय (बट्टा खाते में डाले या समायोजित न किए गए)		-	-
कुल		25,82,18,606	17,62,23,077
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएँ और लेखा के लिए टिप्पणियाँ	25		
एकीकरण और समायोजन	26		

नोट :-अनुसूची 1 से 26 संलग्न हैं और 31 मार्च 2025 तक बैलेंस शीट का एक अभिन्न अंग हैं।

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग की ओर से

(एएओ)	निदेशक (एफएंडएल) और	सदस्य (विधि)	अध्यक्ष

तिथि :
स्थान: गुरुग्राम

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)
तीसरा एवं चौथा तल, प्लॉट सं. 55 - 56, उद्योग विहार, फेज़- IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (हरियाणा) - 122 015

आय- व्यय खाता
31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(राशि ₹ में)

विवरण	अनुसूची सं	31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय			
बिक्री/ सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/ सब्सिडी	13	8,11,20,359	12,05,61,000
शुल्क/ सदस्यता	14	5,13,49,087	24,27,03,661
निवेश से आय (निर्धारित/ अंशदान निधि से निधियों में स्थानांतरित निवेश पर आय)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित आय	17	30,92,723	17,51,670
अन्य आय	18	94,33,370	59,16,608
तैयार माल और अर्धनिर्मित उत्पादन के स्टॉक में वृद्धि/ (कमी)	19	-	-
कुल (क)		14,49,95,539	37,09,32,939
व्यय			
स्थापना व्यय	20	3,22,32,081	2,66,56,176
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	13,46,33,897	32,41,31,192
अनुदानों एवं सब्सिडी पर व्यय	22	-	-
वित्त लागत	23	-	-
मूल्यह्रास और परिशोधन	8	8,52,244	7,69,506
कुल (ख)		16,77,18,222	35,15,56,874
शेष राशि, व्यय से आय के अधिक होने पर (क-ख)		(2,27,22,683)	1,93,76,065
विशेष रिज़र्व (प्रत्येक निर्दिष्ट करें) में अंतरण सामान्य रिजर्व में/ से अंतरण		-	-
शेष अधिशेष/ (हानि) होने पर उसे कॉर्पस/ पूंजी निधि में ले जाया जाता है		(2,27,22,683)	1,93,76,065
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएँ और लेखा के लिए टिप्पणियाँ	25		
प्रकटीकरण और समायोजन	26		

नोट :-अनुसूची 1 से 26 उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय खाते के साथ संलग्न हैं और उसका अभिन्न अंग हैं।

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग की ओर से

(एएओ)	निदेशक (एफएंडएल) और सचिव (प्रभारी)	सदस्य (विधि)	अध्यक्ष

तिथि:
स्थान: गुरुग्राम

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)
तीसरा एवं चौथा तल, प्लॉट सं. 55 - 56, उद्योग विहार, फेज़– IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (हरियाणा) - 122 015

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ
31 मार्च 2025 तक

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 तक शेष राशि	31.03.2024 तक शेष राशि
अनुसूची 1 - कॉर्पस/ पूंजी निधि		
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	2,41,11,772	47,35,707
जोड़ें: कॉर्पस/ पूंजी निधि में अंशदान		
घटाएं: कॉर्पस/ पूंजी निधि से अंशदान	-	-
जोड़ें / (घटाएं): आय और व्यय खाते से हस्तांतरित शुद्ध आय/ व्यय का शेष	(2,27,22,683)	1,93,76,065
कुल	**13,89,089**	**2,41,11,772**

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 तक शेष राशि	31.03.2024 तक शेष राशि
अनुसूची 2-आरक्षित निधि और अधिशेष:		
1. पूंजी आरक्षित निधि:		
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान की गई कटौती	-	-
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि:		
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान की गई कटौती	-	-
3. विशेष आरक्षित निधि:		
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान की गई कटौती	-	-
4. सामान्य आरक्षित निधि:		
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान की गई कटौती	-	-
कुल	-	-

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)
तीसरा एवं चौथा तल, प्लॉट सं. 55 - 56, उद्योग विहार, फेज़- IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (हरियाणा) - 122 015

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ
31 मार्च 2025 तक

(राशि ₹ में)

विवरण	निधि- वार विवरण कुल	31.03.2025 तक शेष राशि	31.03.2024 तक शेष राशि
अनुसूची 3- निर्धारित/ बंदोबस्ती निधियां:			
क) निधियों का आरंभिक शेष	-	-	-
ख) निधियों में वृद्धि:			
i. दान/ अनुदान	-	-	-
ii. निधियों से किए गए निवेश से आय	-	-	-
iii. अन्य वृद्धि (प्रकृति बताएं)	-	-	-
कुल (क+ख)	-	-	-
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/ व्यय			
i. पूंजीगत व्यय			
i. अचल संपत्तियाँ	-	-	-
ii. अन्य	-	-	-
कुल	-	-	-
ii. राजस्व व्यय			
i. वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-
ii. किराया	-	-	-
iii. अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-
कुल	-	-	-
कुल (ग)	-	-	-
वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (क + ख - ग)	-	-	-

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 तक शेष राशि	31.03.2024 तक शेष राशि
अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण और उधार:		
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं		
क)सावधि ऋण	-	-
ख) उपार्जित और देय ब्याज	-	-
4. बैंक:		
क) सावधि ऋण		
i. उपार्जित और देय ब्याज	-	-
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
i. उपार्जित और देय ब्याज	-	-
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियाँ	-	-
6. डिबेंचर और बॉन्ड	-	-
7. अन्य (बताएं)	-	-
कुल	-	-

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)
तीसरा एवं चौथा तल, प्लॉट सं. 55 - 56, उद्योग विहार, फेज़– IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (हरियाणा) - 122 015

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ
31 मार्च 2025 तक

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 तक शेष राशि	31.03.2024 तक शेष राशि
अनुसूची 5 - असुरक्षित ऋण और उधार		
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक		
क) सावधि ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियाँ	-	-
6. डिबेंचर और बॉन्ड	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8.अन्य (बताएं)		
कुल	-	-

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 तक शेष राशि	31.03.2024 तक शेष राशि
अनुसूची 6 - आस्थगित ऋण देयताएँ		
क) पूंजीगत साधनों एवं अन्य परिसंपत्तियों को गिरवी रख कर सुरक्षित स्वीकृतियाँ	-	-
ख) अन्य	-	-
कुल	-	-

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)

तीसरा एवं चौथा तल, प्लॉट सं. 55 - 56, उद्योग विहार, फेज़- IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (हरियाणा) - 122 015

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ
31 मार्च 2025 तक

(राशि ₹ में)

विवरण		31.03.2025 तक शेष राशि	31.03.2024 तक शेष राशि
अनुसूची 7 - वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान			
क. वर्तमान देयताएँ			
1. स्वीकृतियाँ		-	-
2. विविध लेनदार			
	क) माल के लिए	-	-
	ख) अन्य		-
3. प्राप्त अग्रिम			-
	क) वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लाइसेंस शुल्क	20,08,42,252	
	ख) विद्युत लोकपाल कार्यालय के व्ययों की प्रतिपूर्ति	3,03,045	
4. अर्जित ब्याज किंतु देय नहीं			
	क) सुरक्षित ऋण/ उधार		-
	ख) असुरक्षित ऋण/ उधार		-
5. वैधानिक देयताएँ			
	क)जीएसटी टीडीएस	1,14,360	65,495
	ख) स्रोत पर कर कटौती	12,50,739	8,70,615
	ग) सीपीएफ/ जीपीएफ/ ईपीएफ/ एनपीएस/ सीजीईआईएस	1,98,942	2,49,259
6. अन्य चालू देयताएँ			
	क) कर्मचारियों और अन्य को प्रतिपूर्ति	1,52,022	43,544
	ख) कर्मचारियों को देय अन्य भत्ते	4,33,472	3,90,221
	ग) देय व्यय	44,90,665	42,03,261
	घ) बयाना जमा और प्रतिधारण राशि	26,850	6,78,850
	ङ) माननीय अध्यक्ष/ सदस्य का देय सीपीएफ और ब्याज	30,00,148	17,84,845
	च) विद्युत मंत्रालय को देय राशि		
	(i) लाइसेंस शुल्क - 2,45,00,000 रु.		
	(ii) याचिका शुल्क- Rs.73,60,000		
	(iii)अन्य प्राप्तियाँ- 12,60,510 रु.		
	(iv) अप्रयुक्त सहायता अनुदान - 7,79,641	3,39,00,151	13,43,18,967
	छ) विद्युत मंत्रालय को प्रेषित किए जाने वाले लोकपाल व्यय दावे	1,66,671	3,02,484
	ज) नियमित कर्मचारियों को देय संचित अवकाश नकदीकरण एवं ग्रेच्युटी	71,00,664	51,56,772
	कुल (क)	25,19,79,980	14,80,64,313
ख. प्रावधान			
1. कराधान			-
2. प्रतिनियुक्ति अधिकारी की ग्रेच्युटी		2,05,050	3,19,136
3.सेवानिवृत्ति/ पेंशन			-
4. संचित अवकाश नकदीकरण			-
5. व्यापार वारंटी/ दावे			-
6. अन्य (बताएं)			
(i) देय लेखापरीक्षा शुल्क		39,06,700	28,31,700
(ii) समाचारपत्र एवं टेलीफोन व्यय			78,613
(iii) वापसी योग्य याचिका शुल्क			55,000
(iv) प्रतिनियुक्ति अधिकारी का अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान		7,37,787	7,62,543
(v) अन्य प्रशासनिक व्यय			-
	कुल (ख)	48,49,537	40,46,992
	कुल (क + ख)	**25,68,29,517**	**15,21,11,305**

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)
तीसरा एवं चौथा तल, प्लॉट सं. 55 - 56, उद्योग विहार, फेज- IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (हरियाणा) - 122 015

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
31 मार्च 2025 तक

अनुसूची 8 – अचल संपत्तियां

(राशि ₹ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2024 तक लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान निपटान	31.03.2025 तक लागत/ मूल्यांकन	01.04.2024 तक	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	31.03.2025 तक	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
1. भूमि										
क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीजहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीजहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/ परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) भूमि पर बने अधिष्ठापनों, जो सरकार से संबद्ध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयंत्र, मशीनरी और उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. फर्नीचर और फिक्सचर										
क. कार्यालय उपकरण	28,91,390	2,21,500	-	31,12,890	23,61,170	3,74,927	-	27,36,097	3,76,793	5,30,220
ख. कम्प्यूटर और कम्प्यूटर के सहायक उपकरण	44,56,111	5,93,989	-	50,50,100	41,35,803	3,95,003	-	45,30,806	5,19,294	3,20,308
ग. एसी और लकड़ी के काम	18,40,753	-	-	18,40,753	14,54,779	77,776	-	15,32,555	3,08,198	3,85,974
घ. पुस्तकालय की पुस्तकें	23,893	-	-	23,893	10,170	4,538	-	14,708	9,185	13,723
ङ. नलकूप और जलापूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	92,12,147	8,15,489	-	1,00,27,636	79,61,922	8,52,244	-	88,14,166	12,13,470	12,50,225
6. अमूर्त संपत्तियां										
क. 365 दिनों से अधिक उपयोग वाले सॉफ्टवेयर	4,22,794	-	-	4,22,794	4,22,794	-	-	4,22,794	-	-0
कुल	4,22,794	-	-	4,22,794	4,22,794	-	-	4,22,794	-	-0
7. अन्य अचल संपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2025 तक कुल योग	96,34,941	8,15,489	-	1,04,50,430	83,84,716	8,52,244	-	92,36,960	12,13,470	12,50,225

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग की ओर से

(एफएओ) | निदेशक (उपभोक्ता) और सचिव (प्रभारी) | सदस्य (विधि) | अध्यक्ष

तिथि:
स्थान: गुरुग्राम

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)
तीसरा एवं चौथा तल, प्लॉट सं. 55 - 56, उद्योग विहार, फेज़- IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (हरियाणा) - 122 015

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ
31 मार्च 2025 तक

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 तक शेष राशि	31.03.2024 तक शेष राशि
अनुसूची 9 - निर्धारित/ बंदोबस्ती निधियों से निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बॉन्ड	-	-
5. सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रम	-	-
6. अन्य (बताएं)	-	-
कुल	-	-

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 तक शेष राशि	31.03.2024 तक शेष राशि
अनुसूची 10 - अन्य निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बॉन्ड	-	-
5. सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रम	-	-
6. अन्य (बताएं)	-	-
कुल	-	-

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)

तीसरा एवं चौथा तल, प्लॉट सं. 55 - 56, उद्योग विहार, फेज़- IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (हरियाणा) - 122 015

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ
31 मार्च 2025 तक

राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 तक शेष राशि	31.03.2024 तक शेष राशि
अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम आदि		
क. चालू संपत्तियाँ:		
1. इन्वेंटरी:		
क) भंडार और पुर्जे	-	-
ख) खुले औज़ार	-	-
ग) माल का भंडार	-	-
तैयार माल	-	-
अर्धनिर्मित माल	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध देनदार:	-	-
क)छह माह से अधिक अवधि से बकाया ऋण	-	-
ख)अन्य		-
3. नकद शेष (चेक/ ड्राफ्ट और अग्रदाय समेत)	-	-
4.बैंक शेष:		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ:		
चालू खातों पर	-	-
जमा खाते पर (मार्जिन मनी समेत)	3,00,12,139	1,02,03,107
बचत खातों पर	22,18,87,614	15,71,31,469
ख) गैर- अनुसूचित बैंकों के साथ:		
चालू खातों पर		
जमा खाते पर		
बचत खातों पर		
5. डाकघर- बचत खाता		
6. सुरक्षा जमा (किराया)	-	64,12,974
7. टेलीफोन जमा	-	10,000
8.लोकपाल व्यय के संबंध में प्राप्य दावे	-	1,45,627
9.दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से प्राप्य अंशदान	5,54,367	6,09,456
10. लाइसेंसधारी से प्राप्य (नोट-26 (4) देखें)	39,34,764	-
कुल (क)	25,63,88,884	17,45,12,633
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्तियाँ		
1. ऋण:		
क) कर्मचारी	-	-
ख) अन्य संस्थाएं जो संस्था जैसी गतिविधियों/ उद्देश्यों में संलग्न हैं		-
ग) अन्य (बताएं)		-
2. नकद या वस्तु या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ		
क) पूँजी खाते पर		-
ख) पूर्वभुगतान	4,69,686	3,48,653
ग) अन्य वसूली योग्य राशियाँ	46,566	1,11,566
घ) कर्मचारियों और अन्यों को अग्रिम	1,00,000	-
3. अर्जित आय:		
क) निर्धारित/ अंशदान निधि से निवेश पर		
ख) निवेश एवं अन्य पर		-
ग) ऋण और अग्रिम पर		-
घ) अन्य (अप्राप्त देय आय शामिल है, रु. ...)		-
4. प्राप्य दावे		-
कुल (ख)	6,16,252	4,60,219
कुल (क + ख)	**25,70,05,136**	**17,49,72,852**

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)

तीसरा एवं चौथा तल, प्लॉट सं. 55 - 56, उद्योग विहार, फेज़- IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (हरियाणा) - 122 015

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

31 मार्च 2025 तक

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
अनुसूची 12 - बिक्री/ सेवाओं से आय		
1)बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख)कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) स्क्रैप की बिक्री	-	-
2) सेवाओं से आय		
क) श्रम और प्रसंस्करण शुल्क	-	-
ख) व्यावसायिक/ परामर्श सेवाएं	-	-
ग) एजेंसी का कमीशन और ब्रोकरेज	-	-
घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/ संपत्ति)	-	-
ड) अन्य (बताएं)	-	-
कुल	-	-

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
अनुसूची 13 - अनुदान/ सब्सिडी		
(प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान और सब्सिडी)		
1) केंद्र सरकार	8,11,20,359	12,05,61,000
2) राज्य सरकार(रें)	-	-
3) सरकारी एजेंसियों	-	-
4) संस्थान/ कल्याणकारी निकाय	-	-
5) अंतरराष्ट्रीय संगठन	-	-
6) अन्य (बताए)	-	-
कुल	**8,11,20,359**	**12,05,61,000**

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
अनुसूची 14 - शुल्क/ सदस्यताएँ		
1) प्रवेश शुल्क	-	-
2) वार्षिक शुल्क/ सदस्यताएँ	-	-
3) सेमिनार/ कार्यक्रम शुल्क	-	-
4) परामर्श शुल्क	-	-
5) अन्य (बताएं)		
क) याचिका शुल्क	4,56,22,277	4,02,28,876
ख) लाइसेंस शुल्क	52,15,000	19,29,36,050
ग) लाइसेंस शुल्क पर अधिभार/ ब्याज (नोट सं.-26(5) देखें)	5,11,810	95,38,735
कुल	**5,13,49,087**	**24,27,03,661**

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)
तीसरा एवं चौथा तल, प्लॉट सं. 55 - 56, उद्योग विहार, फेज़- IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (हरियाणा) - 122 015

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ
31 मार्च 2025 तक

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
अनुसूची 15 - निवेश से आय		
(निधियों में स्थानांतरित निर्धारित/ बंदोबस्ती निधियों में निवेश पर आय)		
1) ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-
ख) अन्य बॉन्ड/ डिबेंचर	-	-
2)लाभांश:		
क) शेयरों पर	-	-
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-
3) किराया	-	-
4) अन्य (बताएं)	-	-
कुल	-	-

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय		
1) रॉयल्टी से आय	-	-
2) प्रकाशन से आय	-	-
3) अन्य (बताएं)	-	-
कुल	-	-

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज		
1) सावधि जमा पर		
क) अनुसूचित बैंकों से	9,62,367	6,80,523
ख) गैर- अनुसूचित बैंकों से		
ग) संस्थानों से		
घ) अन्य		
2) बचत खाते पर		
क) अनुसूचित बैंकों से	21,30,356	10,71,147
ख) गैर- अनुसूचित बैंकों से		
ग) डाकघर बचत खाता		
घ) अन्य		
3) ऋण पर		
क) कर्मचारी/ स्टाफ		
ख) अन्य		
4) देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज		-
कुल	**30,92,723**	**17,51,670**

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)

तीसरा एवं चौथा तल, प्लॉट सं. 55 - 56, उद्योग विहार, फेज़– IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (हरियाणा) - 122 015

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

31 मार्च 2025 तक

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
अनुसूची 18 - अन्य आय		
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/ निपटान पर लाभ		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियाँ	-	-
ख) अनुदान से अर्जित या निः शुल्क प्राप्त संपत्तियाँ		
2) निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त		
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क और अन्य	2,210	11,022
4) विविध आय		
क) विपरीत प्रावधान और अन्य	1,40,954	94,686
ख) निविदा प्रसंस्करण शुल्क	1,37,000	1,42,000
ग) पूर्व अवधि की आय (संदर्भ नोट सं. -26 (3))	39,56,250	1,68,900
5)विद्युत लोकपाल कार्यालय के व्यय के संबंध में दावे (नोट सं.- 26(1) देखें)	51,96,956	55,00,000
कुल	**94,33,370**	**59,16,608**

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
अनुसूची 19 - तैयार माल और अर्धनिर्मित माल के स्टॉक में वृद्धि/ (कमी)		
क) अंतिम स्टॉक		
तैयार माल	-	-
अर्धनिर्मित माल	-	-
ख) घटाएं: आरंभिक स्टॉक		
तैयार माल	-	-
अर्धनिर्मित माल	-	-
शुद्ध वृद्धि / (कमी)	-	-

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
अनुसूची 20– स्थापना व्यय		
क) वेतन एवं मजदूरी	1,31,45,170	1,10,57,523
ख) भत्ते एवं बोनस	1,19,74,411	92,01,814
ग) भविष्यनिधि में अंशदान (ब्याज व्यय समेत)	5,40,877	5,29,582
घ) अन्य निधि में अंशदान (बताएं)		-
i) केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना	-	-
ii) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली	90,720	1,68,353
iii) कर्मचारी भविष्य निधि	10,77,585	6,73,594
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	8,19,502	8,04,356
च) कर्मचारी सेवानिवृति और सेवांत लाभों पर व्यय	24,14,230	26,24,247
छ) अन्य (बताएं)		
i) बाल शिक्षा भत्ता	1,01,250	86,063
ii) Lअवकाश नकदीकरण	1,02,400	2,02,210
iii) अवकाश यात्रा रियायत	95,538	29,670
iv) पूर्व अवधि व्यय (संदर्भ नोट-26 (2))	7,32,001	65,223
v) विद्युत लोकपाल शुल्क एवं अन्य (नोट -26 -1(iii) देखें)	11,38,397	12,13,541
कुल	**3,22,32,081**	**2,66,56,176**

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)
तीसरा एवं चौथा तल, प्लॉट सं. 55 - 56, उद्योग विहार, फेज़- IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (हरियाणा) - 122 015

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ
31 मार्च 2025 तक

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय		
क) बिजली और ऊर्जा	16,43,045	13,77,486
ख) जल शुल्क	8,249	11,213
ग) मरम्मत और रख- रखाव	-	-
घ) किराया, दरें और कर	2,74,76,701	2,74,30,032
ङ) डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क	3,70,431	3,73,448
च) मुद्रण और स्टेशनरी	3,66,529	4,18,898
छ) यात्रा और परिवहन व्यय	9,34,850	3,64,078
ज) सेमिनार/ कार्यशालाओं/ बैठकों पर व्यय	9,21,105	4,55,477
झ) सदस्यता व्यय	14,900	14,900
ञ) शुल्कों पर व्यय	21,95,589	19,99,962
ट) लेखापरीक्षकों का वेतन	10,87,000	9,64,250
ठ) व्यावसायिक शुल्क	67,73,411	96,68,063
ड) विज्ञापन और प्रचार	13,24,019	9,52,215
ढ) अन्य (बताएँ)		
(i)याचिका शुल्क, लाइसेंस शुल्क, ब्याज आदि विद्युत मंत्रालय को प्रेषित किए जाने हैं (नोट-26 (6) देखें)	5,41,44,215	24,45,88,025
(ii) विद्युत मंत्रालय को प्रेषित किए जाने वाले लोकपाल व्यय दावे (नोट -26-1(i) देखें)	51,96,956	55,00,000
(iii) कर्मियों की आउटसोर्सिंग	38,00,292	38,44,475
(iv) हाउसकीपिंग की आउटसोर्सिंग	7,74,362	7,81,968
(v) सुरक्षा कर्मियों की आउटसोर्सिंग	5,84,629	6,66,337
(vi) विधिक शुल्क	9,08,633	5,20,800
(vii)बैंक शुल्क	1,18,558	894
(viii) विद्युत लोकपाल कार्यालय पर व्यय ((नोट -26-1(iii) देखें)	40,58,562	39,31,065
(ix) कार्यालय व्यय (विविध)	8,32,430	4,09,555
(x) परामर्श शुल्क	1,30,63,100	1,12,42,527
(xi) जन सुनवाई व्यय	2,09,967	24,20,543
(xii) किराए पर वाहन का व्यय	30,48,701	21,92,483
(xiii) ई- ऑफिस सर्वर शुल्क	22,88,139	24,70,920
(xiv) सॉफ्टवेर व्यय और वेबसाइट होस्टिंग शुल्क	6,29,743	4,76,557
(xv) विदेश यात्रा	15,48,071	-
(xvi) पूर्व अवधि व्यय (नोट -26(2) देखें)	3,11,711	10,55,021
कुल	**13,46,33,897**	**32,41,31,192**

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)

तीसरा एवं चौथा तल, प्लॉट सं. 55 - 56, उद्योग विहार, फेज़- IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (हरियाणा) - 122 015

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ
31 मार्च 2025 तक

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
अनुसूची 22 - अनुदान/ सब्सिडी आदि पर व्यय		
क) संस्थाओं/ संगठनों को दिए गए अनुदान	-	-
ख) संस्थाओं/ संगठनों को दी गई सब्सिडी	-	-
कुल	-	-

(राशि ₹ में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
अनुसूची 23 - वित्त लागत		
क) निश्चित ऋण पर	-	-
ख) अन्य ब्याज लागत	-	-
कुल	-	-

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग की ओर से

(एएओ) निदेशक (एफएंडएल) और सचिव (प्रभारी) सदस्य (विधि) अध्यक्ष

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)

तीसरा एवं चौथा तल, प्लॉट सं. 55 - 56, उद्योग विहार, फेज - IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (हरियाणा) - 122 015

नोट सं.- 24

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

कॉर्पोरेट एवं सामान्य जानकारी

केंद्र सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग का गठन 2 मई 2005 को प्रकाशित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप- खंड (ii), की अधिसूचना सं. एस.ओ. 643(ई) के द्वारा किया गया था;

जबकि, गोवा राज्य सरकार ने उक्त संयुक्त आयोग में शामिल होने की सहमति व्यक्त की है और विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 83 के तहत इस संबंध में केंद्र सरकार को अधिकृत किया है और केंद्र सरकार ने 30 मई 2008 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप- खंड (ii), में प्रकाशित अधिसूचना सं. एस.ओ. 1271(ई) के माध्यम से गोवा राज्य को उक्त संयुक्त आयोग में शामिल होने की सुविधा प्रदान की है।

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1.1 <u>लेखांकन परंपरा</u>

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, तैयार किए जाते हैं और लेखांकन की उपार्जन पद्धति पर आधारित होते हैं। सरकारी अनुदान/ सब्सिडी प्राप्ति के आधार पर होते हैं। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं जिन्हें निकटतम रुपये तक पूर्णांकित किया जाता है।

1.2 <u>वस्तु- सूची (इन्वेंटरी) मूल्यांकन</u>

संगठन के पास आज की तिथि में कोई वस्तु- सूची (इन्वेंटरी)/ स्टॉक नहीं है और नियामक आयोग होने के नाते वह किसी भी प्रकार का स्टॉक या इन्वेंटरी नहीं रखेगा।

1.3 <u>निवेश</u>

क) "दीर्घकालिक निवेश" के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं। अस्थायी निवेशों को छोड़कर, गिरावट हेतु प्रावधान ऐसे निवेशों की वहन लागत में किया जाता है।

ख) "चालू/ वर्तमान" के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत एवं उचित मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी का प्रावधान प्रत्येक निवेश के लिए व्यक्तिगत रूप से किया जाता है न कि वैश्विक आधार पर।

ग) लागत में ब्रोकरेज, ट्रांसफर स्टैम्प जैसे अधिग्रहण व्यय शामिल हैं।

1.4 अचल संपत्तियाँ

क) अचल संपत्तियों का विवरण अधिग्रहण की लागत पर दिया गया है जिसमें आयक शुल्क, शुल्क और कर एवं अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं।

1.5 <u>मूल्यह्रास</u>

क) अचल संपत्तियों के अधिग्रहण हेतु विदेशी मुद्रा देयता के रूपांतरण के कारण उत्पन्न लागत समायोजन पर मूल्यह्रास को छोड़कर, आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास दिया जाता है जिसका परिशोधन संबंधित संपत्तियों के शेष जीवनकाल में किया जाता है।

ख) वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों में वृद्धि/ कटौतियों के संबंध में, मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर माना जाता है।

ग) 5,000 रु. या उससे कम लागत वाली प्रत्येक संपत्ति पूरी तरह से उपलब्ध कराई जाती है।

1.6 <u>विविध व्यय</u>

स्थगित राजस्व व्यय, यदि और जब भी किया जाता है, तो उसके किए जाने के वर्ष से 5 वर्षों की अवधि में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

1.7 **बिक्री का लेखा- जोखा**

यह संगठन विद्युत मंत्रालय द्वारा स्थापित नियामक निकाय है और अपने संचालन काल के दौरान इसने कोई बिक्री नहीं की है।

1.8 **सरकारी अनुदान/ सब्सिडी**

क) राजस्व स्वरूप के सरकारी अनुदानों को आय- व्यय खाते में अप्रत्यक्ष आय के रूप में दर्ज किया जाता है।

ख) सरकारी अनुदान/ सब्सिडी का लेखा प्राप्ति के आधार पर किया जाता है।

1.9 **विदेशी मुद्रा लेनदेन •**

क) विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन का लेखा- जोखा लेन- देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।

ख) चालू परिसंपत्तियाँ, विदेशी मुद्रा ऋणों में चालू देनदारियाँ को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामी लाभ/ हानि को, यदि विदेशी मुद्रा देयता अचल परिसंपत्तियों से संबंधित है, तो अचल परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है और अन्य मामलों में इसे राजस्व माना जाता है।

1.10 **पट्टा**

पट्टे का किराया पट्टे की शर्तों के अनुसार व्यय किया जाता है।

1.11 **सेवानिवृत्ति लाभ**

सेवानिवृत्ति लाभों का लेखा बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है।

1.12 **जीएसटी में टीडीएस**

संगठन विक्रेता से जीएसटी डीडीएस काटता है।

- **निम्नलिखित को दर्शाता है**

(क) पैरा 1.3 :- यह संगठन भारत के विद्युत मंत्रालय द्वारा स्थापित नियामक आयोग है। आयोग की गतिविधियों के दौरान, संघ राज्य क्षेत्रों के विद्युत विभागों से प्राप्त लाइसेंस शुल्क और याचिका शुल्क को अल्पकालिक सावधि जमा के रूप में निवेश किया जाता है और संचित धनराशि को समय- समय पर विद्युत मंत्रालय को प्रेषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, माननीय अध्यक्ष और सदस्य के सीपीएफ अंशदान को अल्पकालिक सावधि जमा के रूप में पुनर्निवेशित किया जाता है और उनकी सेवानिवृत्ति पर संबंधित देनदारियों/ अंतिम लाभों का भुगतान कर दिया जाता है।

(ख) पैरा 1.6:- चालू वर्ष में 5 वर्षों की अवधि में किसी भी आस्थगित राजस्व व्यय को बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

(ग) पैरा 1.9:- नियामक आयोग के रूप में संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी/ JERC) अपने नियामक कार्यों के सामान्य क्रम में किसी भी विदेशी मुद्रा लेनदेन में शामिल नहीं होता है। हालाँकि, आधिकारिक विदेशी दौरों के दौरान, कर्मचारियों को लागू नियमों और पात्रताओं के अनुसार विदेशी मुद्रा में यात्रा भत्ता/ महंगाई भत्ता (टीए/ डीए) देय होता है।

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग की ओर से

(एएओ)	निदेशक (एफएंडएल) और सचिव (प्रभारी)	सदस्य (विधि)	अध्यक्ष

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)

तीसरा एवं चौथा तल, प्लॉट सं. 55 - 56, उद्योग विहार, फेज - IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (हरियाणा) - 122 015

नोट सं. - 25

आकस्मिक देयताएँ और लेखा पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएँ

1.1 संस्था के विरुद्ध कोई ऐसा दावा नहीं है जिसे ऋण के रूप में स्वीकार न किया गया हो।

1.2 मेसर्स अम्बियन मल्टीवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को तीन वर्ष की अवधि (30.11.2024 से 30.11.2027) के लिए बैंक अनुदानकर्ता के रूप में सुरक्षा जमा किराए के रूप में 64,12,974/- रु. की राशि दी गई है। संस्था की ओर से बैंक द्वारा कोई साख पत्र जारी नहीं किया गया है।
बैंक में कोई बिल भुनाया नहीं गया है।

1.3 आयकर, वस्तु एवं सेवा कर और/ या नगरपालिका करों के संबंध में कोई विवाद/ मांग नहीं है।

1.4 एचएसआईआईडीसी (HSIIDC) ने देय किराए के रूप में 22.67 लाख रु. का दावा किया है। इसे व्यय के रूप में स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि अंतिम निपटान अभी लंबित है।

1.5 श्री राकेश कुमार (सचिव) फरवरी 2023 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए निलंबित हैं। सीसीएस सीसीए नियम 1965 के अनुसार 11 फरवरी 2023 से 10 मई 2023 तक की अवधि के लिए वेतन का 50% (यानि तीन माह के लिए 50%) और 11 मई 2023 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए वेतन का 75% निर्वाह भत्ता दिया जा चुका है। चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए शेष राशि 14,11,881/- रु. और अंशदान 4,48,998/- रु. आकस्मिक देयता के रूप में सृजित की गई है।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ

पूँजी खाते पर निष्पादित किए जाने हेतु कोई अनुबंध शेष नहीं है और न ही उसके लिए प्रावधान किया गया है।

3. पट्टा देयताएँ

संयंत्र और मशीनरी के लिए वित्तीय पट्टा व्यवस्था के अंतर्गत किराए के लिए भविष्य में कोई देयता नहीं है।

4. चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों का मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य पर किया जाएगा जो तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में दर्शाई गई राशि से कम नहीं होगा।

5. कराधान

चूंकि जेईआरसी का आयकर आयकर अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त है इसलिए आयकर के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं माना गया है।

6. विदेशी मुद्रा लेनदेन

6.1	सीआईएफ आधार पर परिकलित आयात का मूल्य	-	शून्य
6.2	विदेशी मुद्रा में व्यय	-	शून्य
6.3	एफओबी आधार पर निर्यात मूल्य (आय)	-	शून्य

7. लेखापरीक्षकों का वेतन

7.1 वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक के लिए 17,000/- रु. का प्रावधान किया गया है।

7.2 वित्त वर्ष 2024- 25 (प्रमाणन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा) की लेखापरीक्षा हेतु नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक के रूप में 10,70,000/- रु. का प्रावधान किया गया है।

8. बीते वर्ष के संगत आँकड़ों को, जहाँ भी आवश्यक हो, पुनर्समूहित/ पुनर्व्यवस्थित/ पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

9. अनुसूची 1 से 26 तक, 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के आय-व्यय खाते के साथ संलग्न हैं एवं उनका अभिन्न अंग हैं।

10. वित्त वर्ष 2024-25 में जेईआरसी फंड नहीं बनाया गया है। विद्युत मंत्रालय की दिनांक 17.03.2016 की अधिसूचना का अनुपालन नहीं किया जा सका क्योंकि विद्युत मंत्रालय से प्रतिक्रिया अभी भी प्रतीक्षित है।

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग की ओर से

(एएओ)	**निदेशक (एफएंडएल) और सचिव (प्रभारी)**	**सदस्य (विधि)**	**अध्यक्ष**

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)

तीसरा एवं चौथा तल, प्लॉट सं. 55 - 56, उद्योग विहार, फेज - IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (हरियाणा) - 122 015

नोट सं. - 26

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए तुलन पत्र में प्रकटीकरण और समायोजन

1. i. संघ राज्य क्षेत्रों के विद्युत विभाग/ निगम से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विद्युत लोकपाल कार्यालय के लिए 55,00,000/- रु. (अनुसूची-18, 5(ए)) का अनुमानित व्यय नीचे दिया जा रहा है।

विद्युत विभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	रु.	4,56,027.00
डीएनएच डीडी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	रु.	24,92,673.00
विद्युत विभाग, चंडीगढ़	रु.	4,46,893.00
विद्युत विभाग, गोवा	रु.	11,47,307.00
विद्युत विभाग, लक्षद्वीप	रु.	8,47,791.00
विद्युत विभाग, पुडुचेरी	रु.	1,09,309.00
कुल	**रु.**	**55,00,000.00**

ii. पीछे वर्ष की उपयोगिता से प्राप्त अतिरिक्त राशि के समायोजन के बाद पूरी राशि विद्युत मंत्रालय को वेतन और लेखा अधिकारी को भेज दी गई है। हालाँकि, आयोग विद्युत मंत्रालय से प्राप्त अनुदानों में से विद्युत लोकपाल के खर्चों का वहन करता रहेगा।

iii. स्थापना व्यय एवं अन्य प्रशासनिक व्यय से संबंधित व्यय अलग से दर्ज किए गए हैं। विवरण इस प्रकार है:-

वितरण	व्यय मद	राशि (रु.)
(क) अनुसूची 20 (जी) (सी) - स्थापना व्यय।	लोकपाल वेतन	11,22,581.00
	कर्मचारी कल्याण	15,816.00
	उप कुल	**11,38,397**
(ख) अनुसूची 21 (एन) (viii) - अन्य प्रशासनिक व्यय	किराया	29,43,484.00
	कर्मचारी वेतन व्यय	8,39,352.00
	बिजली और ऊर्जा	1,77,180.00
	मुद्रण और स्टेशनरी	40,325.00
	डाक और टेलीफोन व्यय	19,479.00
	यात्रा व्यय	18,038.00
	हाउसकीपिंग व्यय	20,704.00
	उप कुल	**40,58,562.00**
	कुल	**51,96,959.00**

iv. व्यय पर 3,03,041/- रु. की अतिरिक्त मांग को अगले वित्त वर्ष में समायोजित किया जाएगा।

2. पिछले वर्ष के स्थापना एवं प्रशासन से संबंधित कुछ व्ययों का प्रावधान नहीं किया जा सका था। इन्हें चालू वित्त-वर्ष यानि 2024-25 में पूर्व अवधि व्यय (स्थापना एवं प्रशासनिक) के रूप में दर्शाया गया है।

विवरण	व्यय मद	राशि (रु.)
अनुसूची 20 (जी) (iv)- स्थापना व्यय	कर्मचारी कल्याण	8,512.00
	दावों की प्रतिपूर्ति	2,38,800.00
	बकाया वेतन	3,83,713.00
	कर्मचारियों का अंशदान	1,00,976.00
	कुल	**7,32,001.00**
अनुसूची 21 (एन) (xvi) - अन्य प्रशासनिक व्यय	वेबसाइट होस्टिंग शुल्क	1,22,172.00
	यात्रा व्यय	23,351.00
	जन सुनवाई व्यय	1,37,640.00
	शुल्क व्यय	8,850.00
	कार्यालय व्यय	4,936.00
	लेखा परीक्षा शुल्क (बीमांकिक)	8,850.00
	परामर्श शुल्क	5,912.00
	कुल	**3,11,711.00**

3. पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित लाइसेंस शुल्क और अधिभार/ ब्याज प्राप्ति को चालू वर्ष की बैलेंस शीट में पूर्व अवधि के आय के रूप में मान्यता दी गई है।

विवरण	व्यय मद	राशि (रु.)
अनुसूची 18 (4) (C) अन्य आय	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक लाइसेंस शुल्क	19,72,575.00
	अधिभार/ ब्याज (i) ईडी- चंडीगढ़- 4,43,358.00 रु. (ii) डीएनएच और डीडी पीसीएल 5,91,773.00 रु. (iii) डीएनएच डीडी पीडीसीएल 9,48,544.00 रु.	19,83,675.00
	कुल	**39,56,250.00**

4. लाइसेंसधारी से मिलने वाले लाइसेंस शुल्क और अधिभार इस प्रकार हैं: -

क्र. सं.	विवरण	राशि (रु.)
1.	डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	28,60,234.00
2.	एनएच डीडी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9,48,544.00
3.	विद्युत विभाग चंडीगढ़	1,25,986.00
	कुल	**39,34,764.00**

5. लाइसेंस शुल्क पर अधिभार/ ब्याज का विवरण इस प्रकार है-

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)

तीसरा एवं चौथा तल, प्लॉट सं. 55 - 56, उद्योग विहार, फेज - IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (हरियाणा) - 122 015

क्र.सं.	विवरण	राशि (रु.)
1.	दादरा और नगर हवेली विद्युत विभाग	40,438.00
2.	दमन और दीव विद्युत विभाग	49,500.00
3.	चंडीगढ़ विद्युत विभाग	1,25,986.00
4.	डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,95,886.00
	कुल	**5,11,810.00**

6. विद्युत मंत्रालय को भेजी जाने वाली याचिका शुल्क, लाइसेंस शुल्क, ब्याज आदि का विवरण इस प्रकार है: -

क्र. सं.	विवरण	राशि (रु.)
1.	लाइसेंस शुल्क	52,15,000.00
2.	याचिका शुल्क	4,56,22,277.00
3.	अन्य रसीदें	33,06,938.00
	कुल	**5,41,44,215.00**

7. वित्त वर्ष 2025-26 से संबंधित लाइसेंस शुल्क मार्च 2025 में प्राप्त हुआ और तदनुसार तुलन पत्र में अग्रिम रसीद के रूप में वर्गीकृत किया गया है और अगले वित्त वर्ष में विद्युत मंत्रालय को भेज दिया गया।

8. बचत बैंक ब्याज, स्क्रैप की बिक्री और विगत वर्षों की विविध प्राप्तियाँ विद्युत मंत्रालय को प्रेषित कर दी गई हैं।

9. हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एचपीईआरसी) से प्रतिनियुक्ति पर रहे एक पूर्व कर्मचारी के संबंध में सीपीएफ नियोक्ता अंशदान और अवकाश वेतन अंशदान के रूप में क्रमशः ₹39,928/- और ₹25,460/- राशि वसूल की जानी है। हालाँकि, एचपीईआरसी ने वसूली योग्य राशि की पुनर्गणना का अनुरोध करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

10. विद्युत मंत्रालय द्वारा नियुक्त आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्य के नियुक्ति पत्रों के अनुसार, सीपीएफ अंशदान किया जाना है।

जेईआरसी एक दो सदस्यों वाला आयोग है इसलिए सीपीएफ ट्रस्ट का गठन नहीं किया गया है। सीपीएफ ट्रस्ट की अनुपलब्धता के कारण ये अंशदान अप्रमाणित निधियों के रूप में किए जाते हैं। उनके सीपीएफ अंशदान, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के हिस्से, मासिक आधार पर सावधि जमा के रूप में जमा किए जाते हैं।

सीपीएफ सावधि जमा में निवेश की गई राशि, वित्त मंत्रालय द्वारा समय- समय पर निर्धारित सीपीएफ दर पर ब्याज समेत टर्मिनल लाभ के रूप में उन्हें भेजी जाती है। इसके लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

11. ग्रेच्युटी अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र आदि के बाद पांच वर्ष की निरंतर सेवा करता है तो वह ग्रेच्युटी के भुगतान का अधिकारी है।

इसलिए, आयोग के कर्मचारी के लिए ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण हेतु आवश्यक प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर किए गए हैं और ऐसी निधियों को सावधि जमा के रूप में रखा गया है।

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)

तीसरा एवं चौथा तल, प्लॉट सं. 55 - 56, उद्योग विहार, फेज - IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (हरियाणा) - 122 015

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग की ओर से

(एएओ)

निदेशक (एफएंडएल) और
सचिव (प्रभारी)

सदस्य (विधि)

अध्यक्ष

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
(गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)
तीसरा एवं चौथा तल, प्लॉट सं. 55 - 56, उद्योग विहार, फेज़- IV, सेक्टर 18, गुरुग्राम (हरियाणा) - 122 015

प्राप्ति एवं भुगतान खाता
31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(राशि ₹ में)

प्राप्तियाँ	31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	भुगतान	31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
I. आरंभिक शेष			**I. व्यय**		
क) रोकड़ शेष	-	-	क) स्थापना व्यय	3,07,36,480	2,32,34,833
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय	4,40,67,715	4,42,10,624
i) चालू खातों में	-	1,64,412			
ii) जमा खातों में	1,02,03,107	1,88,28,392			
iii) बचत खातों	15,71,31,469	10,39,04,143			
	16,73,34,576	12,28,96,947		7,48,04,195	6,74,45,457
II. प्राप्त अनुदान			**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के विरुद्ध**		
क) भारत सरकार से	8,61,00,000	12,05,61,000			
ख) राज्य सरकार से	-	-			
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण) । पूंजीगत	-	-			
	8,61,00,000	12,05,61,000			
III. निवेश पर आय			**III. किए गए निवेश और जमा राशि**		
क) निर्धारित/ अक्षयनिधि निधि	-	-	क) निर्धारित/ अक्षयनिधि निधि से	-	-
ख) स्वयं की निधियाँ (अन्य निवेश)			ख) स्वयं की निधि से	-	-
	-	-		-	-
IV. प्राप्त ब्याज			**IV. अचल संपत्तियों और चालू पूंजीगत कार्यों पर व्यय**		
क) बैंक जमा पर	11,09,603	6,52,410	क) अचल संपत्तियों की खरीद	8,05,421	1,72,031
ख) ऋण, अग्रिम आदि	-	-	ख) चालू पूंजीगत कार्यों पर व्यय	-	-
ग) बचत बैंक पर	21,30,356	10,71,147			
	32,39,959	17,23,557		8,05,421	1,72,031
V. अन्य आय (बताएं)			**V. अधिशेष धन/ ऋण की वापसी**		
क) लोकपाल व्यय की प्रतिपूर्ति	52,74,190	53,70,418	क) भारत सरकार को	-	-
ख) याचिका शुल्क	4,56,22,277	4,02,28,876	ख) राज्य सरकार को	-	-
ग) लाइसेंस शुल्क	20,60,17,252	19,29,36,050	ग) अन्य निधि प्रदाताओं को	-	-
घ) लाइसेंस शुल्क पर अधिभार/ ब्याज	5,33,296	-			
	25,74,47,015	23,85,35,344		-	-
VI. उधार ली गई राशि			**VI. वित्त शुल्क (ब्याज)**		
VII. कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)			**VII. अन्य भुगतान (बताएं)**		
क) प्राप्त अग्रिम राशि	4,00,000	9,60,000	क) टीडीएस भुगतान और जीएसटी पर टीडीएस	54,11,841	61,18,930
ख) विविध शुल्क	2,210	95,41,253	ख) बैंक शुल्क	1,18,558	894
ग) अंशदान	15,05,191	10,15,883	ग) पारस्परिकता भुगतान	1,18,11,596	98,32,964
निधि:	-	-	घ) आउटसोर्सिंग कर्मचारी भुगतान	57,91,299	60,11,863
ङ) अन्य	49,271	1,75,404	ङ) व्यावसायिक एवं विधिक शुल्क	65,01,149	90,70,823
च) निविदा प्रसंस्करण शुल्क	1,37,000	1,42,000	च) अग्रिम राशि वापसी	10,45,000	8,28,133
छ) विनियमों का मूल्य	96,629	-	छ) निविदा शुल्क वापसी	-	28,000
ज) प्राप्त सुरक्षा जमा	64,12,874		ज) विद्युत मंत्रालय को वापस की गई अनुदान सहायता	42,00,000	-
			झ) विद्युत मंत्रालय (लाइसेंस शुल्क, याचिका शुल्क, विविध एवं ब्याज भुगतान)	16,03,66,003	22,85,08,817
	86,03,175	1,15,36,540		19,52,55,446	26,04,80,444
			VIII. अंत शेष		
			क) रोकड़ शेष	-	-
			ख) बैंक शेष		
			i) जमा खाते में	3,00,12,139	1,01,03,987
			ii) बचत खाते में	22,18,87,614	15,71,31,469
				25,18,99,753	16,72,35,456
कुल	52,27,64,815	49,52,53,388	**कुल**	52,27,64,815	49,52,53,388

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग की ओर से

(एएओ)

निदेशक (एफएंडएल) और सचिव (प्रभारी)

सदस्य (विधि)

अध्यक्ष

XIII. आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना का विवरण

जेईआरसी के निदेशक (इंजीनियरिंग) श्री जगदीश चंद्र को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत अपीलीय प्राधिकारी नामित किया गया है और प्रशासन–सह–लेखा अधिकारी श्री धीरज यादव को आयोग का केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है।

वित्त वर्ष 2024–25 में आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनों/अपीलों की प्राप्ति और निपटान का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है: –

क्र.सं.	विवरण	संख्या
(क)	आरटीआई अधिनियम के तहत सीपीआईओ द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या	07
(ख)	उन आवेदनों की संख्या जिनमें सीपीआईओ द्वारा सूचना प्रदान की गई है	07
(ग)	सीपीआईओ के पास लंबित आवेदनों की संख्या	शून्य
(घ)	सीपीआईओ के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर अपीलों की संख्या	शून्य
(ङ)	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निपटाए गए अपीलों की संख्या	शून्य
(च)	निर्धारित समय सीमा में निपटाए न गए आवेदनों/अपीलों की संख्या	शून्य

XIV. जनता हेतु उपलब्ध जानकारी और सुविधाओं का विवरण

आयोग ने जेईआरसी द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों के संबंध में जनता तक आसान पहुंच एवं व्यापक प्रचार प्रदान करने हेतु अपनी वेबसाइट http://www.jercuts.gov.in बनाई है। उपरोक्त के अलावा, जेईआरसी (कार्य संचालन) विनियम, 2009 का विनियम 24 और उसके संशोधनों के विनियम के अनुसार, प्रत्येक कार्यवाही के अभिलेख, किसी भी समय, कार्यवाही के दौरान या पारित आदेशों के बाद, पक्षों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् देखने के लिए उपलब्ध हैं। आयोग के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ भी निर्धारित शुल्क के भुगतान और उपरोक्त विनियमों के विनियम 25 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके पाई जा सकती हैं। आयोग का पुस्तकालय जनता के उपयोग हेतु अभी उपयोग में नहीं है।

XV. वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए एजेंडा

(i) वित्त वर्ष 2025–26 से वित्त वर्ष 2029–30 की एमवाईटी नियंत्रण अवधि हेतु व्यापार योजना याचिका

आयोग अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली उत्पादन कंपनी, पारेषण और वितरण लाइसेंसधारियों के लिए वित्त वर्ष 2025–26 से वित्त वर्ष 2029–30 तक पांच वर्ष की नियंत्रण अवधि के लिए व्यापार योजना हेतु याचिकाओं पर विचार करेगा।

(ii) बहु–वर्षीय वार्षिक राजस्व अनिवार्यताएँ और टैरिफ का निर्धारण

आयोग अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत छह वितरण लाइसेंसधारियों के लिए पिछले वर्षों के ट्रू–अप, बहु–वर्षीय वार्षिक राजस्व आवश्यकता और वित्त वर्ष 2025–26 से वित्त वर्ष 2029–30 के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु याचिकाओं पर विचार करेगा और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद टैरिफ आदेश जारी करेगा।

(iii) बहु–वर्षीय उत्पादन एवं पारेषण ट्रू–अप

उत्पादन कंपनी यानी पुडुचेरी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए एक टैरिफ आदेश और (1) विद्युत विभाग–दादरा और नगर हवेली–66 केवी, (2) विद्युत विभाग–दमन और दीव–220 केवी और (3) डीएनएचडीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए तीन ट्रांसमिशन टैरिफ आदेश भी वित्त वर्ष 2025–26 से वित्त वर्ष 2029–30 के लिए प्रक्रिया के अनुसार जारी किए जाएंगे।

(iv) विनियमों में संशोधन

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान निम्नलिखित विनियमों की समीक्षा और संशोधन का प्रस्ताव है: –

(1)जेईआरसी (व्यवसाय संचालन) विनियम, 2009

(v) राज्य सलाहकार समिति की बैठकें

जेईआरसी (राज्य सलाहकार समिति), विनियमन 2009 के प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष 2025–26 में राज्य सलाहकार समिति की बैठकों की योजना बनाई जा रही है।

(vi) नए विनियम

निम्नलिखित विनियमों को वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान जारी और अधिसूचित करने का प्रस्ताव है:

(1)जेईआरसी (संसाधन की पर्याप्तता के लिए ढांचा) विनियम, 2025

XVI. विद्युत क्षेत्र का अवलोकन

जेईआरसी (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों) में एक उत्पादन कंपनी, तीन पारेषण उपयोगिताएँ और छह वितरण उपयोगिताएँ हैं और यह बिजली शुल्कों को विनियमित करने, प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष बनी रहे यह सुनिश्चित करने और विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थायी पद्धतियों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाती है।

आयोग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन, पारेषण और वितरण उपयोगिताओं का अवलोकन निम्नानुसार है:

1. उत्पादन

संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी के अंतर्गत कराईकल में 32.5 मेगावाट विद्युत की स्थापित क्षमता वाला पुडुचेरी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल) आयोग के अधिकार क्षेत्र में एकमात्र गैस आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशन है।

वित्त वर्ष 2024–25 के टैरिफ आदेश में पीपीसीएल के लिए अनुमोदित प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

तकनीकी मापदंड	
मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एनएपीएएफ) (%)	85%
पूरक विद्युत खपत (एपीसी) (%)	3.30%
सकल स्टेशन ताप दर (जीएसएचआर)(किलोकैलोरी / किलोवाट घंटा)	2646
गैस का भारित औसत जीसीवी (किलोकैलोरी / घन मीटर)	10864.13
गैस का भारित औसत मूल्य (रु. / 1000 घन मीटर)	29443.12

वित्तीय मानदंड (करोड़ रुपये में)	
पूंजीगत लागत	164.44
मूल्यह्रास	2.24
ऋण पर ब्याज	शून्य
लाभांश	10.22
संचालन और रखरखाव व्यय	20.98
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	5.79
वार्षिक निश्चित लागत (एएफसी)	39.23

2. पारेषण

तीन पारेषण उपयोगिताएँ हैं यानी विद्युत विभाग दादरा एवं नगर हवेली–पारेषण प्रभाग (डीएनएच–पारेषण), दमन और दीव विद्युत विभाग (ईडीडीडी), और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएनएचडीडीपीसीएल)

वित्त वर्ष 2024–25 के टैरिफ आदेश में उपर्युक्त पारेषण यूटिलिटीज के लिए अनुमोदित प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

मानदंड	डीएनएच–पारेषण	ईडीडीडी	डीएनएचडीडीपीसीएल
कुल आवश्यक राजस्व (करोड़ रुपये में)	26.69	41.27	0.48
पारेषण क्षमता (मेगावाट)	1294	792	789.03
परिधि पर आवश्यक ऊर्जा (एमयू)	7815.94	7815.94	9953.68
दीर्घ/मध्यम अवधि पारेषण शुल्क (रु./एमडब्ल्यू/माह)	17189	43424	504
अल्पावधि ओपन एक्सेस पारेषण शुल्क (रु./एमडब्ल्यू/दिन)	565	1428	17
पारेषण शुल्क (आईएनआर/किलोवाट घंटा)	0.03	0.05	0.00

3. वितरण

आयोग के अधिकार क्षेत्र में छह वितरण उपयोगिताएँ हैं, यानी विद्युत विभाग गोवा (ईडीजी), पुडुचेरी विद्युत विभाग (पीईडी), चंडीगढ़ विद्युत वितरण लिमिटेड (सीपीडीएल), विद्युत विभाग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (ईडीएएंडएन), लक्षद्वीप विद्युत विभाग (एलईडी), और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीएनएचडीडीपीडीसीएल)। ये वितरण उपयोगिताएँ अपने आपूर्ति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को विश्वसनीय और कुशल विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं। इस आयोग के अधिकार क्षेत्र में वित्त वर्ष 2024–25 हेतु वितरण उपयोगिताओं से संबंधित महत्वपूर्ण अनुमोदित मानदंड इस वार्षिक रिपोर्ट के पूर्ववर्ती खंडों में दिए गए हैं।

अनुलग्नक –1

31.03.2025 तक विद्युत लोकपाल तथा सभी क्षेत्रों में सीजीआरएफ का विवरण

क्र.सं.	जेईआरसी	लोकपाल एवं सदस्य का नाम	पद का नाम	कार्यालय का पता	संपर्क संख्या	ईमेल
1	गुरुग्राम	श्री चंद्र मोहन शर्मा	विद्युत लोकपाल	जेईआरसी, तीसरी और चौथी मंजिल, प्लॉट संख्या 55–56 सेक्टर–18, उद्योग विहार फेज–IV, गुरुग्राम–122015 (हरियाणा)	9350100400	ombudsman.jercuts@gov.in

क्र.सं.	सीजीआरएफ का नाम	सदस्य का नाम	पद का नाम	कार्यालय का पता	संपर्क संख्या	ईमेल
1	गोवा	1. रिक्त 2. रिक्त 3. श्रीमती सैंड्रा याज ए कोरिया	अध्यक्ष सदस्य (लाइसेंसधारी) स्वतंत्र सदस्य	विद्युत भवन, चौथी मंजिल, केटीसी स्टैंड के पास, मुंडवेल, वास्को, गोवा–403802	9422063637	cgrfgoa@yahoo.com adv.sandracorreia@gmail.com
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1. श्री आर. रविचंदर 2. श्री नारायण चंद्र बरोड़ 3. श्रीमती बिजी थॉमस	अध्यक्ष सदस्य (लाइसेंसधारी) स्वतंत्र सदस्य	नं. ईएल/03 और 04, हॉर्टिकल्चर रोड, हैडो (पीओ), पोर्ट ब्लेयर–744102	03192–244822(O)	cgrf.and@nic.in cgrf@rediffmail.com
3	चंडीगढ़	1. श्री विजय कुमार 2. श्री राजिंदर मोर 3. श्री जसविंदर सिंह सिद्धू	अध्यक्ष सदस्य (लाइसेंसधारी) स्वतंत्र सदस्य	ओल्ड बी एंड आर बिल्डिंग, हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल के कार्यालय के निकट, सेक्टर 19–बी, चंडीगढ़– 160019	8054104512 0172–2542012 (O) 09872318618	chairmancgrf@gmail.com
4	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1. श्री राजीव के. पुरोहित 2. श्री धर्मेश एन. दवे 3. श्री कमलेश आर. शाह	अध्यक्ष सदस्य (लाइसेंसधारी) स्वतंत्र सदस्य	विद्युत विभाग, दादरा और नगर हवेली, सबस्टेशन, सिलवासा–396250	9099991912	consumerforumdnhdd@torrentpower.com
5	लक्षद्वीप	1. रिक्त 2. रिक्त 3. श्रीमती सुनिधा इस्माइल के आरबी	अध्यक्ष सदस्य (लाइसेंसधारी) स्वतंत्र सदस्य	विद्युत के लिए सीजीआरएफ, पावर हाउस के पास, कवारत्ती, यूटी लक्षद्वीप–682555	9496196167	ssunidha766@gmail.com
6	पुदुचेरी	1. श्री जी. कनियामुथन 2. रिक्त 3. श्री आर. कृष्णमूर्ति	अध्यक्ष सदस्य (लाइसेंसधारी) स्वतंत्र सदस्य	नंबर 6, 17वीं क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर, पुदुचेरी– 605005	04132201351	cgrfpon@gmail.com

अनुलग्नक –2

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई/अन्य सुनवाई और आदेश जारी करने का विवरणः –

जन सुनवाईः–

क्र.सं.	याचिका सं.	याचिकाकर्ता	मामला	सुनवाई की तिथि	आदेश की तिथि
1	118/2024	ईडी, लक्षद्वीप	वित्त वर्ष 2019–20 के लिए ट्रू–अप, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए एपीआर समीक्षा और वित्त वर्ष 2024–25 के लिए एआरआर और टैरिफ प्रस्ताव के लिए याचिका	14.05.2024	10.06.2024
2	125/2024	ईडी, चंडीगढ़	इंजीनियरिंग विभाग, चंडीगढ़ के विद्युत विंग के लिए वित्त वर्ष 2021–22 के ट्रू–अप, वित्त वर्ष 2023–24 के एपीआर और वित्त वर्ष 2024–25 के एआरआर टैरिफ प्रस्ताव के लिए टैरिफ याचिका	21.06.2024	25.07.2024

अन्य सुनवाईः–

क्र.सं.	याचिका सं.	याचिकाकर्ता	मामला	सुनवाई की तिथि	आदेश की तिथि
1	126/2024	डीएनएचडीडी पीसीएल	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 (1) (च) के तहत याचिका, जिसमें 2024 की याचिका संख्या 120 में पारित दिनांक 22.05.2024 के आदेश की समीक्षा की मांग की गई है	22.10.2024 और 17.12.2024	21.01.2025
2	127/2024	डीएनएचडीडी पीसीएल	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94 (1) (1) के अंतर्गत समीक्षा याचिका, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ट्रू–अप, वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा और वर्ष 2024–25 के लिए आवश्यक वार्षिक राजस्व एवं पारेषण शुल्क को अनुमोदित करने के दिनांक 11/06/2024 के आदेश की समीक्षा की मांग की गई है।	22.10.2024 और 13.11.2024	10.12.2024

क्र.सं.	याचिका सं.	याचिकाकर्ता	मामला	सुनवाई की तिथि	आदेश की तिथि
3	128 / 2025	ईडी, अंडमान	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ख) के अंतर्गत। चौथम पावर हाउस कॉम्प्लेक्स में विद्युत विभाग के 33 केवी ग्रिड को निरंतर 10 मेगावाट बिजली देने हेतु डीजी सेट के माध्यम से बिजली खरीद की मंजूरी के लिए याचिका।	09.04.2025 और 16.01.2025	06.05.2025
4	129 / 2025	ईडी, अंडमान	स्वराज द्वीप के इंडोर बस स्टेशन को शाम के पीक आवर्स (शाम 5:00 बजे से रात 10:00 बजे तक) 2 मेगावाट क्षमता वाले पावर हाउस और नॉन–पीक आवर्स में औसतन 900 किलोवाट क्षमता वाले पावर हाउस हेतु तीन वर्ष की अवधि हेतु डीजी सेटों के माध्यम से बिजली खरीदने की स्वीकृति हेतु याचिका – के संबंध में	09.04.2025 और 16.01.2025	06.05.2025
5	130 / 2025	ईडी, अंडमान	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) (ख) के अंतर्गत विद्युत विभाग, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, विद्युत भवन, श्री विजयपुरम–744101 के बीच "श्री विजयपुरम स्थित विद्युत विभाग के 33 केवी ग्रिड को निरंतर 5 मेगावाट बिजली प्रदान करने हेतु डीजी सेटों के माध्यम से बिजली खरीदने हेतु विद्युत बिक्री समझौते" के अनुमोदन हेतु याचिका।	16.01.2025 और 09.04.2025	05.05.2025
6	131 / 2025	ईडी, अंडमान	विद्युत विभाग, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, विद्युत भवन, श्री विजयपुरम–744101 के बीच "पोर्ट ब्लेयर स्थित विद्युत विभाग के 33 केवी ग्रिड को निरंतर 10 मेगावाट बिजली प्रदान करने हेतु डीजी सेटों के माध्यम से बिजली खरीदने हेतु विद्युत बिक्री समझौते" के अनुमोदन हेतु याचिका।	16.01.2025 और 09.04.2025	05.05.2025

क्र.सं.	याचिका सं.	याचिकाकर्ता	मामला	सुनवाई की तिथि	आदेश की तिथि
7	132 / 2025	ईडी, अंडमान	"दक्षिण अंडमान के बम्बूफ्लैट में डीजी सेटों के माध्यम से बिजली की खरीद – तीन वर्षों की अवधि के लिए बम्बूफ्लैट के दो 33 केवी वितरण फीडरों को चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति, जिनका 2.5 मिलियन यूनिट प्रति माह के लक्षित मासिक उत्पादन के साथ दिन और रात का औसत भार 4 मेगावाट और शाम का औसत पीक लोड 4.5 मेगावाट (शाम 5:00 बजे से रात 10:00 बजे तक) है" के समझौते के अनुमोदन हेतु याचिका।	16.01.2025 और 09.04.2025	06.05.2025
8	133 / 2025	ईडी, अंडमान	"दक्षिण अंडमान जिले के ओगराब्रांज गाँव में डीजी सेटों के माध्यम से बिजली की खरीद – तीन वर्षों की अवधि के लिए बम्बूफ्लैट के दो 33 केवी वितरण फीडरों को चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति, जिनका 2.5 मिलियन यूनिट प्रति माह के लक्षित मासिक उत्पादन के साथ दिन और रात का औसत भार 4 मेगावाट और शाम का औसत पीक लोड 4.5 मेगावाट (शाम 5:00 बजे से रात 10:00 बजे तक) है", समझौते के अनुमोदन हेतु याचिका।	16.01.2025 और 09.04.2025	20.05.2025
9	134 / 2025	स्वतः संज्ञान लेना	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के अंतर्गत वितरण / पारेषण लाइसेंसधारी और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 16 के अंतर्गत वितरण / संचरण लाइसेंसधारियों के लिए नियम व शर्तें निर्दिष्ट करना।	11.03.2025	12.03.2025 (अंतरिम आदेश)
10	135 / 2025	डीएनएचडी डीपीडीसीएल	जेईआरसी (अंतर–राज्यीय पारेषण एवं वितरण में कनेक्टिविटी एवं मुक्त पहुँच) विनियम, 2017 के विनियम 9.6, 9.9 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ, जेईआरसी (कार्य संचालन) विनियम, 2009 के विनियम 78 और 79 के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 86 के अंतर्गत विविध आवेदन	15.05.2025	08.07.2025

31.03.2025 तक अधिसूचित विनियमों की सूची

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	विनियमन शीर्षक	अधिसूचना की तिथि
1.	जेईआरसी–01/2009	• (कार्य संचालन) विनियम–2009	30.07.2009
		• पहला संशोधन विनियम–2013	30.04.2013
		• दूसरा संशोधन विनियम–2013	11.10.2013
		• तीसरा संशोधन विनियम–2014	15.05.2014
		• चौथा संशोधन विनियम–2015	11.02.2015
		• पाँचवाँ संशोधन विनियम–2019	11.09.2019
		• छठा संशोधन विनियम–2023	15.12.2023
2.	जेईआरसी–02/2009	अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्तें विनियम–2009	30.07.2009
3.	जेईआरसी–03/2009	लोकपाल की नियुक्ति और कार्यप्रणाली विनियम–2009	30.07.2009
		• पहला संशोधन विनियम–2013	• 04.04.2013
		• दूसरा संशोधन विनियम–2015	• 01.01.2015
		• तीसरा संशोधन विनियम–2017 (निरस्त)	• 12.06.2017
4.	जेईआरसी–04/2009	उपभोक्ता शिकायतों के निवारण हेतु फोरम की स्थापना विनियम–2009 • पहला संशोधन विनियम–2013 • दूसरा संशोधन विनियम–2015 (निरस्त)	31.07.2009 • 25.03.2013 • 30.01.2015
5.	जेईआरसी–05/2009	(पारेषण लाइसेंसधारियों और वितरण लाइसेंसधारियों के अन्य व्यवसायों का उपचार) • पहला संशोधन विनियम–2016	18.12.2009 • 19.10.2016
6.	जेईआरसी–06/2009	प्रदर्शन मानक विनियम–2009 (निरस्त)	18.12.2009
7.	जेईआरसी–07/2009	राज्य सलाहकार समिति विनियम–2009 • पहला संशोधन विनियम–2015	18.12.2009 • 21.01.2015
8.	जेईआरसी–8/2009	परामर्शदाताओं की नियुक्ति विनियम–2009 • पहला संशोधन विनियम–2015 • दूसरा संशोधन विनियम–2023	11.02.2010 • 21.01.2015 • 03.08.2023

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	विनियमन शीर्षक	अधिसूचना की तिथि
9.	जेईआरसी–9/2009	पारेषण और वितरण में खुली पहुंच विनियम–2009 (निरस्त)	11.02.2010
10.	जेईआरसी–10/2009	टैरिफ विनियमन–2009 के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें (निरस्त)	08.02.2010
11।	जेईआरसी–11/2010	विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम–2010 (निरस्त)	20.05.2010
12.	जेईआरसी–12/2010	राज्य ग्रिड कोड विनियम–2010	07.08.2010
13.	जेईआरसी–13/2010	विद्युत व्यापार विनियम–2010	31.08.2010
14.	जेईआरसी–14/2010	नवीकरणीय ऊर्जा खरीद विनियम–2010 • पहला संशोधन विनियम–2014 • दूसरा संशोधन विनियम–2015 • तीसरा संशोधन विनियम–2016 • चौथा संशोधन विनियम–2022 • पांचवां संशोधन विनियमन–2024	30.11.2010 • 19.02.2014 • 22.12.2015 • 22.08.2016 • 24.03.2022 • 28.05.2024
15.	जेईआरसी–15/2010	वितरण संहिता विनियम–2010 • पहला संशोधन विनियम–2016	11.08.2010 • 21.11.2016
16.	जेईआरसी–16/2013	अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया विनियम–2013	29.04.2013
17.	जेईआरसी–17/2014	मांग पक्ष प्रबंधन विनियम–2014	24.06.2014
18.	जेईआरसी–18/2014	बहुवर्षीय वितरण शुल्क विनियम–2014 (निरस्त)	30.06.2014
19.	जेईआरसी–19/2015	सौर ऊर्जा – ग्रिड से जुड़े ग्राउंड माउंटेड और सौर रूफटॉप और मीटरिंग विनियम–2015 (निरस्त)	15.05.2015
20.	जेईआरसी–20/2015	वितरण लाइसेंसधारियों के लिए प्रदर्शन मानक विनियमन–2015 • (पहला संशोधन) विनियम, 2024	24.07.2015 • 27.05.2024
21.	जेईआरसी–21/2017	अंतर–राज्यीय पारेषण और वितरण विनियमों में कनेक्टिविटी और खुली पहुंच – 2017 • पहला संशोधन विनियम, 2020 • दूसरा संशोधन विनियम, 2022 • तीसरा संशोधन विनियम, 2024	14.03.2018 • 25.11.2020 • 06.05.2022 • 13.08.2024
22.	जेईआरसी–22/2018	(उत्पादन, पारेषण और वितरण बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, 2018	10.08.2018

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	विनियमन शीर्षक	अधिसूचना की तिथि
23.	जेईआरसी–23/2018	विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम–2018 • पहला संशोधन विनियम–2019 • दूसरा संशोधन विनियम–2021 • तीसरा संशोधन विनियम, 2024	26.11.2018 • 25.03.2019 • 25.06.2021 • 13.08.2024
24.	जेईआरसी–24/2019	नेट मीटरिंग विनियमों पर आधारित सौर पीवी ग्रिड इंटरैक्टिव प्रणाली–2019 • पहला संशोधन विनियम, 2024	24.07.2019 • 01.08.2024
25.	जेईआरसी–25/2019	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विनियमों से टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें – 2019 नियंत्रण अवधि की प्रयोज्यता का विस्तार–आदेश नियंत्रण अवधि की प्रयोज्यता का विस्तार अधिसूचना	24.07.2019 23.08.2022 25.07.2023
26.	जेईआरसी–26/2019	उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल विनियम–2019 • शुद्धिपत्र	11.09.2019 • 21.04.2020
27.	जेईआरसी–27/2020	पारेषण और वितरण लाइसेंसिंग विनियम, 2020	10.02.2021
28.	जेईआरसी–28/2020	उत्पादन, पारेषण और वितरण बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2021 • पहला संशोधन विनियम, 2023	22.03.2021 • 22.08.2023
29.	जेईआरसी 31/2024	उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल, 2024	16.08.2024
30.	जेईआरसी 32/2024	उत्पादन, पारेषण और वितरण बहुवर्षीय टैरिफ, 2024	15.10.2024
31.	जेईआरसी 33/2024	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें, 2024	24.10.2024
32.	जेईआरसी 34/2024	चिकित्सा सुविधा, 2024	12.11.2024
33.	जेईआरसी/35/2024	न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच हेतु, 2024	17.02.2025

ANNUAL REPORT

FINANCIAL YEAR 2024-25

(Under Section 104 & 105 of the Electricity Act, 2003)

XVII EDITION

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(FOR THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES)
3rd & 4th Floor, Plot No.55-56
Sector-18, Udyog Vihar: Phase-IV, Gurugram-122015(Haryana)
Website: www.jercuts.gov.in
E-mail: secy.jercuts@gov.in

TABLE OF CONTENTS

FROM THE DESK OF THE CHAIRPERSON		4-6
ABBREVIATIONS		7
I.	**ORGANIZATIONAL SETUP AND ADMINISTRATION**	8
The Commission		
II.	**FUNCTIONS AND DUTIES OF THE COMMISSION**	8-10
(i)	The Mandate	
(ii)	The Mission Statement	
(iii)	The Functions of the Commission	
III.	**PROFILE OF THE MEMBERS OF THE COMMISSION**	11-12
IV.	**ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE COMMISSION**	13
V.	**OFFICE OF THE COMMISSION**	14-16
(i)	Public Hearings	
(ii)	Website	
(iii)	Digital Workplace: e-Office Implementation	
(iv)	Trainings	
(v)	RTI	
(vi)	Parliament Questions	
(vii)	Vigilance/Disciplinary Cases	
VI.	**ACTIVITIES OF THE COMMISSION DURING FY 2024-25**	16-30
(i)	Regulations	
(ii)	Public Hearings on ARR and Tariff Determination during FY 2024-25	
(iii)	Glimpses of Public Hearings	
(iv)	Determination of Tariff and Annual Revenue Requirement for FY 2025-26	
(v)	Determination Of Generic Levelised Tariff For Renewable Energy Based Technologies	
(vi)	Important Parameters of the Electricity Utilities under JERC jurisdiction	
(vii)	State Advisory Committee Meetings	
(viii)	Status of petitions during FY 2024-25	
(ix)	Adjudication of Disputes and Differences	
(a)	Establishment of Consumer Grievance Redressal Forum	
(b)	Electricity Ombudsman	
VII.	**OUTCOME OF REGULATORY PROCESS IN TERMS OF BENEFIT TO CONSUMERS AND DEVELOPMENT OF THE SECTOR**	30-33
1.	**Benefit to Consumers**	
(a)	Regulation for Distribution and Transmission Business	
(b)	Improving Tariff Rationalization	
(c)	Consumer Awareness and Education	

2.	**Development of the Sector**	33-35
(a)	Tariff Regulation	
(b)	Green Energy Open Access	
(c)	Promotion of Renewable Energy	
(d)	Promotion of EV Charging Station	
(e)	Monitoring and Enforcement	
(f)	Curb Pilferage of Energy	
VIII.	**MAJOR CONCERNS BEFORE THE COMMISSION**	35
(a)	Reduction of AT&C losses & Reliable Power Supply	
(b)	Standard of Performance of Licensees	
(c)	Disputes Resolution	
(d)	Policy and Decision Making	
IX.	**LICENSEES, INVESTMENT, APPROVALS etc.**	36-37
(a)	Licenses / Exemptions:	
(b)	Investment approvals- Transmission and Distribution Schemes	
(c)	Power Purchase Agreements	
X.	**SUBSIDY PROGRAMMES (ALLOCATIONS TO BENEFICIARIES)**	37
XI.	**SEPARATE AUDIT REPORT ON ANNUAL ACCOUNTS FOR FY 2024-25**	38-44
XII.	**ANNUAL ACCOUNTS OF THE COMMISSION**	45-67
XIII.	**DETAILS OF INFORMATION UNDER RTI ACT 2005**	68
XIV.	**DETAILS OF THE INFORMATION AND FACILITIES AVAILABLE FOR PUBLIC**	68
XV.	**AGENDA FOR FINANCIAL YEAR 2025-26**	68-69
I.	Business Plan Petition for MYT control period of FY 2025-26 to FY 2029-30	
II.	Multi-Year Annual Revenue Requirements and Determination of Tariff	
III.	Multi-Year Generation & Transmission True-ups.	
IV.	Amendment in Regulations	
V.	State Advisory Committee Meetings	
VI.	New Regulations	
XVI.	**AN OVERVIEW OF THE POWER SECTOR**	69-70
	1.Generation	
	2.Transmission	
	3. Distribution	
ANNEXURES		71-77
Annexure-1: -Details of Consumer Grievances Redressal Forums & Electricity Ombudsman		
Annexure-2: -Details of Public Hearings/other hearings conducted by the Commission and issuance of orders during FY 2024-25		
Annexure-3: -List of notified Regulations as on 31.03.2025		

FROM THE DESK OF THE CHAIRPERSON

सत्यमेव जयते

Alok Tandon
Chairperson

It gives me immense pleasure to present the Seventeenth Annual Report of the Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for the State of Goa and Union Territories for the financial year 2024–25. This report is prepared in accordance with the provisions of Sections 104 and 105 of the Electricity Act, 2003, and the JERC (Preparation of Annual Report) Rules, 2010. It provides a comprehensive summary of the Commission's key activities and includes a snapshot of the annual accounts for the year.

Established on 30th May 2008 and operational since August 2008, the Commission has remained committed to promoting a fair, transparent, and efficient regulatory framework for the power sector in Goa and the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Puducherry, and Lakshadweep.

During FY 2024–25, the Commission issued the following tariff orders for FY 2024-25:

- Puducherry Power Corporation Limited (Generation)
- Electricity Department of Daman & Diu (Transmission Division)
- Electricity Department of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu (Transmission Division)
- DNH & DD Power Corporation Ltd. (Transmission)
- Lakshadweep Electricity Department (Distribution)
- Electricity Department, Government of Puducherry (Distribution)
- Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu Power Distribution Corporation Ltd. (Distribution)
- Electricity Department, Government of Goa (Distribution)
- Electricity Department, Andaman & Nicobar Islands (Distribution)
- Electricity Wing of Engineering Department, Chandigarh (Distribution)

The Commission also undertook the Annual Performance Review and True-up exercises of some of these licensees as part of the said tariff orders.

Further, the business plan orders and tariff orders for 4th MYT Control Period as per JERC (Generation, Transmission and Distribution Multi-Year Tariff) Regulations, 2024 is delayed pertaining to the implementation of JERC (Retail Supply Tariff Structure) Guidelines, 2024 by the distribution utilities. The tariff orders for transmission licensees were delayed pertaining to the merger of three transmission licensees namely EDDD, ED-DNH and DNHDDPCL into a single entity named DNHDDPCL.

Based on the above, the Commission has issued the business plan order and tariff order of PPCL for the 4th MYT Control Period.

To enhance stakeholder engagement, the Commission regularly interacts with consumer groups, industry associations, and institutional representatives through meetings of the State Advisory Committee. During the year, the Commission held its 20th State Advisory Committee meeting, the details of which are provided in the subsequent chapters of this report.

Further regulatory initiatives taken during FY 2024–25 include:

- Issuance of the JERC (Generation, Transmission and Distribution Multi-Year Tariff) Regulations, 2024 for tariff determination from FY 2025–26 to FY 2029–30, notified on 15.10.2024.
- Notification of the JERC (Terms and Conditions for Tariff Determination from Renewable Energy Sources) Regulations, 2024, notified on 24.10.2024.
- Amendment of JERC (Standard of Performance for Distribution Licensees) (First Amendment) Regulations, 2024 to enable automatic compensation to consumers and to standardize reliability parameters by discoms, notified on 27.05.2024.
- Alignment of Renewable Purchase Obligation (RPO) targets through JERC (Procurement of Renewable Energy) (Fifth Amendment) Regulations, 2024, in accordance with the Ministry of Power's notification dated 28.05.2024.
- Promotion of rooftop solar through the JERC (Solar PV Grid Interactive System based on Net Metering & Gross Metering) (First Amendment) Regulations, 2024, notified on 01.08.2024.
- Notification of the Electricity Supply Code (Third Amendment) Regulations, 2024, notified on 02.08.2024.
- Implementation of Green Open Access Rules via the JERC (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) (Third Amendment) Regulations, 2024, notified on 13.08.2024.
- JERC (Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman) Regulations, 2024, notified on 16.08.2024.
- The Commission issued the JERC (Retail Supply Tariff Structure) Guidelines, 2024 on 20.12.2024 aimed at rationalizing consumer categories based on usage patterns and voltage levels across the distribution utilities under its jurisdiction.

Upholding consumer interest remains central to the Commission's mission. Grievances are addressed promptly through the Electricity Ombudsman and Consumer Grievance Redressal Forums. The Commission has also issued the JERC (Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman) Regulations, 2024, in alignment with the provisions of the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 and subsequent amendments by the Government of India.

In our continuous pursuit of a responsive and collaborative regulatory environment, the Commission emphasizes consultation, transparency, and stakeholder engagement, conducting public hearings and interactions with experts and consumer bodies.

As we move ahead, the JERC remains committed to fostering a power sector that is resilient, inclusive and future-ready. We will continue to work towards an ecosystem that encourages innovation, safeguards consumer rights, and meets the evolving energy aspirations of the regions under its jurisdiction.

I feel proud to acknowledge the constructive cooperation extended by Ministry of Power without which it is difficult to manage multi-faceted and challenging tasks that the Commission has to discharge with very limited and scarce resources, in terms of manpower, at its disposal. I also extend my sincere gratitude to the dedicated staff of the Commission for their unwavering support in the discharge of their duties.

In conclusion, I extend my heartfelt appreciation to all stakeholders—generation, transmission, and distribution utilities, consumers and their representatives, Members, Officers and staff – regular and contractual - of the Commission, and participants of the State Advisory Committee for their constructive engagement, valuable suggestions, and support. Your cooperation has been instrumental in enabling the Commission to issue balanced, consumer-centric tariff orders and discharge its regulatory responsibilities effectively.

With these reflections, I proudly present the Seventeenth Annual Report of the Commission for FY 2024–25.

(Alok Tandon)
Chairperson

ABBREVIATIONS

ABBREVIATION	FULL FORM
ACoS	Average Cost of Supply
APR	Annual Performance Review
ARR	Aggregate Revenue Requirement
APTEL	Appellate Tribunal for Electricity
BESS	Battery Energy Storage System
CERC	Central Electricity Regulatory Commission
CGRF	Consumer Grievances Redressal Forum
DNHDDPCL	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu Power Corporation Limited
DNHDDPDCL	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu Power Distribution Corporation Limited
ED	Electricity Department
FOIR	Forum of Indian Regulators
FOR	Forum of Regulators
FPPCA	Fuel and Power Purchase Cost Adjustment
FY	Financial Year
GoI	Government of India
IAS	Indian Administrative Service
JERC	Joint Electricity Regulatory Commission (For the State of Goa and Union Territories)
MoP	Ministry of Power
MYT	Multi Year Tariff
MoU	Memorandum of Understanding
NHPC	National Hydro Power Corporation
PFC	Power Finance Corporation
PPCL	Puducherry Power Corporation Limited
PPA	Power Purchase Agreement
PSU	Public Sector Undertaking
REC	Rural Electrification Corporation
RPO	Renewable Purchase Obligations
RTI	Right to Information
SAC	State Advisory Committee
SECI	Solar Energy Corporation of India
SRPC	Southern Regional Power Committee
T&D	Transmission and Distribution
WRPC	Western Regional Power Committee

I. ORGANIZATIONAL SETUP AND ADMINISTRATION

THE COMMISSION

In exercise of the powers conferred by Section 83 of the Electricity Act, 2003, the Central Government constituted a two member 'Joint Electricity Regulatory Commission' for all Union Territories except Delhi to be known as 'Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territories' with Headquarters at Delhi, as notified vide notification no. 23/52/2003 – R&R dated 2nd May, 2005. Later, with the joining of the State of Goa, the Commission came to be known as the 'Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories' as notified vide notification no. 23/52/2003 – R&R (Vol. II) on 30th May, 2008. The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories started functioning with effect from August 2008. The office of the Commission is presently located in a rented building in the district town of Gurugram, Haryana.

During the year, the Commission has endeavored to continue further with its fair, transparent and objective regulatory process in the State of Goa and Union Territories. The Sixteenth Annual Report of the Commission showcases the activities of the Commission during the Financial Year 2023-24.

The Commission is a two-member commission. The Chairperson and Member are appointed by Central Govt. The Commission, for the purpose of any inquiry or proceedings under the Electricity Act, 2003 has the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the matters listed under sub-section (1) of Section 94 of the Act.

All proceedings before the Commission are deemed to be judicial proceedings within the meaning of Sections 193 and 228 of the Indian Penal Code and the Commission is deemed to be a Civil Court for the purposes of Sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973. The Commission has the sole jurisdiction to adjudicate or nominate arbitrator(s) to arbitrate and resolve all disputes arising between generating companies and the licensees.

II. FUNCTIONS AND DUTIES OF THE COMMISSION

(i) THE MANDATE

The Electricity Act, 2003 aims to consolidate the laws relating to generation, transmission, distribution, trading and use of electricity and generally for taking measures conducive to development of electricity industry, promoting competition therein, protecting interest of consumers and supply of electricity to all areas, rationalization of electricity tariff, ensuring transparent policies regarding subsidies, promotion of efficient and environmentally benign policies, constitution of the Central Electricity Authority, Regulatory Commissions and establishment of Appellate Tribunal for electricity. It also aims to create an enabling framework conducive to development of the power sector in an open, non-discriminatory, competitive, market driven environment; keeping in view the interest of consumers, as well as power suppliers. In this context, the role of the Commission is pivotal in order to realize the objectives envisaged in the Electricity Act.

(ii) MISSION STATEMENT

JERC (for the State of Goa and Union Territories) is committed to carry out all the functions specified for Joint Regulatory Commissions in the Electricity Act,2003 in a manner which is efficient, fair and judicious for all stakeholders.

In particular, JERC is committed to provide an appropriate Regulatory Framework for ensuring that the Regulated entities in the Electricity Generation, Transmission and Distribution Sectors in the State of Goa and Union Territories namely Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Puducherry and Lakshadweep Islands functions efficiently, judiciously and optimally in the best interest of consumers within the framework of the Electricity Act, 2003, related Government policies and the Regulation issued by this Commission.

(iii) THE FUNCTIONS OF THE COMMISSION

According to the Electricity Act, 2003, the JERC is committed to create an efficient and economically viable electricity system in the State of Goa and the Union Territories (except Delhi, J&K and Ladakh), balancing the interests of all stakeholders while fulfilling its primary responsibility to ensure reliable supply of power at affordable rates and is guided by the principles of transparency, accountability, equitability and in discharge of its functions, to safeguard the interests of the licensees and generating companies in the State of Goa and the Union Territories (except Delhi, J&K and Ladakh) and to give a fair deal to consumers at the same time. To achieve the above, the Commission is mandated to carry out the following functions u/s 86(1) of the Electricity Act, 2003: -

a) Determine the tariff for generation, supply, transmission and wheeling of electricity, wholesale, bulk, or retail, as the case may be, within the State and Union Territories:

   Provided that where open access has been permitted to a category of consumers under section 42, the Joint Commission shall determine only the wheeling charges and surcharge thereon, if any, for the said category of consumers;

b) Regulate electricity purchase and procurement process of distribution licensees including the price at which electricity shall be procured from the generating companies or licensees or from other sources through agreements for purchase of power for distribution and supply within the State and Union Territories;

c) Facilitate intra-state transmission and wheeling of electricity;

d) Issue licenses to persons seeking to act as transmission licensees, distribution licensees and electricity traders with respect to their operations within the State/ Union Territories;

e) Promote cogeneration and generation of electricity from renewable sources of energy by providing suitable measures for connectivity with the grid and sale of electricity to any person, and also specify, for purchase of electricity from such sources, a percent-age of the total consumption of electricity in the area of a distribution licensee;

f) Adjudicate upon the disputes between the licensees, and generating companies and to refer any dispute for arbitration;

g) Levy fee for the purposes specified under this Act;

h) Specify State Grid Code consistent with the Indian Electricity Grid Code (IEGC) specified by Central Electricity regulatory Commission;

i) Specify or enforce standards with respect to quality, continuity, and reliability of ser-vice by licensees;

j) Fix the trading margin in the intra-State trading of electricity, if considered, necessary;

k) Discharge such other functions as may be assigned to it under this Act.

As per Section 86(2) of the Act, the Commission shall advise the State/ Union Territory Government on all or any of the following matters, namely: -

i) Promotion of competition, efficiency, and economy in activities of the electricity industry;

ii) Promotion of investment in electricity industry;

iii) Reorganization and restructuring of electricity industry in the State/ UTs

iv) Matters concerning generation, transmission, distribution and trading of electricity or any other matter referred to the Joint Commission by the Government.

In terms of Section 86(3), the Commission shall ensure transparency while exercising its powers and discharging its functions; and, as per section 86(4), in discharge of its functions the Commission is guided by the Electricity Act, 2003, the National Electricity Policy, National Electricity Plan and Tariff Policy.

III. PROFILE OF THE MEMBERS OF THE COMMISSION

The Commission, during the period of the present Annual Report, consisted of the following Members:

Chairperson

Shri Alok Tandon
Chairperson (31st March, 2023-Continuing)

Shri Alok Tandon joined the Indian Administrative Service (IAS), the premier civil service of India in 1986 and was allotted Uttar Pradesh cadre. During his career, he handled various assignments in various departments/ministries of the Government of Uttar Pradesh including Joint Secretary in the Department of Heavy Industries and District Magistrate of three districts — Maharajganj, Allahabad and Varanasi. He was the Chairman Cum Managing Director of UP Rajya Vidyut Utpadan Nigam and Chairman cum CEO of Noida Authority and Infrastructure & Industrial Development Commissioner.

Shri Tandon has also held significant administrative positions in the Govt of India. He worked as Joint Secretary, Ministry of Finance (October, 2011 to June, 2016) and as Secretary, Ministry of Mines, (January, 2021 to September, 2022), before his superannuation in 2022 after serving for 36 years. After superannuation, Shri Tandon joined the Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa & UTs) as Chairman, on 31st March, 2023.

Shri Tandon, is an Electrical Engineer (B.Tech.) from IIT-Kanpur (1984 batch), and the recipient of the President's Gold Medal. He has a Master's degree in Public Policy from Princeton University (2006) and a recipient of World Bank's Robert S. McNamara Fellowship. Additionally, he holds a Ph.D. degree in Economics. He was also awarded the Chevening Gurukul Scholarship by the UK Foreign, Commonwealth and Development Office in the year 2010.

Member

Smt. Jyoti Prasad

Member (Law) (6th December, 2021- Continuing)

Smt. Jyoti Prasad took over as Member (Law), Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and UTs on 6th December, 2021.

Smt. Jyoti Prasad, a Science & Law Graduate from Delhi University, was a practicing Lawyer in Delhi High Court. Before joining JERC for the State of Goa & UTs, she had served Power Grid Corporation of India Ltd. for over 28 years. During her tenure with Power Grid Corporation of India Ltd., she immensely contributed to dealing with arbitration-related cases, contract laws, service laws, regulatory and advisory issues. She also actively involved in handling advisory issues of various departments in the corporate centre.

Smt. Prasad also worked in POSOCO and made significant contributions to all the Regulations of CERC as well as the regulatory issues of POSOCO, including the RLDCs. She also actively participated in all regulatory matters relating to the Central Transmission Utility (CTU), Grant of Connectivity, and Open Access to the Transmission System. She has also handled cases of CERC, APTEL, Delhi High Court, and Supreme Court of India.

IV. ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE COMMISSION

The Organization Chart based on the sanctioned staff strength is depicted below: -

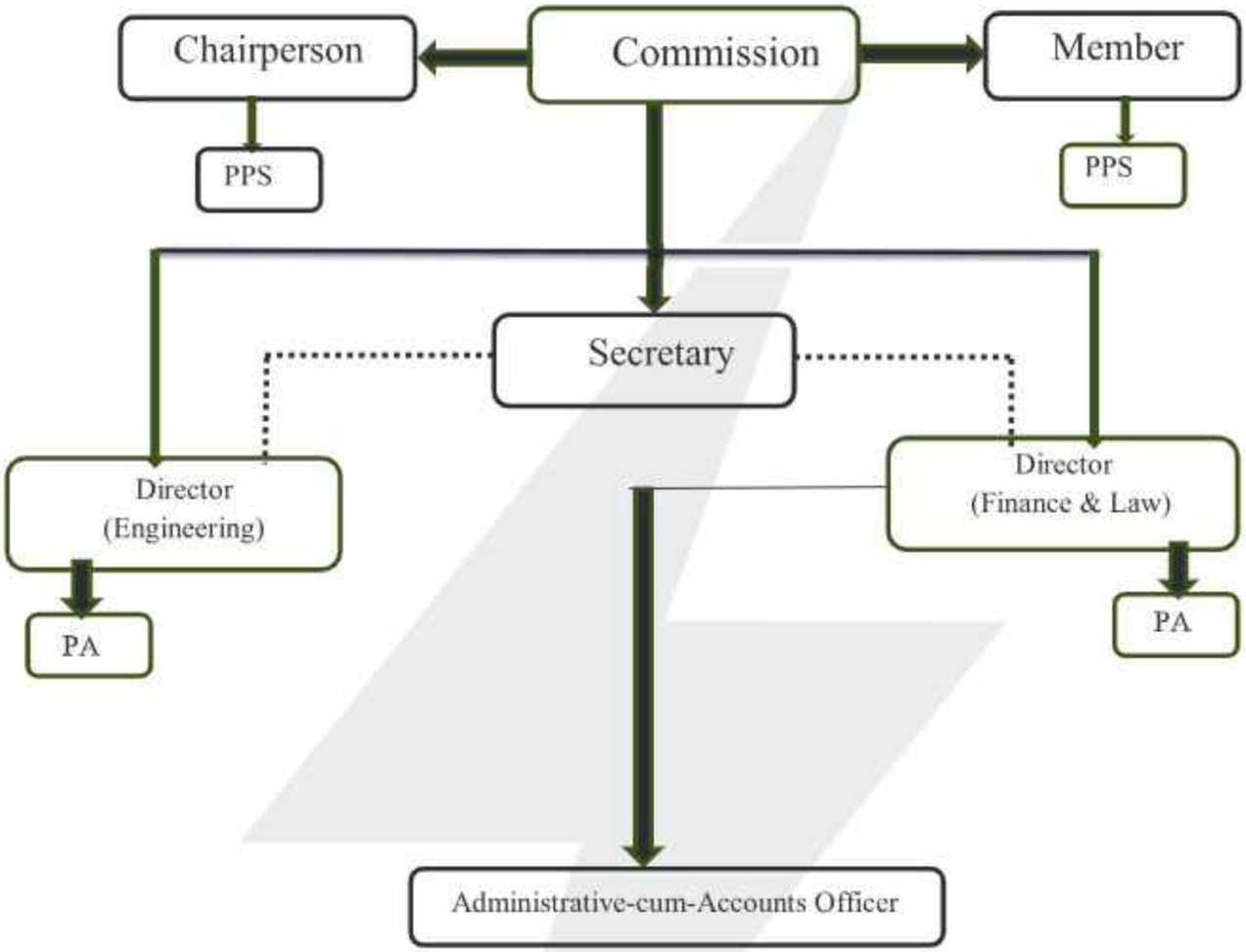

V. OFFICE OF THE COMMISSION

The Commission is functioning through a rented premises located at Plot No.55-56, 3rd& 4th Floor, Udyog Vihar-IV, Sector-18, Gurugram, Haryana with appropriate Conference Room, large Court Room for conducting hearing facilities to conduct its business and to facilitate better working conditions.

(i) PUBLIC HEARINGS

During the FY 2024-25, the Commission has conducted 20 public hearings and other hearings to resolve the matters brought before it, the details of which are placed in the Annexure 2.

(ii) WEBSITE

The computer systems in the Commission's office are connected through Local Area Network (LAN). The system is useful for access to any reference information. The Commission has its own website i.e. www.jercuts.gov.in which is regularly maintained and updated by its Secretariat. The website of the Commission is being redesigned with more interactive Graphic User Interface.

The website is used for hoisting hearing schedules, news, updates, notices inviting comments on Regulations/Petitions, notified Regulations and Orders of the Commission etc. It also provides information on Consumer Grievances Redressal Forums and Ombudsman and guides consumers for redressal of their grievances.

(iii) DIGITAL WORKPLACE: E-OFFICE IMPLEMENTATION

The Office of the Commission has been completely digitized. E-Office Implementation has enhanced transparency and well-organized work process in the Commission. The quality and speed of decision making is easier to monitor. It helped in enabling increased accountability and ensures data security and integrity.

(iv) TRAINING

The Staff of the Commission has attended various training programs and workshops conducted by reputed institutions to keep themselves updated about the latest developments in the power sector. During FY 2024-25, the following trainings/workshops were attended by the staff of the Commission: -

S. No.	Particulars of Training/ Workshop	Organized by	No. of participants attended	Date of training
1	One-day International Conference on 'Transmission/ Distribution Planning for Mega Cities/ Big Cities'	Central Board of Irrigation & power (CBIP) & CIGRE	01	26.04.2024

S. No.	Particulars of Training/ Workshop	Organized by	No. of participants attended	Date of training
2	5th Annual India Power Conference - Moving Towards Cleaner and Sustainable Future - Request for Nomination-reg	Elekore System Private Limited	01	20.06.2024 to 21.06.2024
3	Invitation to Stakeholders for the Northern Region Capacity Building Workshop	Central Electricity Authority (CEA) & Integrated Research and Action for Development (IRADe)	01	02.07.2024 to 03.07.2024
4	Invitation to Participate in the Conference on "Pumped Hydro Power Storage - The need to support high penetration of Renewable Energy"	Central Board of Irrigation & power (CBIP)	01	25.07.2024 to 26.07.2024
5	Seeking Nominations for Four Month Certificate Course "Regulatory Governance" (Hybrid Mode)- Seventh Batch	The Forum of Indian Regulation (FOIR)	02	Online Course (Four Month)
6	Distribution Utility Meet (DUM-2024)	Uttar Pradesh Power Corporation Ltd. (UPPCL)	01	14.11.2024 to 15.11.2024
7	3-day capacity building program on "Building Resilient Organizations: Strategies for Thriving Amidst Adversity" in Goa	The Forum of Indian Regulation (FOIR)	01	18.12.2024 to 20.12.2024
8	Nomination for Regulatory Certification Program (RCP) on "Power Market Economics and Operation" (Online)	The Centre for Energy Regulation (CER)	02	06.12.2024 to 22.12.2024
9	25th Regulators & Policymakers Retreat (RPR) 2025 for "India's Energy Transition: Security and Challenges".	Independent Power Producers Association of India (IPPAI) (Supporting by CEA)	01	08.01.2025 to 11.01.2025

S. No.	Particulars of Training/ Workshop	Organized by	No. of participants attended	Date of training
10	International Seminar on "Hybrid Renewable Energy, Grid Booster Storage and Gen Z loads: Reliability and Demand Side Challenges"	STEAG Energy Service (India) Pvt. Ltd. associate with CEA, NTPC Ltd.	02	24.01.2025
11	Two days residential training program for CGRF and Ombudsman in association with NPTI, Faridabad - 2025	The Forum of Regulators (FOR) & NPTI	05	20.02.2025 To 21.02.2025
12	03 Days " 22nd Core Course organized by South Asia Forum for Infrastructure Regulation (SAFIR)"	South Asia Forum for Infrastructure Regulation (SAFIR)	02	10.03.2025 To 12.03.2025
13	"Workshop on Development of RCP/RPO Compliance Monitoring Mechanism and Other Associated Activities at Goa	Bureau of Energy Efficiency (BEE)	02	24.03.2025

(v) RIGHT TO INFORMATION

The Commission has a RTI cell for providing information to the applicants under Right to Information Act, 2005. During the financial year 2024-25, seven (07) applications and no appeals were received under Section 6 of RTI Act, 2005. All applications were disposed of within the prescribed time limit as per RTI Act, 2005.

(vi) PARLIAMENT QUESTIONS

During the year, the Commission has replied 15 number of queries/questions related to Power sector, Administration & Establishment raised during Parliament Sessions.

(vii) VIGILANCE / DISCIPLINARY CASES

During the year, three (03) disciplinary proceedings have been initiated against the officers of JERC as per proviso contained in CCS (CCA) Rules, 1965.

VI. ACTIVITIES OF THE COMMISSION DURING THE FY 2024-25

(i) REGULATIONS

The following Regulations were notified / amended during FY 2024-25: -

i. JERC (Standard of Performance for Distribution Licensees) (First Amendment) Regulations, 2024 notified on 12.06.2024.

ii. JERC (Procurement of Renewable Energy) (Fifth Amendment) Regulations, 2024 notified on 06.06.2024.

iii. JERC (Solar PV Grid Interactive System based on Net Metering & Gross Meter-ing) (First Amendment) Regulations, 2024 notified on 11.09.2024.

iv. JERC (Electricity Supply Code) (Third Amendment) Regulations, 2024 notified on 11.09.2024.

v. JERC (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribu-tion) (Third Amendment) Regulations, 2024 notified on 19.09.2024.

vi. JERC (Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman) Regula-tions, 2024 notified on 27.08.2024.

vii. JERC (Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regula-tions, 2024 notified on 20.11.2024

viii. JERC (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) Regulations, 2024 notified on 20.11.2024

ix. JERC (Medical Facility) Regulations, 2024 notified on 20.11.2024.

x. JERC (For holding inquiry to be conducted by adjudicating Officer) Regula-tions, 2024 notified on 17.02.2025.

(ii) PUBLIC HEARINGS ON ARR AND TARIFF DETERMINATION DURING FY 2024-25

Sr. No.	Petition No.	Petitioner	Matter	Date of Hearing
1	118/2023	ED, Lakshadweep	Petition for True-up for FY 2019-20, APR Review for FY 2023-24 and ARR & Tariff Proposal for FY 2024-25	14.05.2024
2	125/2024	ED, Chandigarh	Tarif Petition for True-up of FY 2021-22, APR of FY 2023-24 & ARR Tariff Proposal for FY 2024-25 of Electricity Wing of Engineering Department, Chandigarh	21.06.2024

(iii) GLIMPSES OF THE PUBLIC HEARINGS: -

1. Public Hearing on Tarif Petition for True-up of FY 2021-22, APR of FY 2023-24 & ARR Tariff Proposal for FY 2024-25 of Electricity Wing of Engineering Department, Chandigarh held on 21.06.2024 at Chandigarh.

2. Commission conducted Suo-Moto hearing at its Headquarter on 17th & 18th December, 2024 in the matter of Renewable Purchase Obligation (RPO) ED- Andaman & Nicobar Islands.

3. Commission conducted Suo-Moto hearing at its Headquarter on 17th & 18th December, 2024 in the matter of Renewable Purchase Obligation (RPO) ED- Lakshadweep.

4. Commission conducted Suo-Moto hearing at its Headquarter on 17th & 18th December, 2024 in the matter of Renewable Purchase Obligation (RPO) ED- Puducherry.

5. Commission conducted Suo-Moto hearing at JERC Headquarter held on 17th & 18th December, 2024 in the matter of Renewable Purchase Obligation (RPO) ED- Goa.

6. Commission conducted Suo-Moto hearing at its Headquarter on 17th & 18th December, 2024 in the matter of Renewable Purchase Obligation (RPO) ED- DNHDDPDCL.

7. Commission conducted Suo-Moto hearing at its Headquarter on 17th & 18th December, 2024 in the matter of Renewable Purchase Obligation (RPO) ED- Chandigarh

(iv) DETERMINATION OF TARIFF AND ANNUAL REVENUE REQUIREMENT FOR FY 2025-26 to FY 2029-30

The Commission admitted Business plan petition 4th Control period for generation, transmission, and distribution utilities under its jurisdiction for FY 2025-26 to 2029-30.

The details of Business plan petition admitted are as under: -

S.No.	Petition No.	Petitioner	Matter	Date of Admission
1	136/2025	PPCL	Approval of Business Plan for the 4th Control Period from FY 2025-26 to FY 2029-30.	20.03.2025

The details of True-up and Tariff petitions admitted for the MYT control period 2025-26 to 2029-30 are as under: -

S. No	Petition No.	Petitioner	Matter	Date of Admission
1	137/2025	PPCL	MYT Petition for PPCL Gas Power Station (32.5MW) for the Control Period 2025-26 to 2029-30 along with Annual Performance Review for the FY 2024-25, Revision of Tariff for the period 01.4.2022 to 31.03.2023 after the Provisional truing up	28.03.2025

			exercise and Revision of Tariff for the Period 01.04.2023 to 31.03.2024 after the Provisional truing up exercise- Reg	

(v) DETERMINATION OF GENERIC LEVELISED TARIFF FOR RENEWABLE ENERGY BASED TECHNOLOGIES

S.No.	Matter	Issued Date
1	Determination of the Generic Levelised Tariff for the Renewable Energy Technologies as specified under Regulation 8 of the JERC (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) Regulations, 2024	21.03.2025

(vi) IMPORTANT PARAMETERS OF THE ELECTRICITY DISTRIBUTION UTILITIES UNDER JERC JURISDICTION

IMPORTANT PARAMETERS OF TARIFF ORDERS FOR JERC TERRITORIES (2024-25)

TERRITORIES

Items	DNHDDPDCL	Puducherry	Lakshadweep	Goa	A&N Islands	Chandigarh
ENERGY SALES (MU)						
Total Energy sales	10687.06	3145.54	53.92	4860.87	298.47	1677.27
Domestic (%)	3.17%	25.63%	69.95 %	30.47%	60.38%	48.75 %
Commercial (%)	0.92%	6.57%	8.29 %	14.45%	23.15%	29.70 %
Industrial (%)	95.47%	63.19%	0.85 %	50.03%	3.86%	14.81 %
Agriculture (%)	0.06%	1.92%	-	0.90%	0.78%	0.09 %
Others (%)	0.36%	2.69%	20.91 %	4.15%	11.82%	6.65 %
No. of CONSUMERS						
Total No. of Consumers	105090	532213	28528	748713	157142	235114
Domestic (%)	65.13%	76.15%	75.45 %	77.78%	83.66%	85.70 %
Commercial (%)	8.48%	11.49%	19.18 %	15.16%	15.14%	11.70 %
Industrial (%)	3.21%	1.15%	1.28 %	0.89%	0.27%	1.41 %
Agriculture (%)	1.34%	1.35%	-	1.81%	0.39%	0.05 %
Others (%)	21.81%	9.87%	4.09 %	4.36%	0.54%	1.14 %
CONNECTED LOAD (kW)						
Total Connected Load	1545401	1,469,582	100620	3551846.92	470666	1682838
Domestic (%)	7.6%	48.53%	75.09 %	55.98%	62.74%	55.96 %
Commercial (%)	2.89%	11.41%	9.10 %	17.05%	29.44%	30.47 %
Industrial (%)	87.99%	33.49%	3.45 %	23.07%	2.84%	10.68 %
Agriculture (%)	0.6%	4.52%	-	1.48%	0.31%	0.05 %
Others (%)	0.8%	2.05%	12.36 %	2.42%	4.68%	2.84 %
T&D Loss (%)						
T&D Loss	2.99 %	10.50%	9.25 %	7.95%	11.91%	8.00 %
FINANCIAL PARAMETERS						
AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT (Rs. Crore)						
Power purchase cost	5594.93	1825.12	192.62	2081.55	773.41	878.78
Operations & Maintenance Cost	111.08	86.68	50.55	489.94	268.54	154.75
Net ARR	5791.42	2009.48	259.09	2719.41	1080.90	1059.25
Revenue at Existing Tariff	5507.56	1902.38	35.42	2510.11	252.22	860.54

Items	DNHDDPDCL	Puducherry	Lakshadweep	Goa	A&N Islands	Chandigarh
Standalone Gap/ (Surplus)	283.86	107.1	223.67	209.31	828.68	198.71
Carry over Gap/ (Surplus) from previous year	116.85	611.77	-	0	0*	(120.63)
Tariff Revision (%)	6.3%	7.94%	18.71 %	3.50%	20.80%	9.40 %
Additional Revenue at Revised Tariff	400.8	149.23	6.63	87.27	52.45	80.85
Regulatory Surcharge	-	197.24	-	0	0	0
Closing Gap / (Surplus)	(547.52)	399.21	*	0*	0*	(2.77)
TARIFF SUMMARY (Rs/Unit)						
Average cost of supply	5.53	6.39	48.05	5.59	5.59	6.32
Average Billing Rate	5.53	6.52	7.80	5.34	5.34	5.61
Tariff for EV Vehicles	5.10	5.75	7.80	4.75	4.75	4.07
ABR at approval Tariff (Rs/Unit)						
Domestic	2.75	4.31	5.48	3.5	3.5	5.12
Commercial	4.71	9.41	9.80	6.34	6.34	6.19
Industrial	LT-4.72 HT-5.70	7.31	15.85	6.12	6.12	6.14
Irrigation, Pumps & Agriculture	1.01	0.86	-	2.57	2.57	2.77
ABR % OF ACoS						
Domestic	49.72%	67.47%	11.41 %	62.57%	62.57%	81.10 %
Commercial	85.17%	147.27%	20.39 %	113.08%	113.08%	98.02 %
Industrial	LT-85.35% HT-103.07%	114.45%	32.99 %	109.36%	109.36%	97.22 %
Irrigation, Pumps & Agriculture	18.26%	13.44%	-	45.91%	45.91%	43.81 %

*Standalone Gap/Surplus is subsidized by the Government through the subsidy/Grants

(vii) STATE ADVISORY COMMITTEE MEETINGS

JERC, in terms of Section 87 of the Electricity Act 2003, has constituted a State Advisory Committee (SAC) consisting of members to represent the interest of commerce, industry, transport, agriculture, labour, electricity consumers, Non-Government Organizations and academic and research bodies in the electricity sector. The Committee has mandate to deliberate on the following issues regarding:

i. Major questions of policy;

ii. Matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees

iii. Compliance by licensees with the conditions and requirements of their license;

iv. Protection of consumer interests;

v. Electricity supply and overall standards of performance by utilities.

The Commission organized 20th SAC meeting during the year on 13.12.2024 at Goa.

The following subjects were discussed during the SAC Meeting:

- Highlights of Tariff Orders issued for FY 2024-25
- Discussion on Regulations amended by the Commission during FY 2024-25 up to 20.10.2024
- Discussion on the latest development in the power sector in terms of Renewable Energy
- Discussion on Demand Flexibility & Demand
- Discussion on Resource Adequacy

The details of members who attended the 20th SAC are as under:-

S.No.	Name of the member	Designation
1.	Shri Alok Tandon	Ex-Officio Chairperson, JERC
2.	Smt. Jyoti Prasad	Ex-Officio Member (Law), JERC
3.	Shri S.D. Sharma	Secretary (I/c), JERC
4.	Shri Neel Ratan	Member
5.	Shri S.K. Soonee	Member
6.	Shri Rajesh Kumar Mediratta	Member
7.	Smt. Neerja Mathur	Member
8.	Shri H.L. Bajaj	Member
9.	Shri M.G. Durairaj	Member
10.	Shri K.C. Parekh	Member
11.	Shri Sunil Ijari	Member
12.	Shri Anoop Singh	Member

(viii) STATUS OF PETITIONS DURING THE FY 2024-25

Petitions as on 01.04.2024	19
Petitions received during the FY 2024-25	13
Total Petitions in FY 2024-25	32
Petitions disposed of during the FY 2024-25	27
Petitions as on 31.03.2025	05

The details of the Petitions pending as on 31.03.2025 are as under: -

S.No.	Petition No.	Subject Matter of the Petition	Petitioner(s)
1	134/2025	Distribution / Transmission licensee under Section 14 of the Electricity Act, 2003 and specifying the terms and condition for distribution / transmission licensees under Section 16 of the Electricity Act, 2003	Suo-moto
2	135/2025	Miscellaneous application under section 86 of The Electricity Act read with Regulation 9.6, 9.9 and other applicable provision of the JERC (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulation, 2017 read with Regulation 78 and 79 of the JERC (Conduct of Business) Regulations, 2009.	DNHDDPCL

3	136/2025	Filing of the petition of Business Plan for MYT Control Period for FY 2025-26 to FY 2029-30 under Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa & Union Territories) (Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulations, 2024 issued by JERC under section 61,62, 64 & 86 of the Electricity Act, 2003 read with relevant guidelines.	PPCL
4	137/2025	MYT Petition for PPCL Gas Power Station (32.5MW) for the Control Period 2025-26 to 2029-30 along with Annual Performance Review for the FY 2024-25, Revision of Tariff for the period 01.4.2022 to 31.03.2023 after the Provisional truing up exercise and Revision of Tariff for the Period 01.04.2023 to 31.03.2024 after the Provisional truing up exercise-Reg	PPCL
5	138/2025	Business Plan for the Control Period FY 2025-26 to FY 2029-30 after incorporating new consumer categories as per JERC (Retail Supply Tariff Structure) Guideline 2024	ED, Puducherry

(ix) ADJUDICATION OF DISPUTES AND DIFFERENCES

The Preamble to the Electricity Act, 2003 makes specific mention of protecting the interest of consumers. Section 42(5) of the Act provides for establishment of a Forum for Redressal of Grievances of Consumers by every distribution licensee, in accordance with the guidelines as may be specified by the Commission. Further, Sub-section (6) of Section 42 of the Act, provides for the establishment of an authority known as Ombudsman to be appointed or designated by the Commission. Any consumer of electricity who is aggrieved by non- redressal of his/ her grievance under Sub- section (5) can make a representation for redressal of his grievance to the Ombudsman.

The Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for Goa and UTs, has notified the regulations known as "JERC (Consumer Grievance Redressal Forum and Ombudsman) Regulations, 2024. These are applicable in the State of Goa and UTs of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep Islands, and Puducherry. They provide the procedures and guidelines to be followed in redressal of consumers' grievances. These Regulations are available on the website of the Commission.

(a) ESTABLISHMENT OF CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM

Consumer Grievances Redressal Forums (CGRFs) established by Distribution Licensees/ Electricity Departments in the State of Goa and UTs for redressal of grievances of electricity

consumers, are currently functional in all the territories, the details of which are given in Annexure-1.

Each CGRF has the jurisdiction to entertain the complaints/ grievances of consumers with respect to electricity services provided by the distribution licensee/ Electricity Department under its jurisdiction, except those arising under Section 126 and 127 (unauthorized use of electricity), Section 135 to 139 (theft of electricity and offences and penalties thereof), and Section 161 (notice of accident etc.) under the Electricity Act, 2003.

Model procedures for filing the complaints by consumers have been made available to all CGRFs and are also available on the JERC website. CGRFs have been advised to create awareness among consumers about the procedures for redressal of grievances as laid down by them and give wide publicity to the same by way of display on notice board at various bill collection centers and sub- divisional/ divisional offices of the licensees, as well as on their websites. It has been advised that copies of the model procedures shall also be kept ready in the offices of CGRFs and licensees so that consumers of electricity, if they wish so, for their information or knowledge, can collect it without any hindrance.

Status Report of functioning of all CGRFs during the year 2024-25 are as tabulated below:

1. CGRF-Goa

No. of grievances outstanding at the close of the previous year	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of CGRF in the year
5	50	55	49	6	Nil	19

2. CGRF-Chandigarh

No. of grievances outstanding at the close of the previous year	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of CGRF in the year
3	37	40	35	5	Nil	35

3. CGRF-Andaman & Nicobar

No. of grievances outstanding at the close of the previous year	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of CGRF in the year
12	64	76	72	4	Nil	72

4. CGRF-Lakshadweep

No. of grievances outstanding at the close of the previous year	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of CGRF in the year
Nil	9	9	8	1	Nil	10

5. CGRF-Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu

No. of grievances outstanding at the close of the previous year	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of CGRF in the year
0	0	0	0	0	0	53

6. CGRF-Puducherry

No. of grievances outstanding at the close of the previous year	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of CGRF in the year
15	86	101	86	15	12	55

CGRF's Members are nominated by the Commission for trainings/workshops held on "Protection of Consumer Interest". The following members of CGRFs had attended two days residential

training programme on "Protection of Consumer Interest" during 20th-21st February, 2025 conducted by National Power Training Institute Campus, Faridabad: -

Sr. No.	Name of the Consumer Grievances Redressal Forum (CGRF)	Name of the officer	Designation
1.	CGRF-Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	Sh.Kamlesh R Shah	Independent Member
2.	CGRF-Andaman & Nicobar Islands	Smt. Biji Thomas	Independent Member
3.	CGRF-Lakshadweep	Smt. Sunidha Ismail	Independent Member
4.	CGRF-Puducherry	Sh. R. Krishnamurthy	Independent Member

(b) ELECTRICITY OMBUDSMAN

The Commission has appointed an Electricity Ombudsman, a Statutory Authority for the State of Goa and UTs having jurisdiction in the State of Goa and UTs of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu, Lakshadweep Islands, and Puducherry. Any consumer aggrieved by non- redressal of his complaint or grievance by CGRF has the option to make a representation for redressal of his/ her grievance or dispute to the Ombudsman.

The Ombudsman, in the first instance, endeavors to settle the dispute by mutual agreement between the complainant and the licensee through reconciliation or mediation, failing which it decides the matter in dispute on merit based on the pleadings of the parties concerned i.e., the consumer and the licensee department.

Detailed procedure for submitting a representation to the Ombudsman has been laid down and displayed on the website of the Commission. This has also been sent to CGRFs and licensees for giving wide publicity.

One (01) appeal was pending at the start of FY 2024-25 and twenty five (25) representations/ appeals were admitted during the FY 2024-25, Out of total twenty-six (26) appeals twenty-five (25) nos. of appeals were disposed of during the financial year 2024-25 as per the details give below:-

No. of grievances outstanding at the close of the previous year	No. of grievances received during the year	Total No. of grievances in the year	No. of grievances disposed during the year	No. of grievances pending at the close of the year	No. of grievances pending which are older than two months	No. of sittings of in the year
1	25	26	25	1	1	61

VII. OUTCOME OF REGULATORY PROCESS IN TERMS OF BENEFITS TO CONSUMERS AND DEVELOPMENT OF THE SECTOR

Regulation is the basic tool to implement policy. As national policies change and evolve in response

to the new realities of a fast changing and increasingly interdependent world, the regulations too need to change in order to serve their original purpose. Regulatory regime in power sector aims at rationalization of electricity tariff, transparent policies regarding subsidies, promotion of efficient and environmentally benign policies. This is to be accomplished by balancing the interest of licensees and that of consumers, thereby achieving the twin objective of ensuring reasonable returns to investors and at the same time protecting the interest of consumers. The standard prescription for restructuring and regulatory reform is to set up rules and procedures that reduce regulatory uncertainty and provide reasonable tariff to enable recovery of fixed & variable cost and incentivize return on equity to facilitate efficiency and competition Regulators are given multiple explicit and implicit goals which must be achieved despite number of constraints. These include:

- Charging consumers "reasonable" prices overall for services provided by the regulated monopoly (the rent extraction goal).
- Inducing the monopoly supplier to perform its services efficiently (the supply-side efficiency goal).
- Providing consumers with incentives through the level and structure of tariff.
- Efficient utilization (consumption) decisions regarding their use of the services offered by the regulated monopoly (the demand-side efficiency goal).
- Providing adequate incentives for the economic environment to attract additional capital to the regulated monopoly sector (and to invest in maintaining the existing capital stock) to balance supply and demand over time. This requires regulatory rules and procedures that allow the regulated firm to anticipate revenues that will at least cover the (efficient) costs of supplying services, including a return on investment at least equal to the firm's cost of capital (the capital attraction goal or firm viability constraint). The accountability of regulatory institutions flow out of above defined goals.

  There is a need to adapt our regulatory frameworks continuously to help create an environment where such an industry can grow and develop the way it was intended.

  An important objective of the JERC (for the State of Goa and Union Territories) is to strike fine balance between the electricity consumers and the generating/transmission and distribution utilities, while remaining fair, transparent and neutral to all the stakeholders. The initiatives taken by the Commission during the year to safeguard the interests of consumers and development of the sector are listed below:

1. Benefits To Consumers

(a) Regulation for Distribution and Transmission Business

The Commission notified the **JERC (Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulations, 2024**, outline the tariff framework for the control period FY 2025-26 to FY 2029-30, providing regulatory certainty by keeping tariffs fixed throughout this term

for retail consumers. This regulation introduces a Mid Term Review process instead of the previous Annual Performance Review to streamline monitoring while retaining annual True-Up provisions for adjustments based on actual performance. Additionally, the Commission mandates a five-year business plan to be approved at the start of the control period for ensuring strategic planning and accountability over the tariff cycle, for stable tariff and more predictable electricity prices, avoiding frequent hikes.

The Commissiotn has notified **Joint Electricity Regulatory Commission (Standard of Performance for Distribution Licensees) (First Amendment) Regulations, 2024** for improve the power reliability and automatic compensation provided to consumer for non-compliance of the standard by the licensee.

The Commission has notified the **JERC (Solar PV Grid Interactive System based on Net Metering & Gross Metering) (First Amendment) Regulations, 2024**. The applications for solar rooftop system upto 10 kW shall be deemed to be accepted without any technical feasibility study and for other applications, the technical feasibility study shall be completed upto a period of 15 days.

The Commission has notified **JERC (Electricity Supply Code) (Third Amendment) Regulations, 2024**. For new electricity connections or additional load requests where the supply can be sourced from the existing network, the timeline varies by region: metro cities must provide the connection within 3 days from receipt of a fully completed application, urban or municipal areas within 7 days, rural areas within 15 days, and rural island areas within 30 days. However, if the supply requires infrastructure upgrades like extension works, transformer capacity enhancement, or the commissioning of new substations, the electricity must be supplied immediately upon completion of those works, with a maximum allowable period of 90 days. Also, consumers are classified into Low Tension (LT), High Tension (HT), and Extra High Tension (EHT) supply systems depending on their contracted load and usage. LT supply includes single-phase connections at 220V/230V for installations up to 5 kW (excluding agricultural services), and three-phase, 4-wire systems at 440V for loads above 5 kW and up to 100 kVA (typically for irrigation and agricultural services). EV charging stations under LT supply can operate up to 167 kVA (150 kW) at 440V. HT supply caters to consumers with loads above 100 kVA and up to 5000 kVA at voltages ranging from 6.6 kV to 33 kV, including EV stations above 167 kVA. EHT supply applies to installations exceeding 5000 kVA, operating at 66 kV and above, generally intended for large industrial or commercial operations.

The Commission has notified JERC (Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman) Regulations, 2024. Creation of CGRF at different level to cater the need of sub-division, division, circle, zone, company level. Forum to consist of officers of the licensee having not more than 4 members. The Commission to nominate one independent member who is familiar with the consumer affairs. The Commission may direct the licensee to create additional CGRF in order to execute the disposal of representations within specified time limit.

(b) Improving tariff rationalization

- The Commission has issued JERC (Retail Supply Tariff Structure) Guideline 2024. The current consumer tariff structure in the state of Goa and Union Territories under this Commission has been very complex not only with numerous categories but different categories for the same use in different territories, different terms & conditions as well as miscellaneous charges for the same consumer categories in different distribution utilities, prior to the formation of this Commission leading to inconsistent categorization of certain consumer segments and non-uniform terms & conditions as well as miscellaneous charges across the distribution utilities under this Commission. Such legacy has been carried over year on year. These guidelines to rationalize retail tariff structure to have simplified and uniform consume categories/sub-categories and tariff structure based upon uses, voltage levels, contracted load, consumption, etc, terms & conditions of supply as well as miscellaneous charges across all the distribution utilities under jurisdiction of this Commission.

(c) Consumer Awareness & Education

- The Commission issued directives in the tariff orders to take up awareness campaigns related to Electrical Safety and Consumer Grievance Redressal among the consumers. The Commission further directed the distribution licensees under its jurisdiction to take up training of their office personnel and carry out maintenance works for ensuring safety of the network in identified areas on priority.

2. Development of the Sector

(a) Tariff Regulation

- The Commission notified the JERC (Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulations, 2024. The Multi-Year Tariff (MYT) framework provides significant advantages over a five-year span by creating a stable and predictable tariff environment that benefits utilities, consumers, and regulators alike. Utilities gain financial clarity and operational incentives, helping them improve efficiency and plan long-term investments, while consumers enjoy more consistent pricing and transparency in cost structures. Regulators can shift focus from annual approvals to strategic oversight, encouraging accountability and performance benchmarking across the power sector. Overall, the MYT model drives efficiency, reduces regulatory burden, and fosters a more resilient and responsive energy ecosystem.

(b) Green Energy Open Access

- The Commission has notified the JERC (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) (Third Amendment) Regulations, 2024. Green Energy Open Access empowers consumers with a sanctioned load or contracted demand of at least 100 kW to choose clean energy by various means, such as establishing their own renewable energy plant, forming a power purchase agreement with a developer, setting

up captive power plants, acquiring RE certificates, or purchasing green hydrogen or ammonia. A centralized portal managed by the nodal agency facilitates applications, and approvals are mandated within 15 days by respective authorities STU or CTU for long- and medium-term access, and SLDC for short-term access. Notably, captive consumers face no supply limitations when accessing green energy under this framework. The Cross Subsidy Surcharge (CSS) cannot exceed 50% of its initial-year value for 12 years from the date the generating plant becomes operational. Moreover, both CSS and the Additional Surcharge are waived in key scenarios: when power from Waste to Energy plants is supplied to eligible green energy consumers, when distribution access is granted to captive generation plant owners, and when green energy is used to produce green hydrogen or green ammonia. Additionally, projects generating electricity from offshore wind commissioned up to December 2032 are exempt from the Additional Surcharge, reinforcing incentives for diverse clean energy sources.

(c) Promotion of Renewable Energy

- The Commission has notified JERC (Procurement of Renewable Energy) (Fifth amendment) Regulations, 2024. Increase the RPO compliance trajectory for the utility from 29.91% for FY 2024-25 to 43.33% for FY 2029-30.
- The Commission has notified JERC (Solar PV Grid Interactive System based on Net Metering & Gross Metering) (First Amendment) Regulations, 2024. Under the amended regulations, grid-connected rooftop solar systems ranging from 5 kW to 500 kW remain eligible for various net metering mechanisms such as Net Metering and Virtual Net Metering (VNM), while systems exceeding 500 kW can now be connected under alternative models like net billing or net feed-in. These advanced mechanisms use a single bidirectional energy meter to record both energy imported from the grid and exported from the prosumer's solar installation, applying distinct tariffs for each flow offering flexibility and encouraging larger-scale solar adoption with structured compensation.
- The Commission has notified the JERC (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) Regulations, 2024. The Terms and Conditions for Tariff Determination from Renewable Energy Sources Regulations establish a comprehensive framework for setting tariffs for various renewable energy technologies, ensuring transparency, consistency, and investor confidence. These regulations define eligibility criteria, specify control periods, and outline financial parameters such as capital cost, return on equity, depreciation, and operation and maintenance expenses. These regulations define eligibility criteria, specify control periods, and outline financial parameters such as capital cost, return on equity, depreciation, and operation and maintenance expenses. They also differentiate between firm and non-firm power sources, provide technology-specific benchmarks, and promote grid connectivity and evacuation infrastructure clarity. By aligning with national policies and encouraging

competitive procurement, the regulations aim to accelerate renewable energy adoption while safeguarding consumer interests and maintaining grid stability.

(d) Promotion of EV Charging Stations

- The Commission has notified JERC (Electricity Supply Code) (Third Amendment) Regulations, 2024. EV Charging Stations operating on a Low Tension (LT) supply system. Specifically, if the contracted load exceeds 5 kW but does not exceed 167 kVA (or 150 kW), the station should be supplied with electricity through a 3-phase, 4-wire connection at 440 V. This setup ensures adequate power delivery while staying within the LT classification range, designed to support medium-scale electric vehicle charging infrastructure without requiring high voltage systems.

(e) Monitoring and Enforcement

- Monitoring the performance of licensees to ensure compliance with the terms and conditions of their licenses. This includes enforcement of performance standards and regulations to ensure reliable and efficient service.

(f) Curb pilferage of energy

- The Commission give directives to the territories under its jurisdiction to curtail T&D losses to a considerable extent over the last decade.

VIII. MAJOR CONCERNS BEFORE THE COMMISSION

1. Reduction of AT&C losses & Reliable Power Supply

- Reduction of AT&C losses & reliable, good quality power supply has always been a priority for the Commission. The Commission has directed the territories under its jurisdiction for proper Energy Accounting and assessment of loss.

2. Standard of Performance of Licensees

- The Commission monitors the performance of licensees to ensure compliance with the terms and conditions of their license.

3. Disputes Resolution

- Resolving disputes between different stakeholders in the electricity sector, such as disputes between consumers and utilities or among different utilities is a priority issue before the Commission. The Commission adjudicates upon the disputes between the licensees, and generating companies and to refer any dispute for arbitration thereby fostering a stable and predictable regulatory environment.

4. Policy and Decision Making

- The Commission has constituted a State Advisory Committee consisting of members to represent the interest of commerce, industry, transport, agriculture, labor, electricity consumers, non-governmental organizations and academic and research bodies in the electricity sector. The Committee has mandate to deliberate on the following issues

regarding:

i. Major questions of policy;

ii. Matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees;

iii. Compliance by licensees with the conditions and requirements of their license;

iv. Protection of Consumer Interests;

v. Electricity supply and overall standards of performance by utilities.

IX LICENSEES, INVESTMENT, APPROVALS etc.

(a) Licenses/Exemptions:

In pursuant to the Government of India's 'AtmaNirbhar Bharat Abhiyan', to make India self-reliant through structural reforms. One of the key measures planned was to reform the power distribution and retail supply in UTs through privatization of the power distribu-tion utilities, for leveraging private sector efficiency in electricity distribution.

Accordingly, the Electricity Wing of the Engineering Department, Chandigarh (EWEDC) has undergone privatization. This move represents a major stride toward enhancing oper-ational efficiency, fostering innovation, and delivering world-class electricity services to the residents and businesses of the Union Territory of Chandigarh. Pursuant to this, the process of privatization was initiated in Chandigarh, with M/s Eminent Power Company Ltd. emerging as the successful bidder. The Administrator, U.T. Chandigarh in exercise of the powers conferred by, under Section 131, 133 and 134 of The Electricity Act 2003, has notified the provisional "The Chandigarh Electricity Reforms Transfer Scheme, 2025" ("Transfer Scheme") to transfer the electricity distribution and retail supply functions to-gether with the assets, liabilities, interests, rights, functions, obligations, proceedings and personnel of the Electricity Wing of Engineering Department of the Administration of Un-ion Territory of Chandigarh ("EWEDC") to the Chandigarh Power Distribution Limited ("Distribution Company") on 01.02.2025 ("Transfer Date").

(b) Investment approvals- Transmission and Distribution Schemes

The Commission approved the following capital expenditure for the schemes proposed by the distribution utilities under its jurisdiction during FY 2024-25.

S. No.	Name of the DISCOM	Approved Amount (In Crores)
1.	Electricity Department-Andaman & Nicobar Islands	72.88
2.	Electricity Department - Lakshadweep	11.50
3.	Electricity Department- Goa	256.25
4.	Electricity Department-Chandigarh	37.26
5.	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu Power Distribution Corporation Ltd.	400.22
6.	Puducherry Electricity Department	160.16

Note: The Capital expenditure data related to Lakshadweep and Chandigarh as per 3rd MYT Business Plan Order.

(c) Power Purchase Agreements

List of PPAs consented during FY 2024-25 are as follows: -

S.No.	Name of the developer/Seller	Capacity (MW)	Type	Name of the Discom/Buyer
1.	M/s. Sudhir Sales & Service Ltd.	10	Diesel Generation	ED-Andaman & Nicobar Islands
2.	M/s Express Gensets Consortium Pvt. Ltd.	02		
3.	M/s Modern Hiring Services	05		

X. SUBSIDY PROGRAMMES (ALLOCATIONS TO BENEFICIARIES)

The subsidy programs are offered by the Central Government or the respective State Government / UT Administration of the State/UT. The Commission takes into account the subsidy or grant provided by the appropriate Government during the determination of tariff for the utilities under its jurisdiction.

XI. SEPARATE AUDIT REPORT ON ANNUAL ACCOUNTS OF FY 2024-25

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
सत्यमेव जयते
Dedicated to Truth in Public Interest

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

Dated:.....

To,

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Power,
Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi -110001

Subject: Separate Audit Report on the Annual Accounts of Joint Electricity Regulatory Commission (for the state of Goa and Union Territories) for the year 2024-25.

Sir,

I am to forward herewith the Separate Audit Report on the Annual Accounts of Joint Electricity Regulatory Commission (for the state of Goa and Union Territories) for the year 2024-25 along with the Annual Accounts for the year 2024-25.

The Separate Audit Report and Annual Accounts may kindly be laid on the table of both Houses of the Parliament after these are adopted by the Commission.

Two copies of the document as presented to both Houses of the Parliament may kindly be forwarded to this office with an intimation regarding the date(s) on which these are laid on table of both the Houses of the Parliament.

Yours faithfully,

Encl: As above.

(Pramod Kumar)
Addl. Dy. Comptroller & Auditor General (Energy)

पाँचवा, छठा, सातवाँ एवं दसवाँ तल, सी.ए.जी बिल्डिंग, एनैक्सी, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002
5th, 6th, 7th & 10th Floor, C.A.G. Building Annexe, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Tel.: 011-23239213, 011-23239211, Email : pdaenergydl.cag@nic.in / dgaenergydl@cag.gov.in

संख्या.: DGA(Energy)/REP/01-174/Acs- JERC/2025-26/ 212 Dated: 20/11/2025

The Chairman, Joint Electricity Regulatory Commission (for the state of Goa and Union Territories), 3rd and 4th floor, Plot No. 55-56, phase IV, Udyog Vihar, Sector 18, Gurugram-122015.

Encl: As above

(Pramod Kumar)
Addl. Dy. Comptroller & Auditor General (Energy)

Opinion of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Joint Electricity Regulatory Commission (For the State of Goa and Union Territories) for the year ended 31 March 2025

Opinion

We have audited the financial statements of Joint Electricity Regulatory Commission (For the State of Goa and Union Territories), which comprise the statement of financial position as at 31 March 2025 and the Income and Expenditure Account/ Receipts and Payment Account for the year then ended, and Notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 104(2) of the Electricity Act, 2003.

This Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions regarding compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety & Regularity) and efficiency cum performance aspects, etc., if any, are reported through inspection reports/ CAG's audit reports separately.

In our opinion, the accompanying financial statements of Joint Electricity Regulatory Commission (JERC), read together with the accounting policies and Notes thereon and matters mentioned in the Separate Audit Report, which follows, **give a true and fair view** of the financial position of the autonomous body as at March 31, 2025, and (of) its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with uniform format of accounts/ accounting standards generally accepted in India.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the CAG's auditing regulations/ standards/ manuals/ guidelines/ guidance-notes/orders/circulars etc. Our responsibilities are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the autonomous body in accordance with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for the Financial Statements:

The management of JERC is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with uniform format of accounts/ format applicable to autonomous bodies /accounting standards generally accepted in India, and for internal control as management determines it necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion in accordance with CAG's auditing regulations /standards/ manuals/ guidelines/guidance-notes/ orders/ circulars etc.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(Pramod Kumar)
Addl. Dy. Comptroller & Auditor General (Energy)

Place: New Delhi
Date: 28/11/2016

Separate Audit Report on the Accounts of Joint Electricity Regulatory Commission (For the State of Goa and Union Territories)

A. Income and Expenditure Account
Other Income (Schedule-18): ₹94.33 lakh

Above includes 'Prior Period Income' of ₹39.56 lakh from License Fees and Surcharges/ Interest receipts related to previous financial years which should have been classified under the heading 'Fees and Subscriptions' (Schedule 14) instead of under 'Other Income'.

This has resulted in overstatement of 'Other Income' and understatement of 'Fees and Subscriptions' by ₹39.56 lakh each.

B.1 Notes to the Financial Statements (Note No.24)

As per Schedule-II of JERC for the state of Goa and Union Territories (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2016, any change in the accounting policies which has a material effect in the Current period or which is reasonably expected to have a material effect in latter periods shall be disclosed.

During the year 2024-25, JERC changed its accounting policy from cash basis to accrual basis for accounting of license fee and petition fee. However, no disclosure regarding this change in accounting policy and impact thereof has been made in the Notes to Accounts.

Thus, 'Notes to the Financial Statements' are deficient to the above extent.

B.2 Contingent Liabilities and Notes to Accounts (Note No. 25)

(i) In Note No. 25.6, JERC has reported NIL transaction in Foreign Currency whereas an amount of ₹15.48 lakh had been incurred on foreign travel during 2024-25 and booked under 'Other Administrative Expenses' (Schedule-21).

Thus, the above Note is incorrect to the above extent.

(ii) In Note No. 25.5, JERC has disclosed that it is exempt from Income Tax under section 10(46) of the Income-tax Act and accordingly has not created any provision for income tax. However, the Exemption certificates from the Ministry of Finance from 2023-24 onwards were awaited by JERC.

Therefore, the above note is deficient to that extent.

C. Assessment of internal controls

i. **Adequacy of Internal Control System:** Internal Control system is commensurate with the size and nature of activities of the entity.

ii. **Adequacy of Internal Audit System:** Internal Audit of the Commission is required to be conducted by the Principal Accounts Office (PAO) of the Ministry of Power (MoP) as per General Financial Rules. Internal Audit of JERC has not been carried out by the PAO, MoP for the year 2023-24 and 2024-25; though Internal Audit has been conducted by an external agency appointed by the Commission.

iii. **System of Physical verification of Asset:** Physical Verification of fixed assets was carried out during the year 2024-25 and no shortfall was noticed during the physical verification.

iv. **System of Physical verification of inventory:** There was no inventory of consumable items of store held in stock as on 31 March 2025.

v. **Regularity in payment of statutory dues:** JERC is regular in depositing the statutory dues as applicable, to the appropriate authorities. Further, JERC is exempt from the Income Tax under section 10(46) of the Income-tax Act; however, the exemption certificate from 2023-24 onwards were awaited by JERC.

D. Grants-in-Aid:

Out of Grant-in-Aid of ₹1,120.26 lakh (including unspent balance of ₹259.26 lakh for 2023-24 and amount received during the year ₹861 lakh), JERC could utilise a sum of ₹1,070.46 lakh during the year, leaving an unspent amount of ₹49.80 lakh as on 31 March 2025.

DGA/C/Rep/01-174/Ac JERC/2025-26/2014

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

Dated: 28/11/2025

To,
The Chairperson,
Joint Electricity Regulatory Commission,
Gurugram, Haryana

Subject: Management letter- Deficiencies noticed in accounting records

Sir,

We have audited the annual accounts of Joint Electricity Regulatory Commission (For the State of Goa & Union Territories), Gurugram, Haryana for the year 2024-25 and have issued the Separate Audit Report thereon vide letter dated 28.11.2025. During the course of audit, the following deficiencies were noticed, which were relatively of a minor nature and were therefore not included in the Separate Audit Report. These are being brought to your notice for taking corrective and remedial action: -

1. Classification of CPF Fund, gratuity and leave encashment as Earmarked/ Endowments funds along with the correct disclosure regarding liability and investment mismatch in respect to these funds may be ensured. **(DSAR Para A.1 and A.6)**
2. Suitable accounting/ disclosure for the dues payable to employee(s) for the period of their suspension may be ensured. **(DSAR Para A.2)**
3. Confirmation of balance regarding the amount recoverable from Electricity Department, Andaman & Nicobar may be obtained. **(DSAR Para A.3)**
4. Suitable accounting treatment of the amount demanded by HSIIDC may be ensured. **(DSAR Para A.4)**
5. Accounting treatment of fees to be remitted to Ministry on accrual basis than the cash basis may be ensured. **(DSAR Para A.7)**
6. The amount relating to earlier period may be classified as 'Prior Period Expenses" rather than under their natural head. **(DSAR Para B.2)**
7. Correctness of the classification of the amount recoverable from the beneficiaries as assets and that payable to Ministry as liability may be ensured. **(DSAR Para B.5)**

Yours faithfully,

(Pramod Kumar)
Addl. Dy. Comptroller & Auditor General (Energy)

पाँचवा, छठा, सातवाँ एवं दसवाँ तल, सी.ए.जी बिल्डिंग, एनैक्सी, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002
5th, 6th, 7th & 10th Floor, C.A.G. Building Annexe, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
Tel.: 011-23239213, 011-23239211, Email : pdaenergydl.cag@nic.in / dgaenergydl@cag.gov.in

ANNUAL ACCOUNTS
OF
JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(FOR THE STATE OF GOA & UTs)
FOR THE FY 2024-25

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(FOR THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES)
3rd & 4th Floor, Plot No.55-56
Sector-18, Udyog Vihar: Phase-IV, Gurugram-122015(Haryana)
Website: www.jercuts.gov.in
E-mail: secy.jercuts@gov.in

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(For the State of Goa and Union Territories)
3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

BALANCE SHEET
As at 31st March 2025

(Amount in ₹)

Particulars	Schedule No.	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Corpus / Capital Fund	1	13,89,089	2,41,11,772
Reserves and Surplus	2	-	-
Earmarked / Endowment Funds	3	-	-
Secured Loans & Borrowings	4	-	-
Unsecured Loans & Borrowings	5	-	-
Deferred Credit liabilities	6	-	-
Current Liabilities and Provisions	7	25,68,29,517	15,21,11,305
TOTAL		25,82,18,606	17,62,23,077
ASSETS			
Fixed Assets	8	12,13,470	12,50,225
Investments from Earmarked / Endowment Funds	9	-	-
Investments from others	10	-	-
Current Assets, Loans and Advances etc.	11	25,70,05,136	17,49,72,852
Miscellaneous expenditure (to the extent not written off or adjusted)		-	-
TOTAL		25,82,18,606	17,62,23,077
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities and Notes to Accounts	25		
Disclosures& Adjustments	26		

Notes :-Schedules 1 to 26 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31st March, 2025

FOR AND ON BEHALF OF JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(AAO) | DIRECTOR (F&L)& SECRETARY (I/C) | MEMBER (LAW) | CHAIRPERSON

Date : 16-07-2025
Place: Gurugram

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
for the year ended 31st March 2025

(Amount in ₹)

Particulars	Note No.	For the Year ended 31st March 2025	For the Year ended 31st March 2024
INCOME			
Income from Sale / Services	12	-	-
Grants / Subsidies	13	8,11,20,359	12,05,61,000
Fees / Subscriptions	14	5,13,49,087	24,27,03,661
Income from Investments (income on investments from earmarked / endowment funds transferred to funds)	15	-	-
Income from Royalty, publication etc.	16	-	-
Interest Earned	17	30,92,723	17,51,670
Other Income	18	94,33,370	59,16,608
Increase / (Decrease) in stock of finished goods and works - in - progress	19	-	-
TOTAL (A)		14,49,95,539	37,09,32,939
EXPENSES			
Establishment Expenses	20	3,22,32,081	2,66,56,176
Other Administrative Expenses	21	13,46,33,897	32,41,31,192
Expenditure on Grants and Subsidies	22	-	-
Finance Costs	23	-	-
Depreciation & Amortization	8	8,52,244	7,69,506
TOTAL (B)		16,77,18,222	35,15,56,874
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		(2,27,22,683)	1,93,76,065
Transfer to Special Reserve (Specify each) Transfer to / from General Reserve		-	-
Balance being surplus/ (deficit) carried to corpus/capital fund		(2,27,22,683)	1,93,76,065
Significant Accounting Policies	24		
Contingent Liabilities and Notes to Accounts	25		
Disclosures& Adjustments	26		

Notes :- Schedules 1 to 26 are annexed to and form an integral part of the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.

FOR AND ON BEHALF OF JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(AAO) | DIRECTOR (F&L)& SECRETARY(I/C) | MEMBER (LAW) | CHAIRPERSON

Date : 14-03-2025
Place: Gurugram

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)
3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March 2025

(Amount in ₹)

PARTICULARS	Balances as at 31.03.2025	Balances as at 31.03.2024
SCHEDULE 1 - CORPUS / CAPITAL FUND		
Balance as at the beginning of the year	2,41,11,772	47,35,707
Add: Contributions towards Corpus / Capital Fund		
Less: Contributions from Corpus/ Capital Fund	-	-
Add / (Less): Balance of net income / expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	(2,27,22,683)	1,93,76,065
TOTAL	13,89,089	2,41,11,772

(Amount in ₹)

PARTICULARS	Balances as at 31.03.2025	Balances as at 31.03.2024
SCHEDULE 2-RESERVES AND SURPLUS:		
1. Capital Reserve:		
As per last Account	-	-
Add: Additions during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
2. Revaluation Reserve:		
As per last Account	-	-
Add: Additions during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
3. Special Reserves:		
As per last Account	-	-
Add: Additions during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
4. General Reserve:		
As per last Account	-	-
Add: Additions during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
TOTAL	-	-

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March 2025

(Amount in ₹)

PARTICULARS	FUND - WISE BREAK UP TOTALS	Balances as at 31.03.2025	Balances as at 31.03.2024
SCHEDULE 3– EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS:			
a) Opening balance of the funds	-	-	-
b) Additions to the funds:			
i. Donations/grants	-	-	-
ii. Income from investments made on account of funds	-	-	-
iii. Other additions (specify nature)	-	-	-
TOTAL (a+b)	-	-	-
c) Utilization/Expenditure towards objectives			
i. Capital Expenditure			
i. Fixed Assets	-	-	-
ii. Others	-	-	-
TOTAL	-	-	-
ii. Revenue Expenditure			
i. Salaries, Wages and Allowances etc.	-	-	-
ii. Rent	-	-	-
iii. Other Administrative Expenses	-	-	-
TOTAL	-	-	-
TOTAL (c)	-	-	-
NET BALANCE AS AT THE YEAR –END (a + b - c)	-	-	-

(Amount in ₹)

PARTICULARS	Balances as at 31.03.2025	Balances as at 31.03.2024
SCHEDULE 4 – SECURED LOANS AND BORROWINGS:		
1. Central Government	-	-
2. State Government (specify)	-	-
3. Financial Institutions		
a) Term Loans	-	-
b) Interest accrued and due	-	-
4. Banks:		
a) Term Loans		
i. Interest accrued and due	-	-
b) Other Loans (specify)		
i. Interest accrued and due	-	-
5. Other Institutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Others (specify)	-	-
TOTAL	-	-

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March 2025

(Amount in ₹)

PARTICULARS	Balances as at 31.03.2025	Balances as at 31.03.2024
SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS		
1. Central Government	-	-
2. State Government (specify)	-	-
3. Financial Institutions	-	-
4. Banks		
a) Term Loans	-	-
b) Other Loans (specify)	-	-
5. Other institutions and agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Fixed Deposits	-	-
8. Other (specify)		
TOTAL	-	-

(Amount in ₹)

PARTICULARS	Balances as at 31.03.2025	Balances as at 31.03.2024
SCHEDULE 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES		
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets	-	-
b) Others	-	-
TOTAL	-	-

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)
3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March 2025

(Amount in ₹)

PARTICULARS		Balances as at 31.03.2025	Balances as at 31.03.2024
SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
A. CURRENT LIABILITIES			
1. Acceptances		-	-
2. Sundry Creditors			
a) For Goods		-	-
b) Others			-
3. Advances received			-
a) License Fee for the FY 2025-26		20,08,42,252	
b) Recoupment of expenses of the office of Electricity Ombudsman		3,03,045	
4. Interest accrued but not due on			
a) Secured loans / borrowings			-
b) Unsecured loans / borrowings			-
5. Statutory Liabilities			
a) GST TDS		1,14,360	65,495
b) Tax Deducted at Source		12,50,739	8,70,615
c) CPF / GPF / EPF / NPS / CGEIS		1,98,942	2,49,259
6. Other current liabilities			
a) Reimbursements to staff & others		1,52,022	43,544
b) Other Allowance to Staff Payable		4,33,472	3,90,221
c) Expenses Payable		44,90,665	42,03,261
d) EMDs & Retention Moneys		26,850	6,78,850
e)CPF and Interest Payable of Hon'ble Chairperson/Member		30,00,148	17,84,845
f) Amount Payable to Ministry of Power			
(i) License Fee -	Rs. 2,45,00,000		
(ii) Petition Fee -	Rs.73,60,000		
(iii)Other receipts-	Rs.12,60,510		
(iv) Unspent Grant in Aid -	Rs.7,79,641	3,39,00,151	13,43,18,967
g) Claims of Ombudsman Expenses to be remitted to Ministry of Power		1,66,671	3,02,484
h)Accumulated Leave Encashment & Gratuity payable of Regular Empolyees		71,00,664	51,56,772
	TOTAL (A)	25,19,79,980	14,80,64,313
B. PROVISIONS			
1. For Taxation			-
2. Gratuity of Deputationist		2,05,050	3,19,136
3. Superannuation / Pension			-
4. Accumulated Leave Encashment			-
5. Trade Warranties / Claims			-
6. Others (specify)			
(i) Audit Fee Payable		39,06,700	28,31,700
(ii) Newspaper & Telephone Expenses			78,613
(iii) Petition fee to be returned			55,000
(iv) Leave Salary & Pension Contribution of Deputationist		7,37,787	7,62,543
(v) Other Administrative Expenses			-
	TOTAL (B)	48,49,537	40,46,992
	TOTAL (A + B)	25,68,29,517	15,21,11,305

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

as at 31st March 2025

SCHEDULE 8 – FIXED ASSETS

(Amount in ₹)

PARTICULARS	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
	COST / VALUATION as at 01.04.2024	ADDITIONS during the year	DISPOSALS during the year	COST / VALUATION as at 31.03.2025	As at 01.04.2024	ADDITIONS during the year	DEDUCTIONS during the year	As at 31.03.2025	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
1. LAND										
a) Freehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Leasehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. BUILDINGS										
a) On freehold land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) On leasehold land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Ownership Flats / Premises	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Superstructures on land not belonging to JERC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. PLANT, MACHINERY & EQUIPMENTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. VEHICLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. FURNITURE & FIXTURES										
a. Office equipment	28,91,390	2,21,500	-	31,12,890	23,61,170	3,74,927	-	27,36,097	3,76,793	5,30,220
b. Computer & computer peripherals	44,56,111	5,93,989	-	50,50,100	41,35,803	3,95,003	-	45,30,806	5,19,294	3,20,308
c. ACs and Woodwork	18,40,753	-	-	18,40,753	14,54,779	77,776	-	15,32,555	3,08,198	3,85,974
d. Library books	23,893	-	-	23,893	10,170	4,538	-	14,708	9,185	13,723
e. Tube wells and water supply	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	92,12,147	8,15,489	-	1,00,27,636	79,61,922	8,52,244	-	88,14,166	12,13,470	12,50,225
6. INTANGIBLE ASSETS										
a. Softwares with usage more than 365 days	4,22,794	-	-	4,22,794	4,22,794	-	-	4,22,794	-	-0
TOTAL	4,22,794	-	-	4,22,794	4,22,794	-	-	4,22,794	-	-0
7. OTHER FIXED ASSETS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALS AS AT 31.03.2025	96,34,941	8,15,489	-	1,04,50,430	83,84,716	8,52,244	-	92,36,961	12,13,470	12,50,225

FOR AND ON BEHALF OF JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(AAO) DIRECTOR (F&L)& &SECRETARY(I/C) MEMBER (LAW) CHAIRPERSON

Date: 16-07-2025

Place: Gurugram

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March 2025

(Amount in ₹)

PARTICULARS	Balances as at 31.03.2025	Balances as at 31.03.2024
SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS		
1. In Government Securities	-	-
2. Other Approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Others (to be specified)	-	-
TOTAL	-	-

(Amount in ₹)

PARTICULARS	Balances as at 31.03.2025	Balances as at 31.03.2024
SCHEDULE 10 - OTHER INVESTMENTS		
1. In Government Securities	-	-
2. Other Approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Others (to be specified)	-	-
TOTAL	-	-

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)
3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March 2025

(Amount in ₹)

PARTICULARS	Balances as at 31.03.2025	Balances as at 31.03.2024
Schedule 11 - CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES ETC.		
A. CURRENT ASSETS:		
1. Inventories:		
a) Stores and Spares	-	-
b) Loose Tools	-	-
c) Stock-in-Trade	-	-
Finished Goods	-	-
Work-in-Progress	-	-
Raw Materials	-	-
2. Sundry Debtors:	-	-
a)Debts Outstanding for a period exceeding six months	-	-
b)Others		-
3. Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)	-	-
4.Bank Balances:		
a) With Scheduled Banks:		
On Current Accounts	-	-
On Deposit Account (includes margin money)	3,08,12,139	1,02,03,107
On Saving Accounts	22,18,87,614	15,71,31,469
b) With non-Scheduled Banks:		
On Current Accounts		
On Deposit Account		
On Saving Accounts		
5. Post Office – Saving Accounts		
6. Security Deposits (Rent)	-	64,12,974
7. Telephone Deposits	-	10,000
8.Claims Receivable in respect of Ombudsman Expenses	-	1,45,627
9.Contribution Receivable from Delhi Electricity Regulatory Commission	5,54,367	6,09,456
10. Receivable from Licensee ((Ref. - Note 26 (4))	39,34,764	-
TOTAL (A)	25,63,88,884	17,45,12,633
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1. Loans:		
a) Staff	-	-
b) Other entities engaged in activities / objectives similar to that		-
c) Other (specify)		-
2.Advances and other amounts recoverable in cash or in kind		
a) On Capital Account		-
b) Prepayments	4,69,686	3,48,653
c) Others Recoverables	46,566	1,11,566
d) Advances to Staff & Others	1,00,000	-
3. Income Accrued:		
a) On Investments from Earmarked / Endowment Funds		
b) On Investments & Others		-
c) On Loans and Advances		-
d) Others (includes income due unrealized- Rs...)		-
4. Claims Receivable		-
TOTAL (B)	6,16,252	4,60,219
TOTAL (A + B)	25,70,05,136	17,49,72,852

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March 2025

(Amount in ₹)

PARTICULARS	For The Year Ended 31.03.2025	For The Year Ended 31.03.2024
SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES / SERVICES		
1)Income from Sales		
a) Sale of Finished Goods	-	-
b) Sale of Raw Material	-	-
c) Sale of Scraps	-	-
2) Income from Services		
a) Labour and Processing Charges	-	-
b) Professional / Consultancy Services	-	-
c) Agency Commission and Brokerage	-	-
d) Maintenance Services (equipment/property)	-	-
e) Others (specify)	-	-
TOTAL	-	-

(Amount in ₹)

PARTICULARS	For The Year Ended 31.03.2025	For The Year Ended 31.03.2024
SCHEDULE 13 - GRANTS / SUBSIDIES		
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)		
1) Central Government	8,11,20,359	12,05,61,000
2) State Government(s)	-	-
3) Government Agencies	-	-
4) Institutions / Welfare Bodies	-	-
5) International Organizations	-	-
6) Others (specify)	-	-
TOTAL	**8,11,20,359**	**12,05,61,000**

(Amount in ₹)

PARTICULARS	For The Year Ended 31.03.2025	For The Year Ended 31.03.2024
SCHEDULE 14 - FEES / SUBSCRIPTIONS		
1) Entrance fees	-	-
2) Annual fees/subscriptions	-	-
3) Seminar/program fees	-	-
4) Consultancy Fees	-	-
5) Others (specify)		
a) Petition Fees	4,56,22,277	4,02,28,876
b) License Fees	52,15,000	19,29,36,050
c) Surcharge/Interest on license fee (Ref. Note-26(5))	5,11,810	95,38,735
TOTAL	**5,13,49,087**	**24,27,03,661**

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March 2025

(Amount in ₹)

PARTICULARS	For The Year Ended 31.03.2025	For The Year Ended 31.03.2024
SCHEDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENTS		
(Income on invest. from earmarked/endowment funds transferred to funds)		
1) Interest		
a) On Govt. Securities	-	-
b) Other Bonds / Debentures	-	-
2)Dividends:		
a) On Shares	-	-
b) On Mutual Fund Securities	-	-
3) Rent	-	-
4) Others (specify)	-	-
TOTAL	-	-

(Amount in ₹)

PARTICULARS	For The Year Ended 31.03.2025	For The Year Ended 31.03.2024
SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.		
1) Income from Royalty	-	-
2) Income from Publications	-	-
3) Others (specify)	-	-
TOTAL	-	-

(Amount in ₹)

PARTICULARS	For The Year Ended 31.03.2025	For The Year Ended 31.03.2024
SCHEDULE 17 - INTEREST EARNED		
1) On Term Deposits		
a) With scheduled banks	9,62,367	6,80,523
b) With non-scheduled banks		
c) With institutions		
d) Others		
2) On Savings Accounts		
a) With scheduled banks	21,30,356	10,71,147
b) With non-scheduled banks		
c) Post Office savings accounts		
d) Others		
3) On Loans		
a) Employees / Staff		
b) Others		
4) Interest on Debtors and Other Receivables		-
TOTAL	30,92,723	17,51,670

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March 2025

(Amount in ₹)

PARTICULARS	For The Year Ended 31.03.2025	For The Year Ended 31.03.2024
SCHEDULE 18 - OTHER INCOME		
1) Profit on Sale / Disposal of Assets		
a) Owned Assets	-	-
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		
2) Export incentives realized		
3) Fees for miscellaneous service and others	2,210	11,022
4) Miscellaneous income		
a) Provisions Reversed and Others	1,40,954	94,686
b) Tender Processing Fees	1,37,000	1,42,000
c) Prior Period Income (Ref. Note -26 (3))	39,56,250	1,68,900
5)Claims in respect of Expenses for the office of Electricity Ombudsman (Ref. Note- 26(1))	51,96,956	55,00,000
TOTAL	**94,33,370**	**59,16,608**

(Amount in ₹)

PARTICULARS	For The Year Ended 31.03.2025	For The Year Ended 31.03.2024
SCHEDULE 19 - INCREASE / (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS		
a) Closing stock		
Finished Goods	-	-
Work-in-Progress	-	-
b) Less: Opening Stock		
Finished Goods	-	-
Work-in-Progress	-	-
NET INCREASE / (DECREASE)	-	-

(Amount in ₹)

PARTICULARS	For The Year Ended 31.03.2025	For The Year Ended 31.03.2024
SCHEDULE 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES		
a) Salaries & Wages	1,31,45,170	1,10,57,523
b) Allowances and Bonus	1,19,74,411	92,01,814
c) Contribution to Provident Fund (including Interest Expenses)	5,40,877	5,29,582
d) Contribution to other fund (specify)		-
i) Central Government Employees Group Insurance Scheme	-	-
ii) National Pension System	90,720	1,68,353
iii) Employees Provident Fund	10,77,585	6,73,594
e) Staff Welfare Expenses	8,19,502	8,04,356
f) Expenses on employees retirement and terminal benefits	24,14,230	26,24,247
g) Others (specify)		
i) Child Education Allowence	1,01,250	86,063
ii) Leave Encashment	1,02,400	2,02,210
iii) Leave Travel Concession	95,538	29,670
iv) Prior Period Expenses (Ref. Note-26 (2))	7,32,001	65,223
v) Electricity Ombudsman Fee & Others (Ref. Note-26 -1(iii))	11,38,397	12,13,541
TOTAL	**3,22,32,081**	**2,66,56,176**

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)
3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March 2025

(Amount in ₹)

PARTICULARS	For The Year Ended 31.03.2025	For The Year Ended 31.03.2024
SCHEDULE 21 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES		
a) Electricity and power	16,43,045	13,77,486
b) Water charges	8,249	11,213
c) Repairs and maintenance	-	-
d) Rent, rates and taxes	2,74,76,701	2,74,30,032
e) Postage, Telephone and Communication Charges	3,70,431	3,73,448
f) Printing and Stationery	3,66,529	4,18,898
g) Traveling and conveyance expenses	9,34,850	3,64,078
h) Expenses on Seminars / Workshops / Meetings	9,21,105	4,55,477
i) Subscription expenses	14,900	14,900
j) Expenses on fees	21,95,589	19,99,962
k) Auditors Remuneration	10,87,000	9,64,250
l) Professional charges	67,73,411	96,68,063
m) Advertisement and publicity	13,24,019	9,52,215
n) Others (specify)		
(i)Petition Fee,License Fees, Interest etc. to be Remitted to MoP (Ref. Note-26 (ii))	5,41,44,215	24,45,88,025
(ii)Claims of Ombudsman Expenses to be Remited to MoP (Ref. Note-26-1(i))	51,96,956	55,00,000
(iii) Outsourcing of Personnel	38,00,292	38,44,475
(iv) Outsourcing of Housekeeping	7,74,362	7,81,968
(v) Outsourcing of Security Personnel	5,84,629	6,66,337
(vi) Legal Fees	9,08,633	5,20,800
(vii) Bank Charges	1,18,558	894
(viii) Expenditure on the Office of Electricity Ombudsman ((Ref. Note-26-2(iii))	40,58,562	39,31,065
(ix) Office Expenses(Misc.)	8,32,430	4,09,555
(x) Consultancy Charges	1,30,63,100	1,12,42,527
(xi) Public Hearing expenses	2,09,967	24,20,543
(xii) Hiring of Vehicle Expenses	30,48,701	21,92,483
(xiii) E-office Server Charges	22,88,139	24,70,920
(xiv) Software Expenses & Website hosting fee	6,29,743	4,76,557
(xv) Foreign Travel	15,48,071	-
(xvi) Prior Period Expenses (Ref. Note -26(2))	3,11,711	10,55,021
TOTAL	**13,46,33,897**	**32,41,31,192**

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)
3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
as at 31st March 2025

(Amount in ₹)

PARTICULARS	For The Year Ended 31.03.2025	For The Year Ended 31.03.2024
SCHEDULE 22 - EXPENDITURE ON GRANTS / SUBSIDIES ETC.		
a) Grants given to institutions / organizations	-	-
b) Subsides given to institutions / organizations	-	-
TOTAL	-	-

(Amount in ₹)

PARTICULARS	For The Year Ended 31.03.2025	For The Year Ended 31.03.2024
SCHEDULE 23 - FINANCE COSTS		
a) On fixed loans	-	-
b) Other Interest Costs	-	-
TOTAL	-	-

FOR AND ON BEHALF OF JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(AAO) DIRECTOR (F&L)& SECRETARY(I/C) MEMBER (LAW) CHAIRPERSON

Date: 16.07.2025
Place: Gurugram

Note No. – 24

NOTES TO STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

Corporate and General Information

Joint Electricity Regulatory Commission for Union territories was constituted by the Central Government by notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), vide number S.O.643(E) dated the 2nd May, 2005;

And whereas, the State Government of Goa agreed to join the said Joint Commission and authorised the Central Government in this behalf under section 83 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and the Central Government by notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), vide number S.O.1271(E), dated the 30th May, 2008 has facilitated the State of Goa to join the said Joint Commission.

1. Significant Accounting Policies

1.1 Accounting Convention
The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting. Government grants/subsidy on realization basis. The Financial statements are presented in Indian Rupees rounded off to the nearest Rupee.

1.2 Inventory Valuation
The organization has no Inventory / Stock as on date and being a Regulatory Commission shall not hold any stock or inventory, whatsoever.

1.3 Investments *
a) Investments classified, as "Long Term Investments" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments.

b) Investments classified as "Current" are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis.

c) Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.

1.4 Fixed Assets
a) Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition.

1.5 Depreciation
a) Depreciation is provided on straight-line method as per rates specified in the Income tax Act, 1961 except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency liability for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.

b) In respect of additions to /deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on pro-rata basis.

c) Assets costing Rs. 5,000 or less each are fully provided.

1.6 Miscellaneous Expenditure *
Deferred revenue expenditure, if and whenever incurred, is written off over a period of 5 years from the year it is incurred.

1.7 **Accounting for Sales**
The organization is a regulatory body setup by the Ministry of Power and has no sales during its tenure of operations.

1.8 **Government Grant/Subsidies**
a) Government grants of the nature of Revenue are charged in Income & Expenditure Account as indirect income.

b) Government grants/subsidy are accounted on realization basis.

1.9 **Foreign Currency Transactions ***
a) Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

b) Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing at the year-end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability relates to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

1.10 **Lease**
Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

1.11 **Retirement Benefits**
Retirement Benefits are accounted for as per Actuarial Valuation.

1.12 **TDS in GST**
The organisation deducts GST TDS to vendor.

*** Denotes the following**

(a) Para 1.3 :- The organization is a Regulatory Commission setup by the Ministry of Power, Govt. of India. The Licence fee & petition fees received from Electricity Departments of Union Territories, in course of activities of the Commission are invested in form of short-term fixed deposits and the accumulated funds then remitted to Ministry of Power periodically. Also, the CPF contributions of Hon'ble Chairperson and Member reinvested as short-term fixed deposits and respective liabilities/terminal benefits are discharged upon their retirement.

(b) Para 1.6:- No deferred revenue expenditure has been written off over the period of 5 years in the current year.

(c) Para 1.9:- As a Regulatory Commission, the Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) does not engage in any foreign currency transactions in the normal course of its regulatory functions. However, during official foreign tours, Travel Allowance/Dearness Allowance (TA/DA) is admissible to employees in foreign currency as per applicable rules and entitlements.

FOR AND ON BEHALF OF JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(AAO) (DIRECTOR (F&L) &(SECRETARY(I/C) (MEMBER LAW) (CHAIRPERSON)

Date: 16-03-2015
Place: Gurugram

Note No. – 25

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

1. Contingent Liabilities

1.1 There are no claims against the entity not acknowledged as debts.

1.2 An amount of Rs.64,12,974/- has been given to M/s Appian Multiventures Pvt. Ltd. Towards security deposit rent in the form of Bank Grantee for the period of three years. (30.11.2024 to 30.11.2027)
There are no letters of credit opened by the bank on behalf of the entity.
There are no bills discounted with banks.

1.3 There are no disputes/demands in respect of Income Tax, Good & Service Tax and / or Municipal Taxes.

1.4 HSIIDC has claimed Rs.22.67 Lakhs towards rent payable. The same has not been recognized as expenses as final settlement is still pending.

1.5 Sh. Rakesh Kumar (Secretary) is under suspension for the period from February 2023 to 31st March 2025. As per CCS CCA rule 1965, Subsistence allowance of 50% Salary (i.e. 50% for three month) for the period of 11th February2023 to 10th May 2023 and 75% of the salary during the period of 11th May to 2023 to 31st March 2025 has been paid. Since the matter is Sub-judice and case is pending, remaining amount Rs.14,11,881/- and Contribution Rs.4,48,998/- is created as Contingent liability.

2. Capital Commitments

There are no contracts remaining to be executed on capital account and not provided for.

3. Lease Obligations

There are no future obligations for rental under finance lease arrangements for plant and machinery.

4. Current Assets, Loans and Advances

In the opinion of the management, Current Assets & Loans and advances are valued at cost or net realizable value, which shall not be less than the amount shown in Balance Sheet.

5. Taxation

Since Income Tax of JERC is exempt under I.T. Act, so, no provision for Income Tax has been considered necessary.

6. Foreign Currency Transactions

6.1	Value of Imports Calculated on C.I.F Basis	–	NIL
6.2	Expenditure in Foreign Currency	–	NIL
6.3	Value of Exports on FOB Basis (Earnings)	–	NIL

7. Remuneration to Auditors

7.1 Provision made for remuneration payable to auditors for Internal Audit for FY 2024-25 amounts to Rs. 17,000/-.

7.2 Provision has been made for remuneration payable to C&AG Auditors for Audit of the FY 2024-25(Certification Audit and Compliance Audit) at Rs. 10,70,000/-.

8. Corresponding figures for the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified, wherever necessary.

9. Schedules 1 to 26 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31st March, 2025 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.

10. JERC fund has not been created in the financial year 2024-25. The Compliance of Ministry of Power notification dated 17.03.2016 could not be made as the response from Ministry of Power is still awaited.

FOR AND ON BEHALF OF JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(AAO)	(DIRECTOR (F&L) &(SECRETARY(I/C)	(MEMBER LAW)	(CHAIRPERSON)

Date: 16-07-2025
Place: Gurugram

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa & Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

Note No. – 26

DISCLOSURES & ADJUSTMENTS IN THE BALANCE SHEET FOR FY 2024-25

1. i. Estimated Expenditure demanded for the Office of the Electricity Ombudsman from Electricity Department/Corporation of the Union Territories for the FY 2024-25 of Rs. 55,00,000/-(Schedule-18 of 5(a)is as detailed below.

Electricity Department, Andaman & Nicobar Island	Rs.	4,56,027.00
DNH DD Power Distribution Corp. Ltd	Rs.	24,92,673.00
Electricity Department, Chandigarh	Rs.	4,46,893.00
Electricity Department, Goa	Rs.	11,47,307.00
Electricity Department, Lakshadweep	Rs.	8,47,791.00
Electricity Department, Puducherry	Rs.	1,09,309.00
Total	**Rs.**	**55,00,000.00**

ii. The entire amount after adjustment of previous year excess received from utility remitted to the PAO, Ministry of Power. However, the Commission shall continue to bear the expenses of Electricity Ombudsman out of the Grants being received from the Ministry of Power.

iii. The expenditures related to Establishment Expenses & Other Administrative Expenses have been booked separately. Details as under: -

Particular	Head of Expenses	Amount (Rs.)
(a) Schedule 20 (g) (v) - Establishment Expenses.	Ombudsman Salary	11,22,581.00
	Staff welfare	15,816.00
	Sub Total	**11,38,397**
(b) Schedule 21 (n) (viii) - Other Administrative Expenses	Rent	29,43,484.00
	Staff Salary expenses	8,39,352.00
	Electricity & Power	1,77,180.00
	Printing & Stationary	40,325.00
	Postage & Telephone Expenses	19,479.00
	Traveling Expenses	18,038.00
	Housekeeping Expenses	20,704.00
	Sub Total	**40,58,562.00**
	Total	**51,96,959.00**

iv. The excess demand over expenditure of Rs. 3,03,041/- shall be adjusted in next Financial Year.

2. Provision for few expenses related to Establishment & Administrative for the previous year which could not been made. The same has been reflected as prior period expenses (Establishment & Administrative) in the current Financial Year i.e.2024-25.

Particular	Head of Expenses	Amount (Rs.)
Schedule 20 (g) (iv)- Establishment Expenses	Staff welfare	8,512.00
	Reimbursement of claims	2,38,800.00
	Arrear Salary	3,83,713.00
	Contributions of Employees	1,00,976.00
	Total	**7,32,001.00**
Schedule 21 (n) (xvi) - Other Administrative Expenses	Website hosting fee	1,22,172.00
	Traveling Expenses	23,351.00
	Public Hearing expenses	1,37,640.00
	Expenses on Fees	8,850.00
	Office Expenses	4,936.00
	Audit Fees (Actuarial)	8,850.00
	Consultancy Charges	5,912.00
	Total	**3,11,711.00**

3. The license fee and Surcharges/Interest receipt relating to the previous financial year have been recognized as prior period income in the current year's Balance Sheet.

Particular	Head of Expenses		Amount (Rs.)
Schedule 18 (4) (C) Other Income	Annual License fee of DNH and DD Power Corporation Limited for the FY 2022-23		19,72,575.00
	Surcharges/Interest		
	(i) ED-Chandigarh-	Rs.4,43,358.00	
	(ii) DNH and DD PCL	Rs.5,91,773.00	
	(iii) DNH DD PDCL	Rs.9,48,544.00	19,83,675.00
		Total	**39,56,250.00**

4. The License fee and surcharges receivable from Licensee as under: -

Sl.NO	Particular	Amount (Rs.)
1.	DNH and DD Power Corporation Limited	28,60,234.00
2.	DNH DD Power Distribution Corporation Limited	9,48,544.00
3.	Electricity Department Chandigarh	1,25,986.00
	Total	**39,34,764.00**

5. Details of Surcharges/Interest on License Fee as under: -

Sl.NO	Particular	Amount (Rs.)
1.	Electricity Department Dadra and Nagar Haveli	40,438.00
2.	Electricity Department Daman and Diu	49,500.00
3.	Electricity Department Chandigarh	1,25,986.00
4.	DNH and DD Power Corporation Limited	2,95,886.00
	Total	**5,11,810.00**

6. Details of Petition Fee, License Fees, Interest etc. to be Remitted to Ministry of Power as under: -

Sl.NO	Particular	Amount (Rs.)
1.	License Fee	52,15,000.00
2.	Petition Fee	4,56,22,277.00
3.	Other receipts	33,06,938.00
	Total	**5,41,44,215.00**

7. The license fee pertaining to the financial year 2025–26 was received in March 2025 and accordingly classified as an advance receipt in the balance sheet and the same was remitted to Ministry of Power in next Financial Year.

8. Saving Bank Interest, sale of scrap & Miscellaneous receipts of past previous years have been remitted to MOP.

9. An amount of ₹39,928/- and ₹25,469/- is recoverable from the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (HPERC) towards CPF Employer Contribution and Leave Salary Contribution, respectively, in respect of a former employee who was on deputation. However, HPERC has submitted a representation requesting a recalculation of the recoverable amount.

10. As per their appointment letters of Hon'ble Chairperson & Member of the Commission appointed by MOP, CPF contribution are to be made.

JERC is a two-member Commission hence the CPF trust is not created. These contributions are made as unrecognized funds due to non-availability of CPF Trust. Their CPF Contributions, both Employers and Employees Share are parked as fixed deposits on a monthly basis. The

amount invested in CPF Fixed deposits are remitted to them as terminal benefits along with interest at the CPF rate prescribed by the Ministry of Finance from time to time. Necessary Provisions have been made thereof.

11. Section 4 of Gratuity Act provides that an employee is entitled to the payment of gratuity, if they have rendered five years of continuous service upon superannuation, retirement, resignation, etc.
It is therefore, the necessary provisions for gratuity and also leave encashment of the employee of the commission has been made based on Actuarial Valuation and such funds have been parked as fixed deposit.

FOR AND ON BEHALF OF JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(AAO)	(DIRECTOR (F&L) &(SECRETARY(I/C)	(MEMBER LAW)	(CHAIRPERSON)

Date: 16-07-2025
Place: Gurugram

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

3rd & 4th Floor, Plot No. 55 - 56, Udyog Vihar, Phase - IV, Sector 18, Gurugram (HR) - 122 015

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT
for the year ended 31st March 2025

(Amount in ₹)

RECEIPTS	For the year ended 31st March 2025	For the year ended 31st March 2024	PAYMENTS	For the year ended 31st March 2025	For the year ended 31st March 2024
I. Opening Balances			**I. Expenses**		
a) Cash in hand	-	-	a) Establishment Expenses	3,07,36,480	2,32,34,833
b) Bank Balances			b) Administrative Expenses	4,40,67,715	4,42,10,624
i) In current accounts	-	1,64,412			
ii) In deposit accounts	1,02,03,107	1,88,28,392			
iii) Savings accounts	15,71,31,469	10,39,04,143			
	16,73,34,576	12,28,96,947		7,48,04,195	6,74,45,457
II. Grants Received			**II. Payments made against funds for various**		
a) From Government of India	8,61,00,000	12,05,61,000			
b) From State Government	-	-			
c) From other sources (details) (Grants for	-	-			
	8,61,00,000	12,05,61,000			
III. Income on Investments from			**III. Investments and deposits made**		
a) Earmarked/Endow. Funds	-	-	a) Out of Earmarked / Endowment funds	-	-
b) Own Funds (Other Investment)			b) Out of Own Funds	-	-
	-	-		-	-
			IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in- Progress		
IV. Interest Received					
a) On Bank deposits	11,09,603	6,52,410	a) Purchase of Fixed Assets	8,05,421	1,72,031
b) Loans, Advances etc.	-	-	b) Expenditure on Capital Work-in-progress	-	-
c) On Saving Bank	21,30,356	10,71,147			
	32,39,959	17,23,557		8,05,421	1,72,031
V. OTHER INCOME (SPECIFY)			**V. Refund of Surplus money / Loans**		
a) Recoupment of Ombudsman expenses	52,74,190	53,70,418	a) To the Government of India	-	-
b) Petition Fee	4,56,22,277	4,02,28,876	b) To the state Government	-	-
c) Licence Fee	20,60,57,252	19,29,36,050	c) To other providers of Funds	-	-
d) Surcharges/Interest on License Fee	5,33,296	-			
	25,74,87,015	23,85,35,344		-	-
VI. Amount Borrowed			**VI. Finance Charges (Interest)**		
VII. Any other receipts (give details)			**VII. Other Payments (Specify)**		
a) EMD Received	4,00,000	8,60,000	a) TDS Payment & TDS on GST	54,11,841	61,18,950
b) Misc.Fee	2,210	95,43,253	b) Bank Charges	1,18,558	894
c) Contributions	15,05,191	10,15,883	c) Consultant Payment	1,18,21,596	98,32,964
Date :	-	-	d) Outsourcing Empolyee Payment	57,91,299	60,11,863
e) Others	49,271	1,75,404	e) Professional & Legal Fee	65,01,149	90,70,823
g) Tender Processing Fee	1,37,000	1,42,000	f) EMD Refund	10,45,000	8,28,133
h) Forum of Regulators	96,619	-	g) Tender Fee Refund	-	28,000
i) Security Deposit received	64,12,974		h) Grant-in-Aid Refunded to MoP	42,00,000	-
			i) Ministry of Power(License fee, Petition Fee, Misc. & Interest Remitted)	16,03,66,003	22,85,08,817
	86,03,265	1,15,96,540		19,52,55,446	26,04,00,444
-			**VIII. Closing Balances**		
			a) Cash in hand	-	-
			b) Bank Balances		
			i) In deposit accounts	3,00,12,139	1,01,03,987
			ii) Savings accounts	22,18,87,614	15,71,31,469
				25,18,99,753	16,72,35,456
TOTAL	52,27,64,815	49,52,53,388	TOTAL	52,27,64,815	49,52,53,388

FOR AND ON BEHALF OF JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(AAO) | DIRECTOR (F&L)& SECRETARY(I/C) | MEMBER (LAW) | CHAIRPERSON

Date: 16-07-2025
Place:Gurugram

XIII. DETAILS OF INFORMATION UNDER THE RTI ACT, 2005

Shri Jagdish Chander, Director (Engineering), JERC, is designated as Appellate Authority under Section 19 (1) of the RTI Act, 2005 and Shri Dheeraj Yadav, Admin-cum-Accounts Officer is designated as Central Public Information Officer of the Commission.

The details of receipt and disposal of Applications/Appeals under the RTI Act, 2005 in FY 2024-25 is provided in the table below: -

S.No.	Description	Numbers
(a)	Number of applications received by CPIO under the RTI Act	07
(b)	Number of applications in which information has been provided by CPIO	07
(c)	Number of applications pending with CPIO	NIL
(d)	Number of appeals filed before the First Appellate Authority against the order of CPIO	NIL
(e)	Number of appeals disposed of by the First Appellate Authority	NIL
(f)	Number of Application / Appeals not disposed of in the stipulated time frame	NIL

XIV. DETAILS OF THE INFORMATION AND FACILITIES AVAILABLE FOR PUBLIC

The Commission has hosted its website http://www.jercuts.gov.in to provide easy access and wide publicity to public in respect of various activities being undertaken by JERC. Apart from the above, as per Regulation 24 of JERC (Conduct of Business) Regulations, 2009 and Amendments thereof, the records of every proceeding are open for inspection of the parties or their authorized representative at any time, either during the proceedings or after the orders passed, subject to payment of fees. Certified copies of the documents of the Commission can also be obtained after payment of prescribed fees and following the procedure laid down in Regulation 25 of the aforesaid Regulations. The library of the Commission is not open to public use.

XV. AGENDA FOR FINANCIAL YEAR 2025-26

(i) Business Plan Petition for MYT control period of FY 2025-26 to FY 2029-30

The Commission shall take up the petitions for Business Plan for five years control period from FY 2025-26 to FY 2029-30 for the generation company, transmission and distribution licensees under its jurisdiction.

(ii) Multi-year annual Revenue Requirements and determination of tariff

The Commission shall take up the Petitions for True ups of previous years, Multi-Year Annual Revenue Requirement and determination of tariff for FY 2025-26 to FY 2029-30 for six distribution licensees under its jurisdiction and issue the Tariff Orders after following the laid down procedure.

(iii) Multi-Year Generation & Transmission True-ups

One Tariff Order for the Generation Company i.e., Puducherry Power Corporation Limited

and three Transmission Tariff Orders for (1) Electricity Department-Dadra & Nagar Haveli-66 kV, (2) Electricity Department-Daman & Diu-220 kV and (3) DNHDD Power Corporation Limited shall also be issued as per procedure for FY 2025-26 to FY 2029-30.

(iv) Amendment in Regulations

The following Regulations are proposed to be reviewed and amended during the FY 2025-26: -

(1) JERC (Conduct of Business) Regulations, 2009.

(v) State Advisory Committee Meetings

Meetings of the State Advisory Committee are being planned in FY 2025-26 in terms of provisions of the JERC (State Advisory Committee), Regulation 2009.

(vi) New Regulations

The following Regulations are proposed to be issued and notified during FY 2025-26:

(1) JERC (Framework for Resource Adequacy) Regulations, 2025

XVI. AN OVERVIEW OF THE POWER SECTOR

JERC (for the State of Goa and Union Territories) has one generating company, three transmission utilities, and six distribution utilities and plays a crucial role in regulating electricity tariffs, ensuring fair competition, and promoting sustainable practices within the power sector.

The overview of the generation, transmission, and distribution utilities under the jurisdiction of the Commission is as under:

1. Generation

Puducherry Power Corporation Ltd. (PPCL) with an installed capacity of 32.5 MW of Electricity at Karaikal under the Union Territory of Puducherry is the only gas-based power generating station under the jurisdiction of the Commission.

The key components approved for PPCL in the Tariff Order of FY 2024-25 are as under:

Technical Parameters	
Normative Annual Plant Availability Factor (NAPAF) (%)	85%
Auxiliary Power Consumption (APC) (%)	3.30%
Gross Station Heat Rate (GSHR)(kCal/ kWh)	2646
Weighted Average GCV of gas (kCal/ m3)	10864.13
Weighted Average Price of gas (Rs/ 1000 m3)	29443.12
Financial Parameters (Rs. Cr.)	
Capital Cost	164.44
Depreciation	2.24
Interest on Loan	NIL
Return on Equity	10.22

Operation & Maintenance Expenses	20.98
Interest on Working Capital	5.79
Annual Fixed Cost (AFC)	39.23

2. Transmission

There are three transmission utilities viz. Electricity Department Dadra & Nagar Haveli-Transmission Division (DNH-Transmission), Electricity Department of Daman & Diu (EDDD), and Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu Power Corporation Ltd. (DNHDDPCL).

The key components approved for the above-said Transmission Utilities in the Tariff Order of FY 2024-25 are as under:

Parameters	DNH-Transmission	EDDD	DNHDDPCL
Aggregate Revenue Requirement (INR Crore)	26.69	41.27	0.48
Transmission Capacity (MW)	1294	792	789.03
Energy Required at periphery (MU)	7815.94	7815.94	9953.68
Long/Medium Term Transmission charges (INR / MW/ Month)	17189	43424	504
Short Term Open Access Transmission charges (INR /MW/Day)	565	1428	17
Transmission Charges (INR/kWh)	0.03	0.05	0.00

3. Distribution

There are six distribution utilities viz. the Electricity Department Goa (EDG), Puducherry Electricity Department (PED), Chandigarh Power Distribution Limited (CPDL), Electricity Department Andaman & Nicobar Islands (ED A&N), Lakshadweep Electricity Department (LED), and Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu Power Distribution Corporation Ltd. (DNHDDPDCL) under the jurisdiction of the Commission.

These distribution utilities ensure reliable and efficient electricity supply to various consumer categories under the area of supply of such distribution utilities. The important approved parameters pertaining to the distribution utilities for FY 2024-25 under the jurisdiction of this Commission are provided in the preceding sections of this annual report.

ANNEXURE-1

ELECTRICITY OMBUDSMAN & DETAILS OF CGRFs IN ALL THE TERRITORIES AS ON 31.03.2025

S.No	Name of the CGRF	Name of Ombudsman & Member	Designation	Office address	Contact No.	E-mail
1	Gurugram	Sh. Chandra Mohan Sharma	Electricity Ombudsman	JERC, 3rd& 4th Floor, Plot No.55-56 Sector-18, Udyog Vihar: Phase-IV, Gurugram-122015(Haryana)	9350100400	ombudsman.jercuts@gov.in
2	Goa	1. Vacant 2. Vacant 3. Smt. Sandra Vaz e Correia	Chairperson Member (Licensee) Independent Member	Vidyut Bhavan, 4th Floor, Near KTC Stand, Mundvel, Vasco, Goa-403802	9422063637	cgrfgoa@yahoo.com adv.sandracorreia@gmail. com
3	Andaman & Nicobar Islands	1. Shri R. Ravichandar 2 Shri Narayan Chandra Baroi 3. Smt. Biji Thomas	Chairperson Member (Licensee) Independent Member	No. EL/03 & 04, Horticulture Road, Haddo (PO), Port Blair-744102	03192-244822(O)	cgrf.and@nic.in cgrf@rediffmail.com
4	Chandigarh	1. Sh. Vijay Kumar 2. Sh. Rajinder More 3. Sh. Jaswinder Singh Sidhu	Chairperson Member (Licensee) Independent Member	Old B&R Building, Adjacent to office of Haryana Tax Tribunal, Sector 19-B, Chandigarh- 160019	8054104512 0172-2542012 (O) 09872318618	chairmancgrf@gmail.com
5	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	1. Shri Rajiv K Purohit 2. Shri Dharmesh N. Dave 3. Shri Kamlesh R. Shah	Chairperson Member (Licensee) Independent Member	Electricity Department, Dadra & Nagar Haveli, substation, Silvassa-396250	9099991912	consumerforumdnhdd@torrentpower. com
6	Lakshadweep	1. Vacant 2. Vacant 3. Smt. Sunidha Ismail KRB	Chairperson Member (Licensee) Independent Member	CGRF for Electricity, Near Power House, Kavaratti, UT Lakshadweep- 682555	9496196167	ssunidha766@gmail.com
7	Puducherry	1. Sh. G. aniyamuthan 2. Vacant 3. Sh.R. Krishnamurthy	Chairperson Member (Licensee) Independent Member	No.6, 17th Cross Street, Anna Nagar, Puducherry- 605005	04132201351 04132201451	cgrfpon@gmail.com

ANNEXURE-2

DETAILS OF PUBLIC HEARINGS/OTHER HEARINGS CONDUCTED BY THE COMMISSION AND ISSUANCE OF ORDERS DURING FY 2024-25: -

Public Hearings:-

S. No.	Petition No.	Petitioner	Matter	Date of Hear-ing	Date of Order
1	118/2024	ED, Lakshad-weep	Petition for True-up for FY 2019-20, APR Review for FY 2023-24 and ARR & Tariff Proposal for FY 2024-25	14.05.2024	10.06.2024
2	125/2024	ED, Chandigarh	Tarif Petition for True-up of FY 2021-22, APR of FY 2023-24 & ARR Tariff Pro-posal for FY 2024-25 of Electricity Wing of Engi-neering Department, Chandigarh	21.06.2024	25.07.2024

Other Hearings:-

S. No.	Petition No.	Petitioner	Matter	Date of Hear-ing	Date of Order
1	126/2024	DNHDD PCL	Petition under section 94 (1) (f) of the Electricity Act, 2003 seeking review of the order dated 22.05.2024 passed in Petition No. 120 of 2024	22.10.2024 & 17.12.2024	21.01.2025
2	127/2024	DNHDD PCL	Review Petition under section 94 (1) (1) of the Electricity Act, 2003 seeking review of the order dated 11/06/2024 of truing up for the fi-nancial year 2022-23, conducting annual per-formance review for the year 2023-24 and ap-proving the annual rev-enue requirement and transmission tariff for the year 2024-25.	22.10.2024 & 13.11.2024	10.12.2024
3	128/2025	ED, Anda-man	Petition for approval of Purchase of power through DG Sets to de-liver 10 MW power con-tinuously to the 33 KV Grid of Electricity De-partment at Chatham Power House Complex-Regarding. Under sec-tion 86(1)(b) of the Elec-tricity act, 2003.	09.04.2025 & 16.01.2025	06.05.2025

S. No.	Petition No.	Petitioner	Matter	Date of Hear-ing	Date of Order
4	129/2025	ED, Anda-man	Petition for approval of purchase of power through DG Sets to the Indoor Bus of Swaraj Dweep with 2MW Power House during evening peak hours (05.00PM to 10.00PM) and average 900 KW during Non-peak hours for a period of three year-Regarding	09.04.2025 & 16.01.2025	06.05.2025
5	130/2025	ED, Anda-man	Petition for approval of "Power Sale Agreement for Purchase of power through DG Sets to de-liver 05 MW power con-tinuously to the 33 KV grid of Electricity De-partment at Sri Vijaya Puram" between Elec-tricity Department, A&N Administration, vidyut Bhawan, Sri Vijaya Pu-ram-744101 under Sec-tion 86(1) (b) of the Elec-tricity Act, 2003.	16.01.2025 & 09.04.2025	05.05.2025
6	131/2025	ED, Anda-man	Petition for approval of "Power Sale Agreement for Purchase of power through DG Sets to de-liver 10 MW power con-tinuously to the 33 KV grid of Electricity De-partment at Port Blair" between Electricity De-partment, A&N Admin-istration Vidyut Bhawan, Sri Vijaya Puram- 744101.	16.01.2025 & 09.04.2025	05.05.2025
7	132/2025	ED, Anda-man	Petition for approval of agreement for "Purchase of Power through DG Sets AT Bambooflat, South Andaman-Supply of power on round the clock basis to the two 33 KV Distribution Feeders at Bambooflat having an average day & night load to the tune of 4 MW and average evening Peak Load of 4.5 MW (05.00PM to 10.00PM) with a targeted monthly generation of 2.5 million Unit per month for a pe-riod of three years."	16.01.2025 & 09.04.2025	06.05.2025

S. No.	Petition No.	Petitioner	Matter	Date of Hear-ing	Date of Order
8	133/2025	ED, Anda-man	Petition for approval of agreement for "Purchase of power through DG Sets at Ograbranj Village of South Andaman Dis-trict on round the clock basis to supply power to the 33 KV Rural Feeders having an average day & night load to the tune of 4 MW and average even-ing peak load of 4.5MW (05.00PM to 10.00PM) with a targeted monthly generation of 2.5 million Unit per month for a pe-riod of three years".	16.01.2025 & 09.04.2025	20.05.2025
9	134/2025	Suo-Moto	Distribution / Transmis-sion licensee under Sec-tion 14 of the Electricity Act, 2003 and specifying the terms and condition for distribution / trans-mission licensees under Section 16 of the Elec-tricity Act, 2003	11.03.2025	12.03.2025 (Interim Order)
10	135/2025	DNHD DPDCL	Miscellaneous applica-tion under section 86 of The Electricity Act read with Regulation 9.6, 9.9 and other applicable provision of the JERC (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distri-bution) Regulation, 2017 read with Regulation 78 and 79 of the JERC (Conduct of Business) Regulations, 2009.	15.05.2025	08.07.2025

ANNEXURE-3

LIST OF NOTIFIED REGULATIONS AS ON 31.03.2025

S. No.	Notification No.	Regulation Title	Date of Notification
1.	JERC-01/2009	(Conduct of Business) Regulations-2009 • First Amendment Regulations-2013 • Second Amendment Regulations-2013 • Third Amendment Regulations-2014 • Fourth Amendment Regulations-2015 • Fifth Amendment Regulations-2019 • Sixth Amendment Regulations-2023	30.07.2009 30.04.2013 11.10.2013 15.05.2014 11.02.2015 11.09.2019 15.12.2023
2.	JERC-02/2009	Recruitment, Control and Service Conditions of Officers and Staff Regulations-2009	30.07.2009
3.	JERC-03/2009	Appointment and Functioning of Ombudsman Regulations-2009 • First Amendment Regulations-2013 • Second Amendment Regulations-2015 • Third Amendment Regulations-2017 (REPEALED)	30.07.2009 04.04.2013 01.01.2015 12.06.2017
4.	JERC-04/2009	Establishment of Forum for Redressal of Grievances of Consumers Regulations-2009 • First Amendment Regulations-2013 • Second Amendment Regulations-2015 (REPEALED)	31.07.2009 • 25.03.2013 • 30.01.2015
5.	JERC-05/2009	(Treatment of Other Businesses of Transmission Licensees and Distribution Licensees) • First Amendment Regulations-2016	18.12.2009 • 19.10.2016
6.	JERC-06/2009	Standard of Performance Regulations-2009 (REPEALED)	18.12.2009
7.	JERC-07/2009	State Advisory Committee Regulations-2009 • First Amendment Regulations-2015	18.12.2009 • 21.01.2015
8.	JERC-8/2009	Appointment of Consultants Regulations-2009 • First Amendment Regulations-2015 • Second Amendment Regulations-2023	11.02.2010 • 21.01.2015 • 03.08.2023

S. No.	Notification No.	Regulation Title	Date of Notification
9.	JERC-9/2009	Open Access in Transmission and Distribution Regulations-2009 (REPEALED)	11.02.2010
10.	JERC-10/2009	Terms and Conditions for Determination of Tariff Regulations-2009 (REPEALED)	08.02.2010
11.	JERC-11/2010	Electricity Supply Code Regulations-2010 (REPEALED)	20.05.2010
12.	JERC-12/2010	State Grid Code Regulations-2010	07.08.2010
13.	JERC-13/2010	Electricity Trading Regulations-2010	31.08.2010
14.	JERC-14/2010	Procurement of Renewable Energy Regulations-2010 • First Amendment Regulations-2014 • Second Amendment Regulations-2015 • Third Amendment Regulations-2016 • Fourth Amendment Regulations-2022 • Fifth Amendment Regulation-2024	30.11.2010 • 19.02.2014 • 22.12.2015 • 22.08.2016 • 24.03.2022 • 28.05.2024
15.	JERC-15/2010	Distribution Code Regulations-2010 • First Amendment Regulations-2016	• 11.08.2010 • 21.11.2016
16.	JERC-16/2013	Procedure for filing appeal before the Appellate Authority Regulations-2013	29.04.2013
17.	JERC-17/2014	Demand Side Management Regulations-2014	24.06.2014
18.	JERC-18/2014	Multi Year Distribution Tariff Regulations-2014 (REPEALED)	30.06.2014
19.	JERC-19/2015	Solar Power - Grid Connected Ground Mounted and Solar Rooftop and Metering Regulations-2015 (REPEALED)	15.05.2015
20.	JERC-20/2015	Standard of Performance for Distribution Licensees Regulation-2015 • First Amendment) Regulations, 2024	• 24.07.2015 • 27.05.2024
21.	JERC-21/2017	Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution Regulations-2017 • First Amendment Regulations, 2020 • Second Amendment Regulations,2022 • Third Amendment Regulations,2024	14.03.2018 • 25.11.2020 • 06.05.2022 • 13.08.2024

S. No.	Notification No.	Regulation Title	Date of Notification
22.	JERC-22/2018	(Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulations, 2018	10.08.2018
23.	JERC-23/2018	Electricity Supply Code Regulations-2018 • First Amendment Regulations-2019 • Second Amendment Regulations-2021 • Third Amendment Regulations, 2024	26.11.2018 • 25.03.2019 • 25.06.2021 • 13.08.2024
•			
24.	JERC-24/2019	Solar PV Grid Interactive System based on Net Metering Regulations-2019 • First Amendment Regulations,2024 •	01.08.2024 • 24.07.2019
25.	JERC-25/2019	Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources Regulations-2019 • Extension of applicability of Control Period-Order • Extension of applicability of Control period Notification	24.07.2019 • 23.08.2022 • 25.07.2023
26.	JERC-26/2019	Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman Regulations-2019 • Corrigendum	• 11.09.2019 • 21.04.2020
27.	JERC-27/2020	Transmission and Distribution Licensing Regulations, 2020	10.02.2021
28.	JERC-28/2020	Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff Regulations,2021 • First Amendment Regulations, 2023	22.03.2021 • 22.08.2023
29.	JERC 31/2024	Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman, 2024	16.08.2024
30.	JERC 32/2024	Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff, 2024	15.10.2024
31.	JERC 33/2024	Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources,2024	24.10.2024
32.	JERC 34/2024	Medical Facility,2024	12.11.2024
33.	JERC/35/2024	For holding inquiry to be conducted by Adjudicating Officer,2024	17.02.2025

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)

(For the State of Goa and Union Territories)

तीसरी एवं चौथी मंजिल, प्लॉट नं0 55-56 सेक्टर-18,
उद्योग विहार फेस-IV, गुरूग्राम-122015 (हरियाणा)
ई-मेल: www.jercuts.gov.in वेबसाइट: secy.jercuts@gov.in

3rd & 4th Floor, Plot No. 55-56, Sector-18,
Udyog Vihar, Phase-IV, Gurugram-122015 (Haryana)
E-mail: secy.jercuts@gov.in • Website: www.jercuts.gov.in